भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

निष्पादन प्रतिवेदन

2014-15

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस प्रतिवेदन में बाह्य हितधारकों के लिए भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) के मूल्य और लाभ परिलक्षित होते हैं।

जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबहेदी की आवश्यकता को शायद ही नकारा जा सकता है। सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के रूप में हम उदाहरण पेश कर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। हम आचार संहिता का पालन करते है जो विभाग के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार के मानक पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है और लेखापरीक्षण प्रक्रिया के मार्गदर्शन हेतु मानक/दिशा-निर्देश तय किए हैं।

हमने सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं हेतु नये अंतर्राष्ट्रीय मानकों (इससाई) के अनुरूप निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों और राज्य सरकार के लिए वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

हम लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड, संगोष्ठी और कार्यशालाओं आदि तंत्र के माध्यम से अपने हितधारकों से लगातार जुड़े हैं।

साई इण्डिया, इंटोसाई और एसोसाई के सक्रिय सदस्य के रूप में, व्यावसायिक मानकों और प्रथाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भागीदार है। साई इंडिया को 1 जुलाई, 2014 से छः वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। हित धारकों द्वारा यूएन एजेंसियों के बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में हमारी भूमिका की सराहना की गई है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन साई इंडिया संस्था द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने में विधायिका, कार्यपालिका, इंटोसाई और एसोसाई के सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए सहायक होगा।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ
	निष्पादन की मुख्य बातें	i-vi
1	इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में	1-2
2	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में	3-20
3	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ-लेखापरीक्षा	21-71
4	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी	72-87
5	व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन	88-95
6	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	96-106
7	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में क्षमता वर्धन	107-124
8	संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम	125-132
9	प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा सम्पर्क	133-138
10	अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	139-154
	अनुबंध I	155-156
	अनुबंध II	157-164

निष्पादन की मुख्य बातें

I. निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

यह प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान हमारी लेखापरीक्षा के प्रभाव, मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम तथा हमारे संसाधनों के उपयोग की प्रभावकारिता को सम्मिलित करते हुये भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई इंण्डिया) की महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन करता है।

II. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के विषय में

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकार हैं।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 लेखापरीक्षा क्षेत्र का वर्णन करने वाला मूल विधान है जिसमें संघ और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सार्वजनिक कोष से आंशिक रूप से वित्तपोषित अन्य निकाय/प्राधिकरण आते हैं जिनकी लेखापरीक्षा सार्वजनिक हित में सीएजी को सौंपी गई है। संसद के कई अन्य अधिनियमों में भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ सांविधिक प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण का भी प्रावधान है।

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से करते हैं। समूचे भारत में फैले 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश स्थित पांच कार्यालय, नई दिल्ली स्थित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मुख्यालय की सहायता करते हैं।

III. लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम

- हमने वर्ष 2014-15 के दौरान 53,754 इकाईयों की लेखापरीक्षा की, जो संघ तथा राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का क्रमशः 93.02 *प्रतिशत* तथा 97.02 *प्रतिशत* था।

- हमने 2014-15 के दौरान विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों को 48,038 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए। शेष प्रतिवेदन बाद में जारी किये गये।

- हमने 2014-15 के दौरान 162 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (166 निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शामिल करते हुए) तैयार किये, जिनमें से 38 संसद में तथा 124 राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करने हेतु थे। इनमें से वर्ष के दौरान 31 प्रतिवेदन संसद के समक्ष और 78 प्रतिवेदन राज्य विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे।

- हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाईयों को 1,816 सिफारिशें की। इनमें से 631 सिफारिशें स्वीकार कर ली गयीं।

- हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 5,868 लेखों की जाँच की। 78.44 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र लेखों की प्राप्ति के बाद निर्धारित समय के अंदर जारी किए गए।

- सरकार ने हमारे द्वारा बताई गई कुल वसूलियों (₹ 1,07,150.94 करोड़) में से 36.92 *प्रतिशत* वसूलियां स्वीकार कर ली तथा ₹ 4,492 करोड़ वसूल किये। इसके मुकाबले, आईएएडी पर कुल व्यय मात्र ₹ 3,215 करोड़ था।
- हमने नियमों, विनियमों में विचलन, योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव, आदि जैसे बहुत से दृष्टांत बताए।
- संघ तथा राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर हमें 11,455 की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 2015 तक प्राप्त नहीं हुई थीं।

IV. लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम

- हमने वर्ष 2014-15 के दौरान 4,45,069 पेंशन प्राधिकार तथा संशोधन मामलों को अंतिम रूप दिया।
- हमने 98.87 *प्रतिशत* नियोजित कोषागार निरीक्षण किए। राज्य सरकारों ने इन निरीक्षणों के बाद हमारे द्वारा की गई 96.33 *प्रतिशत* सिफारिशें स्वीकार कर ली।
- वर्ष के दौरान हमने 96.01 *प्रतिशत* सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को लेखा विवरण पर्चियां समय पर जारी की।

V. व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 तक तीन भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए थे। चार आईजीएएस तथा पाँच आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) भारत सरकार के विचाराधीन थे।

- हमने लेखापरीक्षा और लेखाकरण नीति एवं उनके कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रकरणों को समझने के लिए व्यावसायिक प्रथाओं के एक तकनीकी बोर्ड का गठन किया।

- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के उपाय के रूप में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 33 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्टों में की गई 47 *प्रतिशत* सिफारिशें लागू कर दी गई थी।

VI. संसाधन प्रबंधन

- हमने 2014-15 में ₹ 3214.71 करोड़ खर्च किए।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर एचआर नीति का मुख्य फ़ोकस जारी रहा।
- आईएएडी में कार्यरत 47,015 लोगों में से, 88 *प्रतिशत* ने प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुख्य कार्यकलापों में अपना योगदान दिया।

VII. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में क्षमता वर्धन

- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीईडी) ने 2014-15 के दौरान 13 साई से 21 भागीदारों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और साई ओमान से 25 भागीदारों के लिये एक द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया।

- वर्ष के दौरान हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों (आरटीआई/आरटीसी) ने 730 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 13,487 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

- वर्ष के दौरान 141 कार्यालयों (133 मुख्य कार्यालय तथा 8 शाखा कार्यालय) में आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने 2,264 पाठ्यक्रम आयोजित किये और 33,199 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया।

VIII. संगोष्ठियाँ और कार्यक्रम

- XXVII महालेखाकार सम्मेलन, जो एक द्विवर्षीय आयोजन है और भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए एक मंच है, 27 से 29 अक्टूबर 2014 तक आयोजित किया गया।
- क्षमता वर्धन की पहल के रूप में 21 अप्रैल 2014 को 'हस्तांतरण मूल्य निर्धारण - परिप्रेक्ष्य, मुद्दे एवं आगे के रास्ते (प्रत्यक्ष कर)' पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

IX. प्रमुख पणधारियों के साथ हमारा संपर्क

- संघ और राज्य स्तरों पर गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की अर्द्धवार्षिक बैठकें हुई।

X. अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं योगदान

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा को 1 जुलाई 2014 से छः वर्षों के लिये संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।
- साई-भारत कई यूएन एंजेसियों अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम), विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू आईपीओ) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), यूएन विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का बाह्य लेखापरीक्षक है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इंटोसाई तथा एसोसाई के सदस्य हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2012-2015 के दौरान एसोसाई के अध्यक्ष थे।

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा तथा ज्ञान विस्तारण एवं ज्ञान सेवाओं पर इंटोसाई वर्किंग ग्रुप तथा इसकी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष हैं।

XI. नये कदम

- निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देश संशोधित किये गये।
- राज्य सरकारों के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षण दिशानिर्देश अपनाये गये।
- हमारी स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा किये गये सुधारात्मक कार्यों की जाँच हेतु की जाने वाली 'फ़ॉलोअप लेखापरीक्षा' के लिये मार्गदर्शन टिप्पण जारी किया गया।
- निजी दूरसंचार कम्पनियों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राजस्व बँटवारे की व्यवस्था की लेखापरीक्षा हेतु मार्गदर्शन टिप्पण जारी किया गया।
- एक सामाजिक लेखापरीक्षा मैनुअल प्रकाशित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता करने तथा सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु एक ज्ञान केन्द्र निर्मित किया गया।
- ढाँचागत सुविधाओं के उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने के लिये एक मध्य अवधि योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया।

अध्याय 1

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारत के संविधान द्वारा सृजित एक कार्यालय है और इसे संघ और राज्यों तथा अन्य संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इससे लेखापरीक्षित संस्थाओं के मामलों में वित्तीय में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों (इस्साई 20) में यह प्रावधान है कि साई के बारे में सूचना सहज, सुलभ और संगत होनी चाहिए। उनकी कार्य प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और उत्पाद पारदर्शी होने चाहिए। उन्हें मीडिया तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में दिखना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन इस्साई 20 और 21 में परिकल्पित पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा मैण्डेट तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी देयताओं को किस सीमा तक पूरा किया है;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; और
- साई संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता।

यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, कार्य, नीति, गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन, संचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत सार्वजनिक रिपोर्टिंग करके पारदर्शिता मानदण्डों को भी पूरा करता है। अतः यह निम्निलिखित बातों का प्रयास करता है:

- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;
- हमारे ग्राहकों और पणधारियों को आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा
- भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्दर और बाहर अनुकरण प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संगठन के अन्दर नव-परिवर्तनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।

अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में

I हम कौन हैं?

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जिसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के रूप में भी जाना जाता है) तथा उसके तहत कार्य करने वाला भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएडी) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की सांविधिक योजना में इस संस्था को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बनाया गया है। लेखापरीक्षा की संकल्पना और स्थापना सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में अन्तर्निहित है क्योंकि लोक निधि का प्रबंधन विश्वास का प्रतीक है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकार्य मानदण्डों से विचलन को व्यक्त करना है। राज्यों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट और पूरक विनियोग का अनुमोदन करते हैं तथा सरकार को कर एकत्र करने हेतु प्राधिकृत करते हैं। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए भी वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका का संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र में बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है जिसमें विशेष उद्देश्य वाली संस्थाओं जैसे न्यास समितियों तथा एनजीओज़ द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं लोक निधि से वित्त पोषित बढ़ते हुए व्यय के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। सिविल सोसायटी एक प्रमुख पणधारी के रूप में उभर रही है।

II हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि *यह दर्शाती है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं : हम विश्व में अग्रणी बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आरम्भकर्ता और स्वतंत्र, विश्वसनीय सार्वजनिक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।*

हमारा मिशन *हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण व लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।*

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए ***हमारे नैतिक मूल्य*** *उन सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और हमारे निष्पादन:* ***स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण*** *का निर्धारण करने के लिए हमें बेंचमार्क देते हैं।*

III साई की स्वतंत्रता

इस्साई 1 में यह परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक डिग्री संविधान में निर्धारित की जाएगी; विवरण विधान में निर्धारित किए जा सकते हैं।

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कार्यकारी शाखा से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता भारत के संविधान में निहित है। अनुच्छेद 149 और 150 में उसके कर्तव्य और शक्तियां परिभाषित हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखता है। भारत के सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है जो ना तो कार्यपालिका का भाग हैं और ना ही विधायिका का।

संविधान में निम्नलिखित बातों के प्रावधान से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाने की विशेष प्रक्रिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिये लागू होती है।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और भत्ते दत्तमत नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से ही निर्धारित की जाएंगी।

IV हमारा लेखा अधिदेश[1]

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ-राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है; के प्रशासकों को प्रस्तुत करने

[1] *नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10 , 11 और 12*

के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। हम कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करते हैं और निधियों से अधिक व्यय/वापस की गई राशि/व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

V हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा संसद द्वारा अधिनियमित अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि से सभी प्राप्तियाँ और उनसे किया गया व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र और राज्य स्तरों पर सेवाओं एवं बाध्यताओं के बदले में न्यास जैसे लघु बचतों, जमाओं में सरकार द्वारा धारित जनता के सार्वजनिक धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों जहाँ सरकार का इक्विटी निवेश 51 प्रतिशत से कम नहीं है, के लेखे;
- सभी नियामक निकायों तथा सांविधिक प्राधिकरणों एवं निगमों के लेखे जिनके शासी कानून में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान है;

- सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों के लेखे जिनकी लेखापरीक्षा राष्ट्रपति/राज्यपाल/उपराज्यपाल द्वारा सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सार्वजनिक हित में सौंपी गई है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित दायित्व भी सौंपे गये हैः

- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कतिपय राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक भी हैं, को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, 2012 में संशोधित, वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम एक्ट, 2003) के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए निष्पादन का पुनरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को केंद्रीय करों/ शुल्कों, जो राज्यों के साथ विभाजनीय हैं, की कुल आय को प्रमाणित करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है।

VI हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा तक विस्तृत नहीं है जिनकी संविधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है अर्थात जीवन बीमा निगम और वे कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 51 *प्रतिशत* से कम है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसी निजी कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्राधिकार है, जो सामान्यतया सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है और यदि उस कंपनी को लाइसेंस की शर्तो के अनुसार दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई है, इसके

अनुसार कंपनी को इससे उत्पन्न राजस्व का एक अंश सरकार के साथ बांटना होगा। दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा दी गई एक चुनौती पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिनांक 17 अप्रैल 2014 के निर्णय में इस प्राधिकार को बरकरार रखा गया है। साथ ही किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण, कंपनी जो कि सरकारी कंपनी नहीं है की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 की धारा 20 के अंतर्गत, सार्वजनिक हित में सौंपी जा सकती है।

VII हमारी शक्तियाँ

उपर्युक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ[2] हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित इकाई से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और रीति का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजनः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब नियंत्रक-महालेखापरीक्षक छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियमों को बनाने के लिए शक्तियाँ: डीपीसी, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं,

---

[2] *नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 22, 23, और 24*

जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

2007 में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत हमने "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली" जारी की जिसमें साई, इण्डिया के लेखापरीक्षा और लेखाकरण उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है।

नियम बनाने की शक्तियाँ: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त केन्द्र सरकार लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखे सौंपने वाले कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को रखने के तरीके सहित संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिये प्राधिकृत है।

VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

कोई भी लेखापरीक्षा करने में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपनाए जाने वाला लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और सीमा, कार्यप्रणाली एवं पहुँच में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का ही विवेकाधार है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सत्त्वों में वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानूनों के प्रावधान; और
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार हों।

अनुपालन लेखापरीक्षा में वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात क्या वे निम्नलिखित के अनुसार हैं:

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के अनुसार;
- अपशिष्ट, दुरूपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के कारण हानि के प्रति पर्याप्त रक्षा के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण (पर्याप्तता) सुनिश्चित करना;
- अस्पष्टता से दूर तथा मुक्त और निर्णय लेने में सत्यता के अनुपालन को बढ़ावा (पारदर्शिता) देना;
- विवेक और बुद्धिमत्ता पूर्ण (विवेक और बुद्धिमत्ता); तथा
- प्रभावी और अपेक्षित उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करना (प्रभावकारिता)।

VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा मूल रूप से वित्तीय विवरणों के समूह पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने से सम्बन्धित है। इसमें निम्न शामिल है:

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जहाँ तक संगठन, कार्यक्रम और योजना का संचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है:

1. **मितव्ययिता** - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधन की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता इनपुट और प्रक्रियाओं की लागत पर फ़ोकस करती है। मितव्ययिता वहाँ होती है जहाँ समान गुणवत्ता वाले संसाधन न्यूनतम लागत पर प्राप्त किये जाते हैं।
2. **दक्षता** - दक्षता वस्तुओं, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों के अनुसार आउटपुट और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों के बीच संबंध है। दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना संसाधन का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट के लिए अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।
3. **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता वह सीमा है जहां तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अपेक्षित प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का समाधान करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया इन चरणों में की गई:

नीतिगत योजना भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लम्बी अवधि की योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 में निर्धारित उच्च स्तरीय नीतिगत लक्ष्य

लक्ष्य 1: एकीकृत लेखापरीक्षा प्रयास
लक्ष्य 2: सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में व्यावसायिकता को उन्नत करना
लक्ष्य 3: पणधारियों के साथ संचार को सुधारना तथा उच्च दृश्यता सुनिश्चित करना
लक्ष्य 4: लेखापरीक्षा प्रभावकारिता को बढ़ाना
लक्ष्य 5: लेखाकरण तथा हकदारी कार्यों की डिलीवरी को सुधारना
लक्ष्य 6: मानव संसाधन प्रबंधन को सुधारना

नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षा शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों में प्रत्येक के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख है। वार्षिक योजना उपयोग में मामले या यूनिट के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारित और अन्य सुसंगत प्राचलों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को लिया जाता है। इसे आगे लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा परिभाषित किया गया है।

हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया

के लेखापरीक्षा मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाइयों से लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की आशा की जाती है और उनसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (कोपू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन तथा सिफारिशों की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों से गठित लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पालन के लिये नियोजित तंत्र है। लेखापरीक्षा समितियों जिनमें लेखापरीक्षित इकाई और आईएएडी के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करने ताकि, अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके एवं मुख्यतः निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबधित बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

प्रत्येक कार्यालय की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा करके विभागीय स्तर की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में शामिल किया जाता है ताकि विभिन्न अनुभागों और विषयों के बीच संसाधनों और अपेक्षाओं के संतुलन के पश्चात् इसे लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं में दर्शाया जा सके। लेखापरीक्षा योजना की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

X हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 47,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता के लिए पूरे देश में 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश में पाँच कार्यालय स्थित हैं।

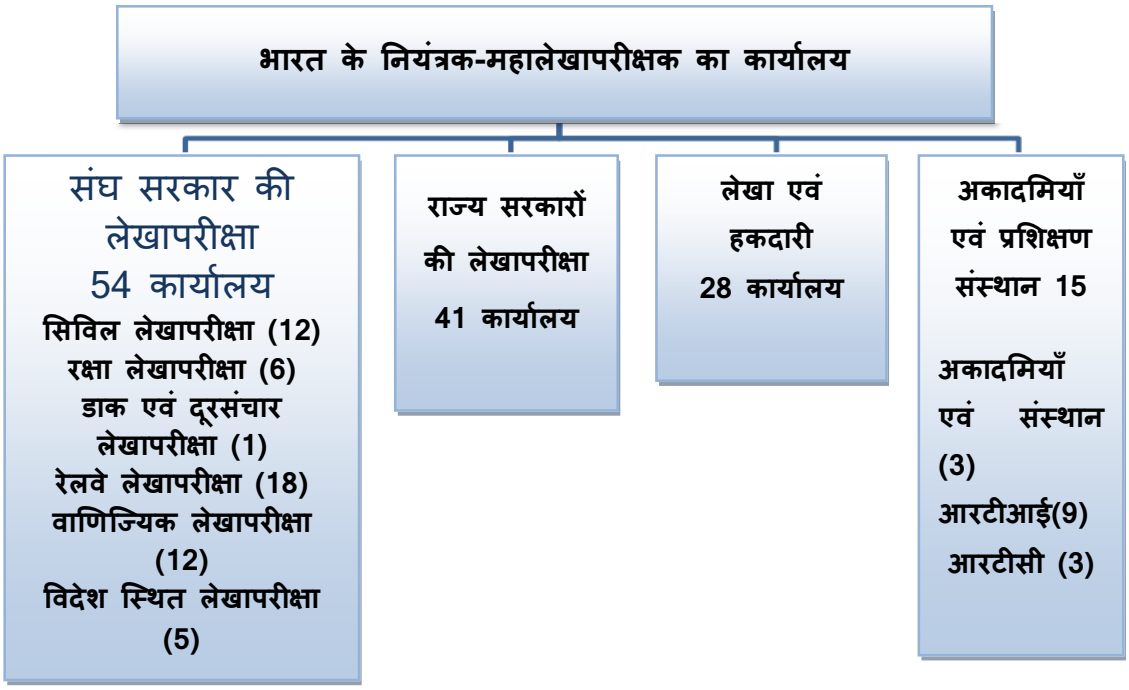

XI नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा,

रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यावसायिक प्रथाएँ, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक और निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध I** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन)	
सिविल	12
रक्षा	6
डाक एवं दूरसंचार	1
रेलवे	18
वाणिज्यिक	12
विदेश स्थित लेखापरीक्षित सत्त्व	5
योग	**54**
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	41
राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालय	28
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	15
कुल योग	**138**

XII आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के कार्यात्मक विंग की सहायता पूरे देश के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (37) के कार्यालय** संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।

- **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय (12)** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयूज़ में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।
- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय** जिनके प्रमुख प्रधान निदेशक हैं जो वाशिंगटन, लंदन और क्वालालम्पुर प्रत्येक क्षेत्र में दूतावासों और अन्य सरकारी स्थापनाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। रोम में पीडीए कार्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूएन बाह्य लेखापरीक्षक बोर्ड के लिए साई इण्डिया की सदस्यता के रूप में संयुक्त राष्ट्र की लेखापरीक्षा की निगरानी के लिए जून 2014 में न्यूयार्क में निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा का नया कार्यालय स्थापित किया गया है।
- प्रत्येक राज्य में **प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय (41)** राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
- **लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय (28) जिनके प्रमुख प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (ले. एवं हक) हैं** राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।
- **प्रशिक्षण संस्थान (15)** तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं।
- कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के **अनुबंध II** में है।

XIII क संघ सरकार की लेखापरीक्षा हेतु संगठनात्मक व्यवस्था

संघ सरकार की लेखापरीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर संगठनात्मक व्यवस्था की समीक्षा नीचे की गई है।

	क्षेत्र
डीएआई (वाणिज्यक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट सेन्ट्रल एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखे)	सरकारी लेखे
डीएआई (केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	केन्द्रीय राजस्व/प्राप्तियाँ
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे

- मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा वाणिज्य विभाग के प्रधान निदेशकों के कार्यालयों को भी क्षेत्र (सेक्टर) की रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्रीय सरकार की इकाईयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा हेतु नई दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में तीन मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न शहरों में विद्यमान आठ शाखा कार्यालयों के साथ संलग्न, अप्रैल 2012 से प्रभावी छह अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ में खोले गए हैं। ये नौ कार्यालय तथा आठ शाखा कार्यालय केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का कार्य करते हैं।
- वित्तीय देयता एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में संघ सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु मुख्यालय में एक विशेष सैल का गठन किया गया है।

XIII ख राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा हेतु संगठनात्मक व्यवस्था

- राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्य अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों

की लेखापरीक्षा, एडीएआईज द्वारा, कार्य के निम्नलिखित वितरण के अनुसार समन्वित तथा पर्यवेक्षित की जाती हैं।

एडीएआई - सीआर	एडीएआई - ईआर	एडीएआई - एनईआर	एडीएआई - एनआर	एडीएआई - डब्ल्यूआर	एडीएआई - एसआर
बिहार	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	अरूणांचल प्रदेश	दिल्ली	गोवा	कर्नाटक
छत्तीसगढ़	ओडिशा	असम	हरियाणा	गुजरात	केरल
झारखंड	पुदुचेरी	मणिपुर	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	
मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	मेघालय	जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	
उत्तरप्रदेश	पश्चिम बंगाल	मिजोरम	पंजाब		
		नागालैंड	उत्तराखंड		
		सिक्किम			
		त्रिपुरा			

- 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी, 10 राज्यों[3] में दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) हैं। महाराष्ट्र के मामलें में, प्रधान महालेखाकारों के बीच क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामलें में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्र (सेक्टर) के आधार पर किया गया था।

[3] आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का संबंधित प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालयों के साथ विलय, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी कर दिया गया है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली राज्य एजेंसियों की लेखापरीक्षा को राज्य महालेखाकार द्वारा किए जाने के लिए जारी रखा जाएगा।

XIV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें विविध क्षेत्रों से प्रख्यात पेशेवर शामिल हैं। यह बाहरी सलाह के लिए हमारी स्पष्टता का प्रतिबिम्ब है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पीअर रिव्यू दल द्वारा एक उत्तम प्रयास के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। 2013-15 के दो वर्ष के लिए बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से है:

श्री शशि कान्त शर्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	**पदेन अध्यक्ष**
श्री प्रदीप कुमार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	**सदस्य**
सीए कुमार रघु अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	**सदस्य**
डा. अरबिन्द प्रसाद महानिदेशक, भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग परिसंघ	**सदस्य**
श्री चन्द्रजीत बैनर्जी महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ	**सदस्य**
डा. अभय बंग निदेशक, सोसायटी फोर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हैल्थ (सर्च). सामाजिक कार्यकर्ता	**सदस्य**

डा. सुदर्शन अयंगर कुलपति, गुजरात विद्यापीठ (अर्थशास्त्री तथा पर्यावरणविद)	**सदस्य**
डा. बिबेक देबरॉय अर्थशास्त्री	**सदस्य**
श्री नरेन्द्र सिंह सेवानिवृत उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	**सदस्य**
श्री प्रत्यूष सिन्हा पूर्व-केंद्रीय सतर्कता आयुक्त	**सदस्य**
डा. वन्दना शिवा पर्यावरणविद	**सदस्य**
डा. एम. के. भान पूर्व सचिव,जैव प्रौद्योगिकी विभाग,	**सदस्य**
सभी उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	**पदेन सदस्य**
सभी अपर उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	**पदेन सदस्य**

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्ष 2014-15 के दौरान 1 अक्टूबर 2014 तथा 18 मार्च 2015 में दो बैठकें हुई थीं। बोर्ड ने लेखापरीक्षा योजना 2015-16, 'बृहद डाटा' से बढ़ती हुई अवस्थिति के कारण सार्वजनिक लेखापरीक्षकों के लिए अवसरों तथा चुनौतियों तथा 'लेखापरीक्षा द्वारा प्रारंभ किये गए मुख्य निष्पादन एप्रेजल', से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता के अन्तर्गत सभी राज्यों में किया जाता है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हर दो वर्ष में किया जाता है।

अध्याय 3

महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखापरीक्षा

हम सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय और निष्पादन प्रबंधन पर एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन प्रदान करके जवाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हम लेखापरीक्षण परिणामों में सुधार लाने हेतु निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित नवीन लेखापरीक्षण प्रथाओं के रूप में लगातार नई पहल करते है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्र, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना है।

आईएसएसएआई 20 विचार करता है कि साईज एक समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा प्रारंभ एवं संचालित करें तथा सुसंगत रिपोर्टें जारी करें। उन्हें एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मुख्य परिणाम हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना आईएएडी का मुख्य परिणाम क्षेत्र है।

I अनुपालन, निष्पादन, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

आईएएडी के लेखापरीक्षा कार्यालय प्रत्येक वर्ष अनिवार्य आश्यकताओं, मुद्दों के महत्व, जोखिम निर्धारण तथा उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों के आधार पर निष्पादन, वित्तीय तथा अनुपालन लेखापरीक्षाओं की योजना बनाते हैं।

I क अनुपालन लेखापरीक्षा:

(i) लेखापरीक्षा कवरेज

2014-15 के दौरान कुल 53,754 ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 93.02 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 97.02 प्रतिशत पूरा हो गया था।

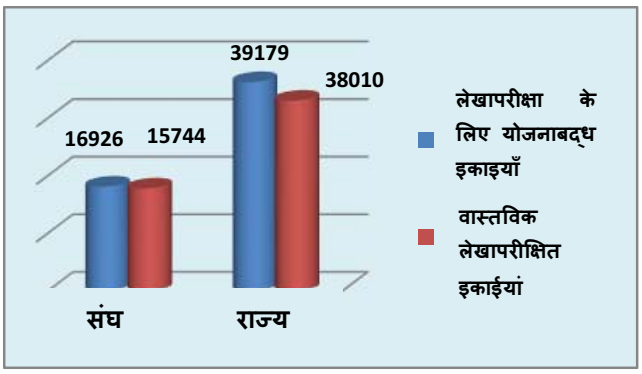

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्पाद है। प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की व्याख्या करते हुए एक निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। 2014-15 के दौरान हमने 48,038 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये। शेष प्रतिवेदन बाद में चालू वित्तीय वर्ष में जारी किये।

संघ स्तर पर 89.5 *प्रतिशत* निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किये गये। राज्य स्तर पर 80.39 *प्रतिशत* निष्पादन समय पर था।

	जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिशतता
संघ	16,232	14,527	89.50%
राज्य	31,806	25,568	80.39%
कुल	48,038	40,095	83.47%

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्तियॉं:

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। 2014-15 के दौरान 2,340 ऐसे पैराग्राफ संघ स्तर पर इन प्रतिवेदनों में शामिल किये गये थे। उठाई गई 787 लेखापरीक्षा आपत्तियों में से 470 पैराओं को स्वीकार कर लिया गया था और लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 26 पैराओं को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।

राज्य स्तर पर, अनुपालन प्रतिवेदनों में 1,553 लेखापरीक्षा पैरे शामिल किये गये थे जिनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 661 स्वीकार कर लिये गये थे और 200 लेखापरीक्षा पैरे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिये गये थे।

I ख निष्पादन लेखापरीक्षा

2014-15 के दौरान 166 निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया था, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है।

	लेखापरीक्षा उत्पाद
संघ स्तर	**23**
राज्य स्तर	**143**
जोड़	**166**

I ग वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, हमसे सहायता प्राप्त करारों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए व्यय के प्रमाणीकरण की भी अपेक्षा की जाती है।

हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य के 5,868 लेखाओं की जांच की निर्धारित समय सीमा के अन्दर 4,603 लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये गए।

	जांच किए गए लेखें	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ सरकार/राज्य सरकार	882@	616@
पीएसयूज	1,306	947
स्वायत्त निकाय	899	356
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	289	231
अन्य	2,492	2,453
जोड़	**5,868**	**4,603** ***(78.44 प्रतिशत)***

@सिविल मंत्रालय, रेलवे, पीएण्डटी तथा रक्षा के अनुदान सम्मिलित है। राज्य के वित्त तथा विनियोजन लेखे भी शामिल हैं।

अपूर्ण लेखे की प्राप्ति, लेखाकरण में त्रुटि, मिथ्या कथन, लेखों के सत्यापन हेतु अभिलेखों की प्राप्ति न होने के कारण विलम्ब तथा आपत्तियों का निपटान न होना, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब तथा स्टाफ का उपलब्ध न होना लेखाओं के विलम्बित प्रमाणन के कुछ कारण थे।

I घ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लेखापरीक्षा परिणामों को प्रेषित करने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना शामिल होता है। संविधान का अनुच्छेद 151 यह दर्शाता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनों को तैयार करेगा और संसद या राज्य विधान मंडल, जैसा भी मामला हो; में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगे।

हमने 2014-15 के दौरान 162 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जिसमें 166 निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं) तैयार किए, 38 संसद तथा 124 राज्य

विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु। इनमें से 7 रिपोर्टें संसद हेतु तथा 46 रिपोर्टें राज्य विधानमंडल के लिए 31 मार्च, 2015 के पश्चात प्रस्तुत की गई।

इन रिपोर्टों के अलावा, पिछले वर्षों की 8 संघ लेखापरीक्षा रिपोर्टें तथा 89 राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टें भी 2014-15 के दौरान संसद/विधानमंडलों को प्रस्तुत की गई थी। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाईयों को 1816 सिफारिशें की। इनमें से 631 सिफारिशों को स्वीकार किया गया था।

	वर्ष के दौरान तैयार प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ सरकार	**38@**	**276**	**75**
राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र	**124@@**	**1540**	**556**
जोड़	**162**	**1816**	**631**

@ इन 38 प्रतिवेदनों में से, 7 प्रतिवेदन 31.3.2015 के पश्चात संसद को प्रस्तुत किये गए थे।
@@ इनमें से केवल 78 प्रतिवेदन 2014-15 के दौरान राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए।

II हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

II क लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियां

हमारी कुछ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ करों के कम निर्धारण या राजकोष में विशेष हानि की तरफ इशारा करती हैं। यह कार्यकारी द्वारा संबंधित पार्टियों से वसूलियों को अनिवार्य बना देती हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा के अनुरोध पर की गई वसूलियाँ नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

	बताई गई वसूलियाँ	स्वीकार की गई वसूलियाँ	प्रभावित वसूलियाँ
संघ सरकार	65,535.99	28,054.85	3,545.42
राज्य सरकारें	41,614.95	11,502.04	946.76
जोड़	1,07,150.94	39,556.89	4,492.18

लेखापरीक्षित संस्थाओं ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियों का करीब 36.92 *प्रतिशत* स्वीकार किया। सरकार ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप ₹4492.18 करोड़ की वसूली की जो वसूली के लिये बताई गई राशि का केवल लगभग 4.19 *प्रतिशत* है। संयोग से, आईएएंडएडी का कुल बजट वर्ष के लिए ₹3214.71 करोड़ था।

II ख निष्पादन लेखापरीक्षा

2014-15 के दौरान 166 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया गया था। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित संस्थाओं को 1,314 सिफारिशें की। इनमें से लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा 520 सिफारिशों को स्वीकार किया गया। जैसा नीचे दर्शाया गया हैं।

	लेखापरीक्षा उत्पाद	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	23	172	54
राज्य स्तर	143	1,142	466
जोड़	166	1,314	520

II ग पीएसयूज़ के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की वार्षिक लेखों के मामले में हम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं।

148 कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं में तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सुधार किये गये। इन परिवर्तनों का मात्रात्मक प्रभाव निम्नलिखित था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में सुधार: ₹8,170.70 करोड़ (ख) वर्गीकरणीय चूकें: ₹29,271.10 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: लाभ ₹4618.34 करोड़ (घ) परिसम्पत्तियों तथ देयताओं में परिवर्तन: ₹2162.32 करोड़ तथा (ड़) अन्य (पिछली अवधि, वर्गीकरण चूक): ₹871.57 करोड़।

III प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2014-15 के दौरान संसद के समक्ष 39 प्रतिवेदन (पिछले वर्षों के 8 प्रतिवेदनों सहित) तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष 167 प्रतिवेदनों (पिछले वर्षों के 89 प्रतिवेदनों सहित) को प्रस्तुत किया गया था। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां हमारी वेबसाइट www.cag.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन प्रतिवेदनों में दर्शाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए हैं:

ससंद हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14 हेतु संघ सरकार वित्त (2015 का प्रतिवेदन संख्या 1)

- पिछले छह वर्षों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज के माध्यम से करदाताओं को ₹42,903 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था परन्तु आवश्यक विनियोजनों के माध्यम से संसद का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही सकल कर प्राप्तियों से इस राशि का भुगतान किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान इस प्रकार भुगतान किये गए प्रतिदायों पर ब्याज ₹6,598 करोड़ था।
- प्राथमिक शिक्षा उपकर के रूप में ₹1,30,599 करोड़ के कुल संग्रह के प्रति, ₹1,19,197 करोड़ 2004-05 से 2013-14 के दौरान चिन्हित योजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष को हस्तांतरित कर दिया गया था।

- 1996-97 से 2013-14 की अवधि के दौरान कुल ₹4,876.71 करोड़ का अनुसंधान एवं विकास उपकर संग्रहित किया गया था जिसमें से केवल ₹542.41 करोड़ का उपयोग उक्त उपकर उदग्रहीत करने के उद्देश्यों के प्रति किया गया था।
- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने गलती से राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय तथा विलोमत: के रूप में वर्गीकृत किया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹3,174.40 करोड़ तक पूंजीगत व्यय अधिक बताया गया था तथा ₹1,504.69 करोड़ तक पूंजीगत व्यय कम बताया गया था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, संघ सरकार ने राज्य सरकार बजट से बाहर केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए ₹1,12,708 करोड़ की केंद्रीय योजना सहायता सीधे ही राज्य/ जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को हस्तांतरित की। सरकारी लेखाओं के बाहर अनुरक्षित निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं में व्यय ना किये गए शेष की कुल राशि ज्ञात नहीं थी।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग (2014 का प्रतिवेदन सं. 27)

- भारतीय डीटीएच आपरेटरों (जुलाई 2013) द्वारा प्रयुक्त कुल 76 केयू बैण्ड ट्रांसपोन्डरों में से, केवल 19 ट्रांसपोन्डर भारतीय सेटेलाइटों से संबंधित थे। डीटीएच सेवा के लिए केवल 10 प्रतिशत सेटेलाइट क्षमता इनसेट प्रणाली द्वारा सेवा की गई पाई गई थी।
- टाटा स्काई के साथ किया गया ट्रांसपोन्डर पट्टा करार टाटा स्काई को विशेष लाभ जैसे डीटीएच सेवा हेतु केयू बैण्ड ट्रांसपोन्डरों का प्रयोग करने से इन्कार करने का पहला अधिकार प्रदान करता है जो किसी अन्य डीटीएच सेवा प्रदाता को नहीं दिये गए थे। टाटा स्काई सैटेलाईट क्षमता के आवंटन हेतु वरीयता के क्रम में पांचवे स्थान पर था। तथापि, टाटा स्काई को दूरदर्शन से वरीयता प्रदान की गई थी तथा इनसेट 4ए सैटेलाईट पर क्षमता आवंटित की गई थी।

- विदेशी सैटेलाइट प्रणालियों से पट्टे पर लिए गए ट्रांसपोन्डरों के मूल्य एक से छह वर्ष की अवधि में पांच से 33 प्रतिशत तक बढ़ गए थे जबकि डीटीएच सेवा प्रदाता पिछले छह से दस वर्षों के लिए भुगतान किये गए मूल्यों पर ही इनसेट ट्रांसपोन्डर क्षमता प्राप्त कर रहे थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) (2014 का प्रतिवेदन संख्या 30)

- कवर किये गए प्रतिष्ठानों से योगदान के कारण बकाया देय राशियां मार्च 2013 तक ₹1655.42 करोड़ थी, जिसमें से ₹1001.82 करोड़ वसूली योग्य नहीं थे।
- देय राशियां निर्धारित करने के लिए समय पर कार्यवाही प्रारंभ न करने के परिणामस्वरूप मामले काल-बाधित हो गए तथा ₹48.31 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई। आठ राज्यों में अस्पतालों को दिए गए ₹20.31 करोड़ के अग्रिम मार्च 2013 तक असमायोजित पड़े थें।
- नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जाने वाले अंशदान के प्रति सृजित चालानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच ₹556.59 करोड़ का महत्वपूर्ण अन्तर देखा गया था।
- लगभग 12,000 ईएसआईसी कर्मचारी भुगतान किये बिना ही नियमित रूप से ईएसआईसी औषधालयों/अस्पतालों से चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे थे जबकि ये सुविधाएं केवल अंशदान का भुगतान कर रहे बीमाकृत व्यक्तियों के लिए थीं।

इन्दिरा आवास योजना (2014 का प्रतिवेदन संख्या 37)

- लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए 27 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 168 जिलों में कार्यान्वयन की नमूना जांच की गई थीं। हमने पाया कि 12 राज्यों में, 36,751 गैर-बीपीएल परिवारों को ₹89.15 करोड़ की सहायता दी गई थी। 11 राज्यों में 10,184 अयोग्य लाभार्थी का चयन किया गया था तथा उन्हें ₹31.73 करोड़ का भुगतान किया गया था। 7 राज्यों में स्थाई आईएवाई प्रतीक्षा सूची से बाहर

33,536 लाभार्थियों का चयन किया गया था तथा ₹138.02 करोड़ की सहायता का भुगतान किया गया था। 8 राज्यों में, 1,654 लाभार्थी जिन्होंने ₹5.37 करोड़ की सहायता प्राप्त की थी, के पास पहले से ही पक्के घर थे। 8 राज्यों में 5,824 लाभार्थी का एक से अधिक बार चयन किया गया था तथा उन्हें ₹14.67 करोड़ की सहायता दी गई थी। छह राज्यों में, घर की महिला सदस्यों के नाम पर आवास गृहों का आवंटन नहीं किया गया था जैसा कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में अपेक्षित था।

- ग्रामीण आवास योजना आयोग के अन्तर्गत कार्यकारी दल ने 2008-13 के लिए आईएवाई के अन्तर्गत 170 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तथापि, अवधि के दौरान केवल ₹128.92 लाख घरों (कार्यकारी दल के लक्ष्य के प्रति 75.84 प्रतिशत) का निर्माण हुआ था।
- लेखापरीक्षा ने अनगिनत मामलों में दो वर्ष की निर्धारित समय सीमा से परे घरों का निर्माण पूरा होने में विलम्ब के मामले देखें। नौ राज्यों यथा असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एंव कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय तथा राजस्थान के 48 चयनित जिलों में 61,293 घर दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधूरे पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप इन अधूरे घरों के संबंध में ₹150.22 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों द्वारा पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी आईएवाई घर छोड़ देने के मामले, ऐसे मामले जहां पहली किश्त प्राप्त कर लेने वाले लाभार्थियों द्वारा न ही दावा किया गया एवं न ही उन्हें आईएवाई सहायता की दूसरी किश्त का भुगतान किया गया; तथा आईएवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों/विभाग की नियुक्ति करने के मामले भी देखे थे।
- 13 राज्यों में 91 जिलों के 214 ब्लाकों के अन्तर्गत 1,639 जीपीज (2,960 चयनित जीपीज का 55.37 प्रतिशत) में किसी भी स्तर पर संबंधित अधिकारियों/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कोई गुणवत्ता निरीक्षण/ तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।

- राज्यों द्वारा निधियों के कम उपयोग/ उपयोग की धीमी गति के कारण उनके नियत केन्द्रीय आवंटन में से ₹2,451.84 करोड़ की कटौती की गई थी। केन्द्रीय हिस्सा कटौती के कारण राज्यों का तदनुरूप हिस्सा जो उनके द्वारा अंशदान किया जाना था, ₹810.08 करोड़ गिना गया था। इसके परिणामस्वरूप 7.25 लाख लक्षित लाभार्थियों को सहायता नहीं दी गई थी।
- तीन राज्यों में लाभार्थियों को देय भुगतान में से प्रशासनिक प्रभारों, धुंआ रहित चूल्हें, स्वच्छ शौचालय/आईएवाई लोगो, इत्यादि का निर्माण न करने/संस्थापन न करने के कारण ₹139.37 करोड़ की अनाधिकृत कटौती तथा छह राज्यों में ₹19.07 करोड़ का कम भुगतान किया गया था।
- 22 राज्यों में, आईएवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, बुनियादी स्तर पर आईएवाई के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु आईएवाई की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।
- आईएवाई के भाग के रूप में, अगस्त 2009 में उन ग्रामीण बीपीएल परिवार को जिनके पास न तो कृषियोग्य भूमि है एवं न ही रिहायशी भूमि, को वासभूमि स्थान उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। ₹1,000 करोड़ के प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन के प्रति, मंत्रालय को इन राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर नौ राज्यों को ₹347.47 करोड़ जारी किये गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 राज्यों/यूटीज में यह योजना लागू नहीं की गई थी।

संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (वायु सेवा तथा नौसेना) (2014 का प्रतिवेदन सं. 34)

- भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं से मेल खाते मध्यवर्ती प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण विमान का विकास एवं आपूर्ति लेने के 14 वर्षों के बाद भी, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड मिशन को पूरा नहीं कर सकी। मार्च 2010 की संविदा के प्रति इसे जारी किया गया ₹2953.88 करोड़ तक का अग्रिम अप्रयुक्त पड़ा रहा। अस्पष्ट संविदात्मक प्रावधान के कारण, आईएएफ ने ₹6.04 करोड़ मूल्य के खरीद आदेश के नगण्य मूल्य के प्रति

एचएएल को ₹926.15 करोड़ की राशि का पर्याप्त द्वितीय स्तरीय भुगतान किया था।

- आईएएफ ने ईंधन की खरीद में 'गिरावट खण्ड' को लागू न करने के कारण ₹713.09 करोड़ तथा उस पर तुरन्त भुगतान छूट का लाभ उठाने में विफलता के कारण ₹9.58 करोड़ की हानि वहन की।

संघ सरकार, रक्षा सेवाएं (वायु एवं नौ सेना) (2014 का प्रतिवेदन सं. 4)

- 'तक्षक' नामक मिग-27 एयरक्राफ्ट के लिए इलैक्ट्रानिक वारफेयर सुईट के विकास के लिए एक कार्यक्रम को कायम रखने के विवेकहीन निर्णय के कारण लगभग ₹156 करोड़ का निवेश व्यापक रूप से निष्फल पड़ा था।

- परिवहन एयरक्राफ्ट के कुल तकनीकी जीवनकाल तथा मरम्मत को विस्तृत करने हेतु संविदा को प्रारंभ करने तथा समाप्त करने में विलम्ब, सुविधाओं के सृजन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर ₹272 करोड़ के निवेश के बावजूद सुविधाओं को समय पर सृजित नहीं किया जा सका था। फलस्वरूप, 50 प्रतिशत से अधिक परिवहन एयरक्राफ्ट बेड़ा उड़ान नहीं भर सका।

- बेड़ा के अनुमानित जीवन काल के दौरान इन इन्जनों की पूरी आवश्यकता का अनुमान लगाने में आईएएफ की विफलता के कारण दिसंबर 2009 की संविदा के प्रति परिवहन बेड़े के 100 एयरों-इन्जनों की खरीद पर ₹227 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन किया गया था।

संघ सरकार दूरसंचार एवं आईटी क्षेत्र (2014 का प्रतिवेदन संख्या 17)

- दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों अर्थात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 216 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। तथापि, डीओटी मुख्यालय तथा टर्म सेल्स द्वारा अप्रभावी निगरानी तथा खराब नियंत्रण के कारण सेवा प्रदाताओं द्वारा 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, चूंकि डीओटी ने अपनी लेखापरीक्षा जांच प्रत्येक सेवा प्रदाता के अभिदाताओं के 0.1 प्रतिशत तक सीमित रखी थी; इसलिए अननुपालन के अनेक मामलों का पता नहीं लग

सका तथा सात टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा ₹2116.95 करोड़ राशि की शास्ति का भुगतान शेष था।

- मैसर्स आरसीएल तथा मैसर्स आरटीएल द्वारा यूएसओएफ/यूएएसएल करार की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में मोबाईल सेवाओं को एकतरफा स्विच ऑफ करने के परिणामस्वरूप उन्हें आबंटित देश के विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र सस्ती मोबाईल सेवाओं से वंचित रह गए।

संघ सरकार (रक्षा सेवाएँ) थल सेना, आयुध फैक्ट्रियां तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (2014 का प्रतिवेदन संख्या 35)

- आत्मनिर्भरता तथा विदेशी विनिमय में प्रभावी बचत प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 1983 में, 1969 से चेकोस्लोवाकिया से आयात किये जा रहे टाटरा वाहनों के उत्पादन को स्वदेशी करने का निर्णय लिया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मैसर्स ओमनीपोल (ओईएम) के साथ 1986 में सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये। उद्देश्य 1991 तक 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करना था। तथापि, 2014 तक अभी लक्ष्य प्राप्त किया जाना था। टाटरा वाहनों के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब थल सेना द्वारा बीईएमएल को आदेशों के स्पष्ट दीर्घावधि प्रक्षेपण की कमी के कारण था, जबकि, थल सेना ने इस अवधि के दौरान 7942 वाहन खरीदे थे।
- आयुध फैक्ट्रियों में ₹10,490 करोड़ की मालसूची थी (31 मार्च 2013) जो उत्पादन की लागत का दो तिहाई बनता है। लेखापरीक्षा ने ₹4799 करोड़ की मालसूची वाले आयुध फैक्ट्री बोर्ड तथा नौ नमूना आयुध फैक्ट्रियों के निष्पादन की नमूना-जांच की, जो 31 मार्च 2013 तक सभी आयुध फैक्ट्रियों में रखी कुल मालसूची के 46 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। 31 मार्च 2013 तक ₹2425 करोड़ के स्तर पर नौ नमूना फैक्ट्रयों में 50 प्रतिशत मालसूची स्वामित्व पर स्टोर्स-इन-हैण्ड (एसआईएच) का गठन किया गया। अचल एसआईएच अर्थात वे मदें जिनकी खरीद के पश्चात तीन अथवा अधिक वर्षों की अवधि तक खपत नहीं हुई थी, 2010-13 के दौरान 73 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। हमारे विश्लेषण ने दर्शाया कि नमूना फैक्ट्रियों में 95 प्रतिशत

एचआईएच निर्धारित सीमाओं से ज्यादा था। 2012-13 के दौरान इन मदों के चतुर्थ-पंचम (80 प्रतिशत) से अधिक की बिल्कुल भी खपत नहीं हुई थी।

- नौ फैक्ट्रियों में 2010-13 की अवधि के दौरान वर्क-इन-प्रोग्रेस (डब्ल्यूआईपी) 21 प्रतिशत तक बढ़ गया था तथा मार्च 2013 को, डब्ल्यूआईपी का मूल्य ₹1501 करोड़ था। उत्पादन की लागत में संबंधित वृद्धि के बिना डब्ल्यूआईपी में वृद्धि सामग्री की मिथ्या बुकिंग अथवा ओपन वारन्ट के प्रति मजदूरी के जोखिम को दर्शाता है।
- हमने पाया कि स्वदेशी टैंको के उत्पादन ने थल सेना की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए नियोजित कार्यक्रम को पूरा नहीं किया था। 2004 में इस आश्वासन के विपरीत कि डिजाईन स्थिर किये गए हैं, डिजाईन में बार-बार परिवर्तन के कारण एमबीटी अर्जुन का उत्पादन बन्द हो गया था। थल सेना द्वारा नई आवश्यकताओं को जोड़ने, जो मूल जीएसक्यूआर में अभिकल्पित नहीं थी, के कारण पहले से विनिमित एमबीटीज का विखण्डन करना पड़ा। आयुध फैक्ट्रियों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सर्जन में विलम्ब तथा गुणवत्ता पुर्जे जोड़ने में समस्याओं ने एमबीटी अर्जुन के विलम्बित उत्पादन में और विलम्ब किया।
- टी-90 टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण डिजाईन दस्तावेज के रूपान्तरण में विलम्ब तथा कुछ गंभीर पुर्जों पर डिजाईन साझा करने में रूसी फर्म की अक्षमता से प्रभावित हुआ था। इन डिजाईन पर वैकल्पिक उपायों पर निर्णय लेने में विलम्ब ने समस्या को और बढ़ा दिया था।
- दोनों टैंकों एमबीटी अर्जुन तथा टी-90 के उत्पादन में असामान्य विलम्ब के कारण ₹4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों का नया आयात करना पड़ा (नवम्बर 2007)। जबकि सितम्बर 2011 में संस्वीकृत टी-90 टैंकों की उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए परियोजना की प्रगति बहुत धीमी थी फिर भी थल सेना से एमबीटी अर्जुन के लिए अतिरिक्त आदेशों के अभाव में एमबीटी अर्जुन के लिए विद्यमान सुविधाएं न्यून उपयोग में पड़ी रहीं।

- दस नमूना जांच की गई आयुध फैक्ट्रियों में मशीनों की अधिप्राप्ति की समीक्षा से पता चला कि 2007-12 के दौरान इन फैक्ट्रियों ने नई मशीनरी पर ₹755 करोड़ का व्यय किया किन्तु इससे क्षमता संवर्धन नहीं हुआ। वास्तव में फैक्ट्री में मशीन घंटों की उपलब्धता में 2010-11 में 683 लाख घण्टे से 2012-13 में 639 लाख घंटे की गिरावट का रूझान था। यह कई तत्वों के संयोजन के परिणामस्वरूप हुआ अर्थात खराब मशीनों के प्रति स्थापना की गति में विलम्ब, नई मशीनों की प्राप्ति और चालू होने में विलम्ब और खराबियों की अधिक घटनाएं। बोर्ड ने इन कमियों को प्रभावी रूप से नहीं दर्शाया और ना ही उसने कमियों को दूर करने के सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की ताकि मशीनों का दक्षतापूर्ण और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके और उनसे अभिप्रेत लाभ प्राप्त किए जा सके।
- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने रूस के साथ 50 एस यू-30 एमके एयरक्राफ्ट की सीधी खरीद की (1996 और 1998) और 140 एयरक्राफ्ट उसके इंजनों और उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत को लाइसेंस तथा तकनीकी प्रलेखन के हस्तांतरण के लिए अंतर सरकारी करार किया था (अक्तूबर 2000)। आईएएफ ने एचएएल के 140 एयरक्राफ्ट का आदेश दिया (जनवरी 2001) जिसके अनुसार सुपुर्दगी 2017-18 तक निर्धारित की गई थी जिसे बाद में, मार्च 2006 से पहले कर 2014-15 कर दिया गया था। एचएएल ने लाइसेंस उत्पादन को सुगम बनाने के लिए रोसोबोरोन एक्सपोर्ट (आरओई) के साथ एक सामान्य संविदा हस्ताक्षिरत की (दिसम्बर 2000)। एचएएल ने यथा अपेक्षित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सभी संघटकों को प्राप्त नहीं किया जिसने डिलिवरेबल्स की सामायिक आपूर्ति को प्रभावित किया। कच्चे माल के स्तर से इंजनों के उत्पादन और मरम्मत और ओवरहाल के लिए अपेक्षित सुविधाओं को स्थापित करने में विलम्ब हुए थे। एचएएल ने खरीद उत्पादन अनुसूची के समकालिक न होने के कारण आवश्यकता से पूर्व ही ₹1725.41 करोड़ का माल अधिप्राप्त कर लिया।
- एचएएल द्वारा दिसम्बर 2000 के सामान्य संविदा में निर्धारित मूल्य की उपेक्षा करते हुए इंजन किटों की अधिप्राप्ति के लिए नई दर के स्वीकरण के परिणामस्वरूप ₹66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- एमओडी द्वारा संविदा में संशोधन करते समय गलत विनिमय दर के अपनाने के कारण एचएएल को अतिरिक्त 40 एयरक्राफ्ट के लिए संविदा के प्रति एयरक्राफ्ट की आपूर्ति में ₹101.72 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

भारतीय रेल में लौह अयस्क यातायात के परिवहन के लिए दोहरी माल भाड़ा नीति (2015 का प्रतिवेदन सं. 14)

हमने रियायती दर की अनियमित अनुमति के कारण बड़ी मात्रा में मालभाड़ा अपवंचन या शास्ति न लगाने के मामले पाए। रेलवे द्वारा 5083 रैकों के संबंध में स्वदेशी विनिर्माण के लिए लौह अयस्क के लिए लागू कम दरों पर मालभाड़ा प्रभारित करते हुए 'लौह अयस्क' की बुकिंग को अनुमत करने के कारण मई 2008 से सितम्बर 2013 तक की अवधि के दौरान ₹2309.06 करोड़ का मालभाड़ा अपंवचन हुआ। अन्तिम प्रयोक्ता सत्यापन की सुविधा के लिए पूर्ण और निर्धारित दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए थे।

अमान्य दस्तावेजों के आधार पर 190 रैकों की बुकिंग के परिणामस्वरूप ₹108.42 करोड़ का मालभाड़ा अपवंचन हुआ।

शपथ पत्र में त्रुटियों के कारण ₹830.04 करोड़ की उद्ग्राह्य शास्ति के अलावा ₹4508.61 करोड़ का मालभाड़ा अपवंचित हुआ।

भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के संबंध में दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने/आंशिक प्रस्तुतीकरण/अमान्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ की शास्ति के अतिरिक्त ₹4838.80 करोड़ का मालभाड़ा कम प्रभारित हुआ।

61 प्रेषितियों के संबंध में ईआर्स में प्राप्त दर्शाई गई कुल 71.22 लाख एमटी की मात्रा रेल द्वारा परिवहन की गई मात्रा से काफी कम थी, जो दर्शाता है कि घरेलू दर पर बुक की गई और परिवहन की गई मात्रा व्यापार/निर्यात के लिए तीसरी पार्टी को दी गई थी। यह मात्रा घरेलू दर की पात्र नहीं थी और ₹5095.97 करोड़ की शास्ति लगी। इनमें से 48 प्रेषिति निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहें।

रेलवे वित्त (2015 का प्रतिवेदन सं.15)

- रेल भाड़ा अर्जन की वार्षिक वृद्धि दर तीव्रता से गिर कर 22.60 प्रतिशत से 10.14 प्रतिशत हो गई और यात्रियों से अर्जित राशि पिछले वर्ष के 10.89 प्रतिशत से बढ़कर 16.63 प्रतिशत हो गई।
- भारतीय रेल में प्रचालन अनुपात में (यातायात अर्जन के प्रति कार्यचालन व्यय की प्रतिशतता) 2012-13 में 90.19 से 2013-14 में 93.60 तक की गिरावट आई।
- 2013-14 में लाभांश देयता पूरी करने के बाद निवल यातायात प्राप्ति में 47.93 प्रतिशत की कमी और बजट प्राक्कलन में 28.16 प्रतिशत तक लाभांश के अधिक भुगतान के कारण निवल बेशी 2012-13 में ₹8,266.25 करोड़ की तुलना में घट कर ₹3,740.40 करोड़ हो गया था।
- रेलवे निधि में उपलब्ध शेष 2008-09 में ₹15,654.68 करोड़ से घट कर 2013-14 में ₹6,025.28 करोड़ रह गया था।
- पूंजीगत निधि में अपर्याप्त निधि के कारण, भारतीय रेल ने 2011-14 की अवधि के दौरान अपनी स्वयं की लेखाकरण नीति के उल्लंघन में सामान्य बजटीय सहायता से भारतीय रेलवे वित्त निगम को ₹12,629.49 करोड़ का भुगतान किया।
- 2012-13 के दौरान, यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं पर ₹26,025.46 करोड़ की हानि हुई थी। मालभाड़ा सेवाओं में ₹33,221.24 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया था। भारतीय रेल ने पिछले वर्ष में (-) 2.46 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में यात्री सेवाओं पर हानि की छूट के बाद प्रचालनात्मक लाभ में सुधार दर्शाते हुए मालभाड़ा अर्जन पर लाभ का 21.66 प्रतिशत बनाए रखा।
- भारतीय रेल ने पूंजीगत अनुदान (एक खण्ड) और विनियोजन (दो खण्ड) में ₹842.66 करोड़ और 6 राजस्व अनुदानों और 10 विनियोजनों में अनुमोदित विनियोजनों की अधिकता में ₹1,877.09 करोड़ का व्यय किया।
- भारतीय रेल का योजना व्यय मुख्य रूप से सामान्य बजटीय सहायता और रेलवे के आन्तरिक संसाधनों से वित्त पोषित किया जाता था। 2013-14 में,

चालू परियोजनाओं के भारी संचयन के बावजूद पिछले छ: वर्षों की लगातार बचत के बाद सामान्य बजटीय सहायता से ₹841.84 करोड़ का अधिक व्यय हुआ था।

- यातायात लेखों में बकाया शेष उगाहे न गए अर्जन को दर्शाता है। भारतीय रेल के खाते में यातायात लेखों के अन्तर्गत शेष मार्च 2010 में ₹1,149.06 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2014 तक ₹1,590.33 करोड़ हो गया था।

वाणिज्यिक (2014 का प्रतिवेदन संख्या 2)

- 30 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकारी निदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹3,588 करोड़ की कमी हुई।
- 327 सरकारी कम्पनियों में से, 65 कम्पनियों में इक्विटी निवेश उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्णत:समाप्त हो गया था। परिणामत: इन कम्पनियों की सकल निवल सम्पति 31 मार्च 2013 को ₹68.202 करोड़ की सीमा तक ऋणात्मक हो गई थी।
- त्रि-चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव लाभकारिता पर ₹4595 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹4349 करोड़ था।
- सांविधिक निगमों के मामले में जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां ₹6222 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन हमारी लेखापरीक्षा के कहने पर किया गया था।
- डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए दो मामलों में ₹46.23 करोड़ की राशि के अनियमित भुगतान हुए।
- एक मामले में, डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹95.60 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।
- जेवीज़/विदेशी सहायकों में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश मार्च 2013 तक ₹70,761 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, 84 जेवीज़ (भारत में समावेशित 76 जेवीज़ और असमावेशित 8 जेवीज़) में 23 सरकारी कम्पनियों/

निगमों द्वारा मार्च 2013 तक ₹10,300 करोड़ का निवेश किया गया था। इन जेवीज़/विदेशी सहायकों के लेखाओं का संसदीय निरीक्षण नहीं किया गया था।

स्ट्रैस्ड असैट्स स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) (2014 का प्रतिवेदन संख्या 5)

- नॉन परफार्मिंग एसेट्स (मार्च 2004 तक लगभग ₹9000 करोड़ तक) को विशेष उद्देश्य माध्यम के रूप में स्ट्रैस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) रूपी ट्रस्ट गठित कर, उसमें हस्तांतरित किया गया था। सरकार ने ट्रस्ट को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बजट में ₹9000 करोड़ उपलब्ध करवाए थे। हमने इन हस्तांतरित ऋणों की वसूली के निष्पादन की समीक्षा की और ₹1,335.29 करोड़ के एनएलओ सहित तीन नए मामलों के लिए ₹1,522.29 करोड़ के बकाया निवल ऋण (एनएलओ) सहित आठ टर्नएराउन्ड मामलों के अस्वीकार्य विनिमय पाए। आईडीबीआई बैंक के ट्रस्ट द्वारा अप्राधिकृत रूप से हस्तांतरित 8 ऋणों पर ₹1,522.29 करोड़ के बकाया निवल ऋण (एनएलओ) के प्रति ₹1,659 करोड़ की वसूली की गई थी। दूसरी तरफ ट्रस्ट ₹1,335.29 करोड़ के एनएलओ के साथ केवल ₹360.32 करोड़ की वसूली कर सका।
- ₹2933.12 करोड़ के कुल एनएलओ वाले 319 निपटाए गए मामलों में से 150 को एनएलओ से कम की राशि पर निपटाया गया था जो कम वसूली ₹915.17 करोड़ के बराबर थी। इसी प्रकार, ₹2,878.29 करोड़ के कुल एनएलओ वाले 101 समाधित मामलों में से 60 मामलों में वसूली ₹2,650.30 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹828.94 करोड़ थी। असमाधित श्रेणी में ₹625.32 करोड़ के एनएलओ वाले 79 मामलों में ट्रस्ट कोई वसूली नहीं कर सका और शेष 132 मामलों में यह ₹2,380.37 करोड़ के एनएलओ के प्रति केवल ₹396.75 करोड़ की वसूली कर सका था।

2014 का प्रतिवेदन संख्या 13

- सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक नियंत्रक कम्पनी ने ई-नीलामी ग्राहकों से वाशरी प्रभारों की वसूली नहीं

की, जैसा कि सीआईएल की अन्य सहायक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में प्रथा चल रही थी, जिसके कारण अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹418.58 करोड़ के अर्जन करने के अवसर की हानि हुई।

- एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड ने कमियों के बावजूद एनएसईएल के लिए लगातार व्यापार किया जिसके परिणामस्वरूप दो कम्पनियों के ₹341.72 करोड़ अवरूद्ध हुए।एक्सचेंज पर व्यापार प्रथा के अनुसार क्रय भुगतानों और विक्रय वसूली के बीच समयांतराल के कारण राशि वसूली योग्य थी। एनएसईएल ने अगस्त 2013 से दोनो कम्पनियों को इसके प्राप्यों का भुगतान करने में लगातार चूक की।
- पैट्रोलियम प्रचालनों में खपत हेतु मानित निर्यातों के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान से विदेशी व्यापर नीति हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल (एचएफएचएसडी) की खरीद में योग्य क्षेत्रों में छूट देती हैं, यदि ऐसे एचएफएचएसडी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) द्वारा खरीदे गए हों। ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड ने 2006-13 के दौरान अपने योग्य क्षेत्रों में इनके पेट्रोलियम प्रचालन हेतु आईसीबी का सहारा लिए बिना एचएफएचएसडी की खरीद की। 2006-13 के दौरान ₹326.75 करोड़ का मानित निर्यात लाभ न लेने के कारण परिहार्य व्यय हुआ था।
- पांच सीपीएसईज (ओएनजीसी, मीकान, आरईसीएल, भेल और बीडीएल) ने निष्पादन संबंधित वेतन के भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया और 2008-09 से 2012-13 के लिए ₹202.95 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।
- कार्य समापन की तारीख से टोल के संग्रहण को प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियमावली 2008 में अनुबद्ध 45 दिनों के प्रति किए गए एनएच-2 पर इलाहाबाद बायपास परियोजना पर टोल संग्रहण लगभग तीन वर्षों (नवम्बर 2009 से जुलाई 2012) के विलम्ब के बाद प्रारम्भ हो सका जिसके परिणामस्वरूप ₹150.09 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- बीआईएफआर दिशानिर्देशों के अनुसार बातचीत के विकल्प का उपयोग किए बिना भारत टेक्सटाइल मिल्स, मुम्बई (सितम्बर 2010) की भूमि की बिक्री को एक सप्ताह पूर्व हुई सन्निकट भूमि की बिक्री से कम दर पर करने के नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के निर्णय के परिणामस्वरूप भूमि की बिक्री से ₹156.97 करोड़ से अधिक अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों में प्रमुख पैट्रोलियम उत्पादों का कीमत निर्धारण तंत्र (2014 का प्रतिवेदन संख्या 14)

- दावों की कम वसूली के विलम्बित निपटान के संदर्भ में कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने सरकार द्वारा जारी तेल बांडों को छूट पर बेचा और ₹3,994 करोड़ की हानि उठाई। ओएमसीज़ ने भी उधार की कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर ₹22,802 करोड़ व्यय किए और 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्षतिपूर्ति जारी करने में विलम्ब के कारण ₹5,180 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई। नकद क्षतिपूर्ति की घोषणा में विलम्ब से भी ओएमसीज द्वारा अग्रिम आय कर के कम भुगतान पर ₹381 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन (2014 का प्रतिवेदन संख्या 36)

- एनएचएआई ने 31 मार्च 2012 को ₹9,928.31 करोड़ और 31 मार्च 2013 को ₹5,933.59 करोड़ बैंक के पास सावधि जमा करवाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार ने कर मुक्त बांड के माध्यम से उधार ली गई निधियों में से 9.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर सावधि जमा में निवेश किए गए अधिशेष धन पर 32.45 प्रतिशत के कारपोरेट दर लगाते हुए ₹135.87 करोड़ की सीमा तक कर राजस्व अर्जन करने का अवसर खो दिया।
- दो परियोजनाएं नामत: नागपुर-बेतुल और लखनऊ-रायबरेली इस तथ्य के बावजूद 4-लेनिंग के लिए अनुमोदित की गई थी कि न्यूनतम थ्रेशहोल्ड यातायात अगले पांच से 12 वर्षों में प्राप्त करना सम्भव नहीं था। अनावश्यक 4-लेनिंग से ₹1,724.10 करोड़ की अतिरिक्त निर्माण लागत आएगी जोकि

सड़क प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली बढ़ी हुई उपयोक्ता फीस जोकि 2-लेन की तुलना में 4-लेन के लिए 66.67 प्रतिशत तक अधिक होने के साथ ही परिहार्य थी।

- वाराणसी-औरंगाबाद परियोजना जो केवल 2034 में छः लेनिंग के लिए न्यूनतम थ्रेशहोल्ड सीमा प्राप्त करेगी को समयपूर्व छः लेन के उन्नयन के लिए लिया गया जिसके परिणामस्वरूप एनएचएआई पर व्यवहार्यता अन्तराल निधियन द्वारा और 24 वर्षों के लिए सरकार द्वारा टोल राजस्व छोड़ने से ₹565 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।
- एनएचएआई ने रियायत अवधि का निर्धारण करते समय रियायत अवधि के अवधारण के लिए राजमार्ग के स्ट्रेच पर कुल यातायात अपनाने के बजाय केवल टोल योग्य परिवहन पर विचार किया जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर रियायत अवधि का निर्धारण हुआ जिससे रियायत अवधि के अंत में यातायात भीड़भाड़ में बढोतरी के अलावा सड़क प्रयोक्ताओं पर ₹28,095.54 करोड़ (एनपीवी ₹3,233.71 करोड़) के टोल के रूप में भार पड़ेगा।
- आंशिक रूप से पूरे किए गए चार स्ट्रेचों पर टोलिंग की अनुमति देने के एनएचएआई के निर्णय के परिणामस्वरूप सड़क प्रयोक्ताओं पर ₹161.67 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।
- 6-लेनिंग परियोजनाओं में छूट ग्राहियों द्वारा एकत्र की गई ₹902.89 करोड़ की टोल राशि को 'रोकी गई राशि खाता' में हस्तांतरित नहीं किया गया। यद्यपि परियोजना के माइलस्टोन छूट ग्राहियों द्वारा प्राप्त नहीं हुए थे। दिल्ली, आगरा परियोजना के मामले में जिसमें मै. रिलायन्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सफल बोलीदाता था, माइलस्टोन प्राप्त नहीं करने के मामले में टोल संग्रहण को रोकने के लिए अन्य 6 लेनिंग रियायत करार में उपलब्ध खण्ड 31.3.1ए रियायत करार में नहीं था।
- एनएचएआई ने 23 परियोनाओं में कार्यक्षेत्र के परिवर्तन के कारण ₹856.80 करोड़ व्यय किए जिस में से ₹662.53 करोड़ का व्यय त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट के कारण हुआ।

- एनएचएआई वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) को प्राप्त करने में विलम्ब के कारण, छः पूरी की गई वार्षिकी परियोजनाओं में टोल संग्रहण को शुरू नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹259.47 करोड़ के अनुमानित टोल संग्रहण की उगाही नहीं हुई। इसके अलावा, ₹171.37 करोड़ का टोल, टोल अधिसूचना को जारी करने में विलम्ब (₹157.65 करोड़) के कारण और इन परियोजनाओं के लिए टोल अधिसूचना को जारी करने के बाद टोल संग्रहण शुरू करने में विफलता के कारण (₹13.72 करोड़) संग्रहीत नहीं किया जा सका।
- ₹303.62 करोड़ का टोल राजस्व निर्माण कार्य पर व्यय करने के बजाय दिल्ली-आगरा और पुणे-सतारा परियोजनाओं में रियायत ग्राहियों द्वारा विपथित कर रिलायन्स म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया था।

प्रत्यक्ष कर (2015 का प्रतिवेदन सं. 3)

- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई आपत्तियों के आधार पर 2013-14 के दौरान ₹3659.7 करोड़ की वसूली की।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्यक्ष करों में वि.व. 2012-13 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में (₹79,607 करोड़) 14.2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि सकल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीयवर्ष 2012-13 में 53.9 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 56.1 प्रतिशत हो गया।
- वि.व. 2009-10 से वि.व. 2013-14 की अवधि के दौरान निगम कर और आय कर की औसत वृद्धि दर क्रमश 15.3 प्रतिशत और 23.6 प्रतिशत थी।
- कर छूटों के कारण छोड़े गए राजस्व में वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹1.02 लाख करोड़ के प्रति वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹1.16 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2010-11 से छोड़े गए राजस्व में निरपवाद रूप से वृद्धि हो रही हैं।
- संवीक्षा निर्धारण मामलों के कुल 7 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में केवल 2.8 लाख मामलों का निपटान किया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹4.86 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹5.75 लाख करोड़ हो गई। विभाग

ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 94 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

- हमने देखा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹1,121.2 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,427 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गये।
- आयकर आयुक्त (अपील) ने वि.व. 2013-14 में निपटान हेतु 3.03 अपीलों में से मात्र 87,770 अपीलों का निपटान किया और सीआईटी (ए) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.99 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.15 लाख हो गई।
- लेखापरीक्षा ने निपटान आयोग और आयकर विभाग की तरफ से विभिन्न स्तरों पर काफी विलम्ब देखा क्योंकि 1 जून 2007 से पूर्व फाईल किए गए कई आवेदन निपटान हेतु अब भी आयोग के पास लंबित है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने आयोग को अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करने में और आयोग के आदेशों को लागू करने में काफी समय लिया।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आयकर का निर्धारण (2015 का प्रतिवेदन सं. 5)

- हमने निर्धारण में प्रणालीगत, अनुपालन और नियंत्रण मामलों से संबंधित 246 मामले पाए जिनमें ₹ 1,348.44 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग ने निर्धारितियों के डाटाबेस के साथ साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों के डाटा का अनुरक्षण नहीं किया और इसलिए ऐसे प्रोत्सोहनों के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका। आयकर विभाग ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के साथ दावों की प्रति जांच किए बिना आर एंड डी के लिए व्यय पर भारित कटौती अनुमत की जिसमें ₹570.59 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- आयकर विभाग ने ऐसे आरएंडडी से लाभांवित होने वाली यूनिटों के बीच कारोबार व्यय, आरएंडडी व्यय, आरएंडडी व्यय के आवंटन अनुमत करने में त्रुटियां की, निर्धारणों में बेमेलता, अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों से संबंधित अनियमितताएं, गणितिय त्रुटियां इत्यादि जिसमें ₹714.24 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने कानून द्वारा प्रतिबंधित

फार्मास्यूटिकल उद्योग से सीधे संबंधित कारबार नहीं होने के बावजूद व्यय अनुमत किए थे जिनमें ₹55.10 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

मूल्यह्रास एवं परिशोधन की अनुमति (2014 का प्रतिवेदन सं. 20)

- अधिनियम में यथा प्रावधानित भिन्न परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के ब्लाक पर मूल्यह्रास की दरें उन्हीं परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से भिन्न हैं। हमने पाया कि अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास 6,267 मामलों में उच्च तथा 5,926 मामलों में कम था और यह अन्तर क्रमश: ₹57,665.41 करोड़ तथा ₹11,754.80 करोड़ तक था। अधिनिमय के अन्तर्गत मूल्यह्रास की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग ने कर योग्य आय की संगणना में अतिरिक्त प्रयास किए।
- परिसम्पत्तियों के उपयोग के आधार पर मूल्यह्रास की आनुपातिक अनुमति के विद्यमान न होने के कारण निर्धारितियों ने अनभिप्रेत लाभों का दावा किया है। हमने पाया कि 986 निर्धारितियों ने मार्च माह में ₹1,41,725.45 करोड़ की विभिन्न परिसम्पत्तियों के संवर्धन किए और मार्च माह में ही खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर केवल मार्च माह के लिए यथानुपात आधार पर ₹2,602.61 करोड़ के स्वीकार्य मूल्यह्रास के स्थान पर ₹15,617.86 करोड़ के मूल्यह्रास का दावा किया।
- 20 निर्धारितियों ने परिसम्पत्तियां, जो किंचित उनके स्वामित्व में नहीं थीं, पर मूल्यह्रास का दावा किया जिसकी उन्हें अनुमति दी गई। इसके कारण ₹92.79 करोड़ तक आय का अवनिर्धारण हुआ। 35 निर्धारितियों को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अनुमत किया गया जो कारबार में उपयोग नहीं की गई थीं, जिसके कारण ₹43.96 करोड़ की कम वसूली हुई। 29 मामलों में परिसम्पत्तियों की वास्तविक कीमत तथा अवलेखित मूल्य के निर्धारण में गलतियों के कारण मूल्यह्रास की अधिक अनुमति हुई जिसमें ₹85.47 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। 18 मामलों में मूल्यह्रास परिकलित करते समय एओ ने परिसम्पत्तियों की लागत से प्राप्त पूँजीगत निवेश आर्थिक सहायताओं को कम नहीं किया। फलतः ₹35.65 करोड़ आय का अवनिर्धारण हुआ।

- 44 निर्धारितियों ने आय की संगणना में मूल्यह्रास के सही आंकडे अपनाने में गलतियां कीं जिनमें ₹212.97 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। 142 मामलों में आयकर नियमावली 1962 में प्रदान दरों से उच्च दरों पर मूल्यह्रास अनुमत किया गया था। मूल्यह्रास की अधिक अनुमति में ₹107.85 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।
- 87 मामलों में मूल्यह्रास अग्रेनीत करने/समंजन करने में गलतियां हुई जिसके परिणामस्वरूप आय का अवनिर्धारण हुआ, जिसमे ₹694.65 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। 26 निर्धारितियों ने अनियमित दावा किया और उन्हें पूँजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में अनियमित अनुमति दी गई जिससे आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹344.97 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। एओ ने 99 मामलों में अतिरिक्त मूल्यह्रास स्वीकार करने में गलतियां कीं जिसमें ₹656.19 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- पूर्व वर्ष में परिसम्पत्तियों के ब्लाक में किए गए संवर्धनों के संबंध में मूल्यह्रास के लिए निर्धारितियों के दावों की सच्चाई के सत्यापन के लिए आयकर विभाग में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। आयकर विभाग में इस संबंध में सितम्बर 2007 में सीबीडीटी द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के बावजूद भावी समंजन के लिए अग्रेनित अनावशोषित मूल्यह्रास की सही प्रास्थिति पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र/ डाटाबेस या अनुरक्षण रजिस्टर/अभिलेख नहीं है। आयकर विभाग के पास मूल्यह्रास की अनुमति देने के उद्देश्य और उस पर अनावशोषित मूल्यह्रास के समंजन के लिए किए जाने वाले अवलेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) की स्टीकता को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावकारी तंत्र नहीं है। इसके अभाव में एओज़ ने डब्ल्यूडीवी को आगे बढ़ाने में गलतियां की।

निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार (सनदी लेखाकर) की रिपोर्टिंग का मूल्यांकन (2014 का प्रतिवेदन सं. 32)

- कर लेखापरीक्षक 66 मामलों में मूल्यह्रास की अनुमति के संबंध में सही जानकारी देने में विफल रहे जिसमें ₹457.79 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था।

- कर लेखापरीक्षकों ने अग्रेनीत हानि/मूल्यह्रास के संबंध में सही जानकारी नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप 46 मामलों में अनियमित अग्रेनीत हानि/मूल्यह्रास अनुमत हुई जिसमें ₹557.79 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था।
- 42 मामलों में व्यक्तिगत/पूंजीगत व्यय की गलत रूप से अनुमति दी गई थी क्योंकि उनकी कर लेखापरीक्षकों ने अपनी कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में राशि की सूचना नहीं दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹477.89 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।
- सीए ने ₹259.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले 74 मामलों में विभिन्न छूटों और कटौतियों के लिए गलत जानकारी/दावों को प्रमाणित किया।
- सीए ने ₹1,037.61 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 132 मामलों में टीएआर/ प्रमाणपत्रों में गलत/अधूरी जानकारी दी।
- सीएज़ ने अन्य 616 मामले में गलतियां की अर्थात् छूटों/कटौतियों की अनुमति में, धारा 115 जेबी के अन्तर्गत बुक लाभ पर कर प्रभारित करना, आर्म्स लैन्थ कीमत अपनाना और ₹20,000 प्रतिदिन से अधिक के नगद भुगतानों की सूचना देना आदि।
- निर्धारण अधिकारी, निर्धारितियों द्वारा उनको प्रस्तुत की गई 102 रिपोर्टों/ प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विफल रहे जिसके कारण ₹1,310.05 करोड़ के करों का कम उदग्रहण हुआ।
- सीए के कार्य की मॉनीटरिंग और कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संबंध में, आईसीएआई ने एक वित्तीय वर्ष में कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या को सीमित करने के लिए इसके सदस्यों का मार्गदर्शन जारी किया है। यह पाया गया कि नि.व. 2013-14 के लिए 18.87 *प्रतिशत* सीए (12,435 सीए) ने आईसीएआई द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक कर लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (2014 का प्रतिवेदन सं. 29)

- पांच कमिश्नरियों से ₹1.82 करोड़ की अल्प राशि वाले ग्यारह मामले 30 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न न्यायालयों में अभियोजनाधीन हैं। विभाग ₹31.50

करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले 43 अभियोजन मामलों में शिकायत दर्ज करने की तारीख के ब्यौरे प्रदान करने में समर्थ नहीं था। 27 कमिश्नरियों में 138 अभियोजन मामलों में अभियोजन आरम्भ करने के लिए मुख्य आयुक्त की अनिवार्य संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए जांच रिपोर्टें भेजने में विलम्ब हुए थे।

- 37 कमिश्नरियों तथा डीजीसीईआई, दिल्ली से सम्बन्धित 175 मामलों में न्यायालयों में शिकायतें दायर करने में एक माह से 15 वर्षों का विलम्ब हुआ था। विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान की कमी के कारण न्यायालय कार्यवाहियों में विलम्ब के उदाहरण देखे गए थे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (2014 का प्रतिवेदन सं. 33)

- हमने ₹587.56 करोड़ राजस्व वाले मांग के अधिनिर्णयन में एक वर्ष से पांच वर्षों तक का विलम्ब देखा।
- इनपुट / पूंजीगत माल को 'उसी रूप में' निकासी के समय इनपुट सेवाओं से संबंधित समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट विपरीत करने के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमों में प्रावधान का अभाव था। हमने ₹87.37 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले 44 मामले देखें।
- हमने ₹547.93 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल के गलत मूल्यांकन के 25 मामले देखें।

राज्यों के विधानमंडलों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

आन्ध्र प्रदेश (2015 का प्रतिवेदन सं. 2)

- हमने चयनित मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में पुन: स्थापना और पुनरूद्धार (आर एंड आर) उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और आर एंड आर प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर विलम्ब पाए। नमूना जांच की गई 10 परियोजनाओं में से किसी में भी परियोजना वार व्यापक आर एंड आर योजना तैयार नहीं की गई थी। नमूना जांच की गई 10 परियोजनाओं में अपेक्षित 439 आर एंड आर केंद्रो में से भूमि अधिग्रहण केवल 174 आर एंड आर केन्द्रो में पूरा किया गया था। संरचनात्मक सुविधाएं केवल 97 केंद्रों में विकसित की गई थी और कुल 74,169

पीडीएफ (पोलावरम परियोजना का छोड़कर) में से परियोजना के प्रारंभ से आठ वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी केवल 12,091 को ही अभी तक पुन: स्थापित किया गया था।

असम - काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर प्रतिवेदन (केएनपी)

- उद्यान की परिधि में न तो पर्याप्त संख्या में कोई शिकाररोधी कैंप थे न पक्की परिधि-सुरक्षा योजना थी। 2008-09 से 2012-13 के दौरान केएनपी के किसी भी वन्यजीव गार्डों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। वृद्ध स्टाफ को फ्रंटलाइन डयूटी पर तैनात किया गया था। शिकार के बढ़ते मामलों/शिकारियों के गिरफ्तार होने के बावजूद केएनपी में नए भर्ती हुए लोगों को स्थानांतरित करने के कारण रिकार्ड पर नहीं थे।
- 2010-11 से 2012-13 के लिए नियोजित ₹93.76 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के प्रति केएनपी प्राधिकारियों को केवल ₹17.37 करोड़ ही प्राप्त हुए।
- यद्यपि 83 कार्मिकों ने काम पर अपनी जान गंवाई थी फिर भी, परिवार के सदस्य अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं ले सके। इसके अलावा, फ्रंटलाईन स्टाफ को भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते उनके कार्य की कठिन प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं।

बिहार (2014 का प्रतिवेदन सं. 1, 2 एवं 3)

- किशोरियों का डाटा विश्वसनीय नहीं था और योजना की दिशानिर्देशों के विपरीत, 18 वर्ष से अधिक की लड़कियों और 11 से 14 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़कियों को किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना-सबला के लाभ दिया जा रहा था।
- 31 मार्च 2014 तक, 33 कार्यकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (30 कम्पनियां और तीन सांविधिक निगम) और 40 गैर कार्यकारी कम्पनियां थी। 30 सितम्बर 2014 तक 29 कार्यकारी पीएसयू में 199 लेखे बकाया थे और बकायों की समयसीमा एक से 23 वर्ष की थी।
- बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम निधियों की उपलब्धता के बावजूद सही बसों की फ्लीट क्षमता का अनुरक्षण नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप 54 प्रतिशत

से 77 प्रतिशत बसों को चलाया नहीं जा सका और निगम को ₹165.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- दोषपूर्ण पीपीपी करारों के परिणामस्वरूप निगम द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता और घटिया मॉनीटरिंग के कारण निगम को ₹13.72 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।
- दो चैक पोस्टों पर ₹5,402.37 करोड़ मूल्य के प्रेषण के साथ 12,552 वाहनों ने बिहार में पारगमन के लिए आउट टू आउट सुविधा का प्रयोग किया। वाहनों ने बिहार में प्रवेश किया किन्तु प्रस्थान नहीं किया जिससे राजस्व रिसाव हुआ।
- 11 वाणिज्यिक कर सर्किलों में, 15 व्यापारियों द्वारा ₹217.87 करोड़ की बिक्री/क्रय टर्न ओवर के छिपाव के परिणामस्वरूप उद्ग्राह्य शास्ति और ब्याज सहित ₹76.27 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ।
- चार वाणिज्यिक कर सर्किलों में सात व्यापारियों द्वारा इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) के अनियमित दावे के परिणामस्वरूप उद्ग्राह्य शास्ति और ब्याज सहित ₹33.80 करोड़ की आईटीसी की अधिक अनुमति हुई।
- भागलपुर वाणिज्यिक कर सर्किल में, शास्ति और बिजली की बिक्री सहित ₹416.96 करोड़ की राशि के विद्युत शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।
- निम्नतर निविदाकार द्वारा उद्धृत दर के बजाए उनकी निविदागत दर के आधार पर विभेदक राशि के भुगतान की अनुमति के कारण विभाग ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹341.32 करोड़ से वंचित रहेगा।

छत्तीसगढ़ (2014 का प्रतिवेदन सं. 1 एवं 3)

- विभाग ने लाइसेंसधारकों से ₹178.41 करोड़ की लाइसेंस फीस की वसूली के लिए कोई नियम नहीं बनाएं जो उनके द्वारा उपभोक्ताओं से शराब की बिक्री के दौरान न्यूनतम गारंटीड कोटा से अधिक संग्रहित किए गए थे। उत्पाद शुल्क कमिश्नर द्वारा विदेशी शराब की औसत शुल्क के गलत निर्धारण के कारण कुल ₹79.35 करोड़ के शुल्क और लाइसेंस शुल्क की कम उगाही हुई।
- बेकार बांस के जंगल के सुधार का मूल्यांकन न करने के परिणामस्वरूप ₹26.47 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। अयोग्य क्षेत्रों में बेकार बांस के

जंगल के सुधार के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹9.73 करोड़ का अधिनियमित / परिहार्य व्यय हुआ। विभाग ने बांस के वृक्षारोपण पर ₹28.26 करोड़ का व्यय किया। 1.91 लाख हेक्टेयर के बॉस क्षेत्र वाले बांस कूपों का दोहन न होने के परिणामस्वरूप ₹39.10 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

दिल्ली (2015 का प्रतिवेदन सं. 1 एवं 2)

- गैर पंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदारों, टर्नओवर का छिपाव, विवरणियों का फाइल नहीं किया जाना, टीडीएस की कटौती न किया जाना, और टर्नओवर के अवनिर्धारण के 55 मामलों का पता लगाने के लिए अंतर्विभागीय प्रतिसत्यापन की एक प्रणाली प्रारंभ करने में व्यापार एवं कर विभाग की असफलता के कारण ब्याज और शास्ति सहित ₹98.26 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
- विभाग के खराब संविदा प्रबन्धन तथा विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने फलस्वरूप वाहन मालिकों पर ₹3.19 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। 10,17,764 वाहनों में से केवल 1,70,581 वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स (एचएसआरपी) लगाई गई थी। विभाग के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे वाहनों का पता लगाने का कोई तंत्र नहीं था।
- दिल्ली राज्य स्पेशियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस परियोजना की लागत के प्रति ₹116.86 करोड़ जारी होने के बावजूद अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया। इसके बाद के निष्पादन से परियोजना के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा डाटा की प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता का पता चलता है जिसके परिणामस्वरूप ₹50.29 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समर्थित शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्रों में अध्ययनरत 18,000 बच्चों में से केवल 1,154 बच्चों को 2013-14 की अवधि के दौरान शामिल किया गया था। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में निर्धारित दिनों की संख्या तक मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया था। 2010-14 के दौरान पकाए गए भोजन के 2,102 नमूनों में से कुल 1,876 नमूने (89 प्रतिशत) पोषण मूल्य के परीक्षण में विफल रहें।

- जेल में 6,250 की क्षमता के प्रति 14,209 कैदियों को रखा गया था। नरेला, बापरोला और घिटोरनी में भूमि अधिग्रहण न होने या विलम्ब से होने के कारण नई जेलों का प्रस्तावित निर्माण कार्यान्वित नहीं हो सका। 1:6 के अभीष्ट अनुपात के प्रतिकूल गार्ड कर्मचारियों एवं कैदियों का वास्तविक पदासीन संख्या का अनुपात 1:16 से 1:21 था। डाक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, और प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी के कारण 93,224 कैदियों को 2009-14 के दौरान बाहरी अस्पतालों में भेजा गया, जिनमें से 77,232 केवल ओपीडी उपचार हेतु भेजे गए थे।
- मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए निर्मित आशा किरन कम्पलेक्स 350 व्यक्तियों की क्षमता की तुलना में 970 निवासियों की भीड़ भाड़ से युक्त था जबकि इसके पास 502 देखभाल करने वाले स्टाफ के आवश्यकता के प्रति मात्र 215 केयरिंग स्टाफ हैं।
- विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पूर्व आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना ₹39.90 करोड़ की लागत के 248 निर्माण कार्यों की संस्वीकृति की गई थी। योजना के अन्तर्गत कार्य नई टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आरंभ किए गए थे। तथापि ₹277.36 करोड़ के व्यय वाले 3160 निर्माण कार्यों में 60 प्रतिशत निधियां वर्तमान परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सुधार पर खर्च की गई तथा ₹61.94 करोड़ के व्यय वाले 585 कार्य दिशानिर्देशों विनिर्ष्दिट नहीं था।
- सरंक्षण के मशीनीकरण और स्वच्छता सेवाओं की समीक्षा से पता चला कि कचरे के प्रभावी एकत्रीकरण व पृथक्करण हेतु दिल्ली नगर निगम की उपलब्धि 2013-14 के दौरान मात्र 17.44 और 25.30 प्रतिशत थी। 2013-14 के दौरान मात्र 41 प्रतिशत कचरे का तथा 47 प्रतिशत निर्माण व विध्वंस अवशिष्ट का ही प्रसंस्करण किया गया था, जबकि बाकी कचरा भराव क्षेत्रों में डाल दिया गया था। दि.वि.प्रा. द्वारा एसएलएफ के लिए 600 एकड़ की भूमि की आवश्यकता के प्रति केवल 324.60 एकड़ भूमि ही आबंटित की गई थी जिसमें से 150 एकड़ भूमि एस.एल.एफ के लिए उपयुक्त पाई गई थी। लगभग

₹22.96 करोड़ के 567 निर्जल शौचालयों के निर्माण के बावजूद दि.न.नि. सामान्य जनता को गुणवत्ता पूर्ण शौच सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहीं।

हरियाणा (2015 का प्रतिवदेन सं. 1, 2, 3)

- हरियाणा राज्य वेयरहाऊसिंग निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा से 2008-09 से 2011-12 के दौरान धान के संबंध में अधिप्राप्ति लक्ष्यों की प्राप्ति में 21 और 62 प्रतिशत के मध्य की कमी का पता चला। भंडारण प्रभारों के कारण वसूलीयोग्य ₹40.56 करोड़ में से ₹21.42 करोड़ 1986-87 से 2007-08 की अवधि से संबंधित थे। कार्यों की विलम्बित पूर्णता के लिए ठेकेदारों से ₹7.74 करोड़ की शास्ति उद्ग्रहीत नहीं की थी और इसे बाढ़ और बारिश के कारण ₹6.64 करोड़ तक के भंडार की हानि हुई।
- 'राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए ₹8.27 करोड़ मूल्य तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफोरमर (डीटी) मीटरों का उपयोग नहीं किया गया था। डिस्कोम्ज़ को ₹200.22 करोड़ आरईसी की संस्वीकृत लागत के प्रति ₹259 करोड़ के ठेके दिए गए थे और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ठेकेदारों को ₹ 15.36 करोड़ का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ।
- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संबंध में बकाया देय अप्रैल 2008 में ₹1,406.32 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2013 में ₹2,532.36 करोड़ हो गए थे। कनेक्टेड चूककर्त्ताओं की संख्या में 2008-09 में 17.57 प्रतिशत से बढ़ कर 2012-13 में 18.39 प्रतिशत हो गई थी।
- शहरी सम्पत्ति के विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों के मामले न्यायालय में भेजने के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹3.17 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में विलम्ब के कारण ₹4.67 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 'अशियाना योजना' के अन्तर्गत ₹93.88 करोड़ की लागत से 2,563 मकानों का निर्माण उचित सर्वेक्षण के बिना किया गया जो कि पात्र

व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनावंटित पड़े रहें। पांच लाइसेंसधारकों ने परियोजना पूरी किए बिना भूमि की बिक्री पर ₹52.26 करोड़ की लागत पर ₹215.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि सरकार निवल लाभ के अपने भाग से वंचित रही।

- पेट्रोलियम उत्पादों, न बिके समान, पूर्वधारित कारों, पेंट, बोगस दावे, अत्यधिक लाभ और गलत अग्रेनित के संबंध में आईटीसी की ₹24.22 करोड़ के अस्वीकार्य दावे को आईटीसी की अनियमित स्वीकृति के कारण अनुमत किया गया था।
- वेंडों की पुन: नीलामी के बाद खुदरा शराब की दुकानों के 74 चूककर्ता आवंटियों से ₹23.70 करोड़ की लाइसेंस फीस की विभेदक राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
- मुख्य भूमि/कालोनियों/वार्डों/सेक्टरों की खसरा संख्या की पहचान और रिकार्ड करने में विफलता के परिणामस्वरूप, 782 मामलों में ₹14.75 करोड़ के राजस्व की कम उगाही हुई। 'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' की आईटी लेखापरीक्षा से एचएआरआईएस आईटी अनुप्रयोग में इनपुट नियंत्रणों में कमी से 254 बिक्री दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण और ₹70.90 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट हुई। एमसी सीमाओं में आने वाले स्थानों की मैपिंग न करने के कारण 3,497 मामलों में ₹31.62 करोड़ की दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी उद्ग्रहीत नहीं की गई थी। आईटी अनुप्रयोग में उचित वैद्यता जांचों की समाविष्टि न करने के कारण 334 दस्तावेजों में ₹70.25 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की गलत छूट हुई।

हिमाचल प्रदेश (2014 का प्रतिवेदन सं. 2, 3 एवं 2015 का प्रतिवेदन सं. 1)

- विभाग यह मॉनीटर नहीं कर रहा था कि क्या लगाई गई औद्योगिक यूनिटें रोजगार सृजन के उद्देश्य को पूरा कर रही थी और आउटपुट के टर्नओवर मूल्य, लाभकारिता सीमा और सृजित रोजगार की गुणवत्ता को मॉनीटर करने का तंत्र नहीं था ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह कर छूट और आर्थिक सहायता के भार के अनुरूप थे।

- संस्थापित छः एसटीपीज (संस्थापन क्षमता 35.63 एमएलडी) में से वास्तविक उपयोगिता 4.8 एमएलडी (13 प्रतिशत) थी, जिसके परिणामस्वरूप अशोधित सीवेज अप्रयुक्त पड़ा रहा और खुले में छोड़ दिया गया।
- सावरा कुडडू हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना की अनुमानित लागत प्रारंभ में ₹558.53 करोड़ आंकी गई थी जो अब जुलाई 2017 तक ₹1,165.10 करोड़ की लागत पर पूर्ण होने की संभावना है इसमें ₹606.57 करोड़ के लागत आधिक्य के साथ ₹5.03 करोड़ से ₹10.50 करोड़ की प्रति एमडब्लयू लागत और ₹2.34 से ₹6.95 की प्रति यूनिट लागत में परिणामी वृद्धि शामिल है। चूंकि अनुमानित सृजन लागत ₹3.43 प्रति यूनिट की औसत बिक्री की तुलना में काफी अधिक होगी, परियोजना संसथापन पर वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो सकती है भारत सरकार ने अनुदान और ऋण के रूप में 90:10 के अनुपात से इस परियोजना के लिए एडीबी से प्राप्त ₹491.16 करोड़ के बाराबर की निधियों का हस्तांतरण राज्य सरकार को किया। जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में परिवर्तित कर उस पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया गया था। अनुदान को ऋण के रूप में बदलने से परियोजना की लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा। विपथन बैराज के डिजाइन में परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत पर ₹100.73 करोड़ की प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा, कार्यान्वित कम्पनी हिमाचल प्रदेश निगम लिमिटेड ने ठेकेदार से ₹11.59 करोड़ की राशि का निर्णित हर्जाना नहीं वसूला।
- बिक्रीकर/वैट की ₹10.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग को बकाया में नहीं गिना गया जिसके परिणामस्वरूप विभागीय बहियों में बकाया का कम लेखाकरण हुआ। गैर प्राप्ति/ प्रतिभूति जमा की जब्ती और जमानत की अनुचित स्वीकृति/ डीलरों से जमानत की गैर वसूली के कारण बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध उपायों के गैर समापन के कारण बिक्री कर/वैट के ₹130.85 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।
- अन्य राज्यों के स्टेज कैरिएज मालिको, हिमाचल सड़क परिवहन निगम और निजी स्टेज कैरिएज के संबंध में गलत दर और मील दूरी के लागू करने के

परिणामस्वरूप 226 मामलों में शास्ति सहित ₹11.67 करोड़ के विशेष सड़क कर का कम निर्धारण/उगाही हुई।

जम्मू एवं कश्मीर (2014 का प्रतिवेदन सं. 3, 4)

- गृह विभाग ने न तो कोई दीर्घावधि नीतिगत योजना या वार्षिक योजना बनाई न ही पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों की सिफारिशों को लागू किया। पुलिस स्टेशनों और पुलिस पोस्टों में मूल संरचनात्मक, सामरिक और पुलिस सुविधाओं की कमी थी।
- 2010-11 में राज्य वन नीति की अधिसूचना में विलम्ब के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में वन अथवा पेड़-पौधों के तहत 66 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को लाने की राष्ट्रीय वन नीति (1988)के उद्देश्य में कोई विश्वसनीय प्रगति नहीं हुई। राज्य का अभिलेखित वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 15.83 प्रतिशत अर्थात् 16,053 किमी ही रहा। कार्य योजनाओं, पूंजीगत अवयवों हेतु निधि के अभाव, बही खाता न बनाने और आंतरिक नियंत्रण के अभाव, वनरोपण हेतु वैकल्पिक स्थानों का चयन किए बिना गैर-वन भूमि के लिए वन भूमि के उपयोग, हटाए गए पेड़ों आदि की मदसूची के गैर-अनुरक्षण के कारण 30 में से 25 प्रादेशिक (वन) मंडलों में क्षतिपूरक वनरोपण योजना में महत्वपूर्ण खामियां देखी गई थी।
- कौशल विकास एवं युवाओं के लिए स्व-रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा से कई रोजगार सृजन और कौशल विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में अक्षमता और अप्रभावकारिता एवं कमियों का पता चला जिससे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नामित एजेंसियों अर्थात् जिला रोजगार एवं काउंसलिंग सेटर (डीई एण्ड सीसीई) की विफलता जैसे कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में सहायता देने में भी विफलता हुई, जेएण्डके स्टेट ओवरसीज एम्प्लायमेंट कारपोरेशन पांच वर्षों में 7000 के लक्ष्य के प्रति एक भी रोजगार देने में विफल रहा और जेएण्डके वीमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन 2010-14 में 50,000 के लक्ष्य के प्रति केवल 4,714 महिलाओं को रोजगार दे सका।

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा से 1996-97 से 2013-14 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (3.42 लाख हेक्टेअर) और निर्धारित सिंचाई क्षमता (11.76 लाख हेक्टेअर) के बीच अन्तर देखा गया। डीपीआर बनाने में अपर्याप्तता सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियां और अक्षमताएं बतायी गईं जिसके परिणामस्वरूप या तो कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया गया अथवा पूर्ण योजनाओं को बंद करना पड़ा।
- सरकारी अस्पताल में आंतरिक नियंत्रण और मानीटरिंग के अभाव में धोखाधड़ीपूर्ण दोहरी निकासी (₹7.80 लाख), संदिग्ध दोहरी निकासी (₹2.83 लाख), और अस्पताल विकास निधि में अस्पताल राजस्व (₹7.81 लाख) की कम क्रेडिट सहित गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। इसी तरह, हमारे द्वारा वेतन बिल की सकल/निवल राशि को बढ़ाकर ₹18.89 लाख के वेतन एवं भत्तों की धोखापूर्ण निकासी भी देखी गई। मनरेगा के दिशा-निर्देशों के अननुपालन और गैर-मौजूद बैंक खातों में मजदूरी के गलत दावों के परिणामस्वरूप ₹40.24 लाख की संदिग्ध गबन हुआ।
- जेएण्डके बैंक लिमिटेड के ऋण मंजूरी और वितरण तंत्र में कमजोर मानीटरिंग एवं नियंत्रण की तुलना में ऋण धारकों की विश्वसनीयता और समर्थक ऋणाधार के गैर सत्यापन के परिणामस्वरूप ₹143.94 करोड़ की संदिग्ध ऋण और ब्याज वसूली की गई।
- विद्युत विभाग के टैरिफ संग्रहण लक्ष्य की तुलना में ₹1308 करोड़ के राजस्व संग्रहण में कमी थी और विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्तियों पर वास्तविक राजस्व में घाटा की तुलना में 2013-14 के दौरान विद्युत खरीद पर व्यय ₹2205 करोड़ था।

झारखण्ड (2015 का प्रतिवेदन सं. 1, 2)

- जेएसईबी ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान दामोदर वैली कारपोरेशन से अल्पावधि आधार पर 3467.99 एमयू विद्युत खरीदा और उसी अवधि के दौरान जेएसईबी ने 2174.40 एमयू विद्युत कम लिया जिसके लिए इसने कम

दर वसूल किया जिसके परिणामस्वरूप ₹231.24 करोड़ का अपरिहार्य व्यय हुआ।

- राज्य खनिज विकास निगम सरकारी कंपनी वितरण के तहत आवंटित आठ कोल ब्लाकों में खनन शुरू करने और उसका विकास करने में विफल रहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन कोल ब्लाकों का आवंटन 24 सितम्बर 2014 को रद्द कर दिया गया और इन कोल ब्लाकों पर कंपनी द्वारा किया गया ₹18.31 करोड़ का पूरा व्यय बेकार हो गया।

कर्नाटक (2014 का प्रतिवेदन सं. 7, 9)

- कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड ने बेल्लारी तापीय विद्युत स्टेशन की इकाई 1 एवं 2 को साथ-साथ क्रियान्वित नहीं किया जिसके कारण भारत सरकार की मेगा विद्युत परियोजना नीति के तहत परिकल्पित रियायत का लाभ नहीं मिल पाया। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को ₹1,257 करोड़ तक अतिरिक्त भार भी पड़ा।
- बेल्लारी तापीय विद्युत स्टेशन की ईकाई ।। के कार्य समापन की निर्धारित तिथि से 27 महीनों की देरी से पूरे हुए जिसके कारण कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड को ₹1,391.33 करोड़ राशि के संभावित राजस्व की हानि हुई। राज्य ने विलम्बित अवधि के दौरान (2010-13) निजी स्रोतों से बिजली खरीद पर ₹1,518.69 करोड़ व्यय किया था।
- कर्नाटक ईएमटीए कोल माइन्स लिमिटेड (केईसीएमएल), एक संयुक्त उद्यम से इकाई ।। के लिए कोयला आपूर्ति व्यवस्था के अभाव में कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड को अन्य स्रोतों से कोयले की खरीद पर ₹377.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।
- बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा उपलब्ध सीमा तक राज्य उत्पादक से सस्ती बिजली न खरीद कर और अन्य स्रोतों से महंगी कीमत पर खरीद का सहारा लेने के कारण ₹1,434.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- प्रतिकूल शर्तों और प्रचालन कमियों के साथ प्रबंधन साझेदार के साथ सेवा करार की दीर्घावधि से कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम सरकार से ₹13.22 करोड़ की वित्तीय सहायता के बावजूद भी अपनी प्रचालन लागत नहीं वसूल सका। मार्च 2014 तक कंपनी को ₹27.11 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।
- मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों और भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण सुरक्षा चार्टर के अनुपालन में रोटरी किन संयंत्र लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना जिसे जुलाई 2011 तक पूरी हो जानी थी, ₹33.36 करोड़ का निवेश करने के बाद भी पिछले तीन वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है।
- चार एलवीओ में पांच विकासकों ने भवन के भूमि मालिक शेयर से संबंधित ₹300.47 का टर्नओवर घोषित नहीं किया। इन मामलों में ब्याज और जुर्माने सहित ₹19.49 करोड़ का परिणाम निकाला गया।
- ऐसी कटौतियों के मान्य ठहराने हेतु ई-फाईलिंग प्रणाली (ईएफएस) में नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ब्याज और जुर्माने सहित ₹15.66 करोड़ कर की कम उगाही हुई।
- निर्माण ठेकेदारों द्वारा फाइल की गई विवरणी में दावित टीडीएस संबंधित प्राधिकरणों द्वारा टीडीएस के प्रेषण के माध्यम से वसूला गया राजस्व ₹941.14 करोड़ तक बढ़ गया।
- केएचबी ने जमीन का सर्वेक्षण किए बिना जमीन मध्यस्थता की सीमा तय की और स्थानों का चयन किया। इसके परिणास्वरूप अनुमोदित स्थानों में परियोजनाओं का गैर-निष्पादन हुआ अथवा परियोजनाओं को बाद में चिह्नित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। केएचबी के पास जमीन क्षतिपूर्ति के बदले में प्रोत्साहन स्थलों/विकसित भूमि की मंजूरी हेतु कोई निर्धारित नीति नहीं थी। इसने जमीन मालिकों द्वारा की जाने वाली मांग पर मामला दर मामला क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) क्षतिपूर्ति के भुगतान से पूर्व दावों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक

सभी दस्तावेज लेने में विफल रहा। इस प्रकार, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता के बिना क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8.52 करोड़ का भुगतान किया गया। केएचबी ने निविदा आमंत्रण एवं प्रक्रियाओं में सार्वजनिक क्रय अधिनियम, 1999 में कर्नाटक पारदर्शिता के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। परियोजना की वास्तविक पूर्णता से पूर्व आवंटन दर के निर्धारण के परिणामस्वरूप तीन परियोजनाओं में ₹146.26 करोड़ की हानि हुई।

मध्य प्रदेश (2014 का प्रतिवेदन सं. 3)

- 2010-13 की अवधि के दौरान, 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एमएमजीएसवाई), के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण योजना हेतु 48 प्रतिशत को खर्च नहीं किया गया। मनरेगा के तहत मूल रूप से प्रदान किया गया ₹1555 करोड़ बाद में त्रुटिपूर्ण योजना के कारण राज्य बजट से प्रदान कर दिया गया। सड़कों के चयन की योजना दोषपूर्ण थी, विवादित जमीन में ली गई 128 सड़कें अपूर्ण पड़ी रहीं। 2012-13 की समाप्ति पर केवल 2300 कंकरी वाली सड़कें पूर्ण हुई। अनर्हक/बहिष्कृत फर्मों की संलग्नता देखी गई। राज्य गुणवत्ता मॉनीटर और विभागीय अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण जांच पर्याप्त नहीं थी।
- समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत वितरण हेतु पौष्टिक आहार पर वैट के परिहार्य भुगतान के परिणामस्वरूप ₹196.56 करोड़ तक की निधि की कटौती हुई।

महाराष्ट्र (सिंचाई परियोजनाओं के प्रबंधन पर प्रतिवेदन)

- परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के अभाव में संसाधनों के पूर्णत: उपयोग न होने के परिणामस्वरूप जल संसाधन विभाग पर 601 परियोजनाएं लाद दी गई जो ₹82,609.64 करोड़ के निर्धारण अधिशेष लागत के साथ जून 2013 तक निष्पादन के अंतर्गत थे। वर्ष 2012-13 के लिए शेष लागत जल संसाधन विभाग का पूंजीगत अनुदान से नौ गुना अधिक थी।

- विष्णुपुरी मुख्य सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन जिसका शुरू में ₹32.24 करोड़ की लागत पर मई 1979 में अनुमोदन दिया गया था, कार्य के कार्यक्षेत्र में लगातार परिवर्तन से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जल संसाधन विभाग ने कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी/घटोतरी (बांध के निर्माण, नालियों की लंबाई, जल निकासी हेतु इत्यादि) करते हुए चार बार प्रशासनिक अनुमोदनों में संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप देरी और ₹2,419.76 करोड़ तक लागत में वृद्धि हुई।
- नमूना जांच की गई 87 परियोजनाओं में से 37 में, जिस पर ₹9078.58 करोड़ का व्यय किया जा चुका था, उसके लिए कार्य शुरू करने से पूर्व पूरी भूमि (वन एवं सिविल) का अधिग्रहण नहीं किया गया था जिससे परियोजनाओं का लाभ प्रयोगकर्ताओं को नहीं मिल पाया।
- कार्यों को शुरू करने से पूर्व बांध स्थलों के अपर्याप्त सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप इनके समापन में देरी के अलावा इन परियोजनाओं की लागत में ₹209.79 करोड़ तक की वृद्धि हुई।
- तीन सिंचाई विकास निगमों ने शक्तियों के प्रत्यायोजन और राज्यपाल के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में गैर-पिछड़े जिलों में ₹2,467.94 करोड़ राशि वाली 63 परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी दिया।
- 601 चालू परियोजनाओं में से 225 परियोजनाओं का 15 वर्षों से निष्पादन चल रहा जिसमें से 77 परियोजनाएं 30 वर्षों से अधिक समय से निष्पादन के अंतर्गत थी। नमूना जांच परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं 30 वर्ष से चल रही थी। इसके अतिरिक्त, 601 चालू परियोजनाओं में से 363 चालू परियोजनाओं में ₹47,427.10 करोड़ तक लागत बढ़ गई जबकि नमूना जांच की गई 87 में से 83 परियोजनाओं में लागत में ₹12,807.64 करोड़ तक वृद्धि हुई।
- सिंचाई विकास निगमों ने महाराष्ट्र लोक निर्माण नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया। कुल 601 चालू परियोजनाओं में से 21 चालू परियोजनाओं में प्रशासनिक अनुमोदन के 10 प्रतिशत ऊपर और ₹133.42 करोड़ का व्यय किया गया था, जबकि 100 चालू परियोजनाओं में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के

बिना संशोधित प्रशासनिक अनुमोदनों से ऊपर और अधिक ₹2,367.28 करोड़ का व्यय किया गया था। सरकार पर कोंधने लघु सिंचाई परियोजना के निष्पादन में ₹90.04 करोड़ की वित्तीय देयता हुई, जिसे विनियामक अनुमतियों और अन्य अनिवार्य मंजूरी के बिना लिया गया था। ठेकेदार का चयन पारदर्शी नहीं था और शुरूआत ठेके के 33 दिनों के भीतर बांध की ऊँचाई में वृद्धि हेतु कार्य देना अनुचित था।

- परियोजनाओं का प्राक्कलन उपयुक्त विवरण में नहीं बनाया गया था। 19 परियोजनाओं में कार्यों की 24 अलग-अलग मदें जैसे कि सुरंग कार्य, रिंग रोड, सिंचाई-सह-विद्युत व्यवस्था, नलिका कार्य इत्यादि के निर्माण को, जिसकी राशि ₹424.56 करोड़ थी, महाराष्ट्र लोक निर्माण नियमावली के उल्लंघन में निविदा आमंत्रण के बिना संबंधित मूल कार्यों से गलत तरीके से जोड़ा गया था। पांच नमूना जांच की गई परियोजनाओं में ठेकेदारों को ₹28.53 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त मदें अनुचित रूप से मंजूर की गई थी।
- 37 ठेकाओं में ठेकेदारों को ₹478.95 करोड़ के संसाधन अग्रिम का भुगतान किया गया था जबकि ठेके की शर्तों में ऐसे अग्रिम का प्रावधान नहीं था। ठेकेदारों से ₹9.82 करोड़ तक रायल्टी प्रभारों और बीमा प्रीमियम की कम /गैर-वसूली हुई। दो सिंचाई परियोजनाओं (गंगापुर-डारना और पावना) में ₹95.75 करोड़ राशि के पुनरूद्धार प्रभारों की कम/गैर-वसूली हुई।
- सिंचाई और गैर-सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल प्रभारों का बकाया मार्च 2008 में ₹748.90 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹1,275.31 करोड़ (70.29 प्रतिशत) हो गया। 2007-13 के दौरान सिंचाई के लिए जल प्रभारों का बकाया 30.63 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि गैर सिंचाई हेतु यह 138.56 प्रतिशत तक बढ़ गया।
- गलत दर लगाने के कारण थोक उपयोगकर्ताओं से ₹10.42 करोड़ राशि के जल प्रभारों की कम वसूली हुई।

ओड़िसा (2015 का प्रतिवेदन सं. 2)

- अनुचित योजना, एक राज्य पोषित परियोजना से जुड़ने के कारण और सरकार के तीन विभागों के बीच समन्वय के अभाव में पुरी में पेयजल आपूर्ति प्रणाली के संवर्धन पर ₹158.16 करोड़ का पूरा व्यय निष्फल रहा।
- कन्या भ्रूण-हत्या की जांच के लिए कार्यान्वयन कानून में कमजोर संस्थागत व्यवस्थाएं थीं। लड़कियों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्त पोषण तत्वों की कैलोरी/प्रोटीन का निर्धारण नहीं किया गया था जबकि नमूना जांच सीडीपीओ में 14,651 लड़कियों में से कई को कुपोषित पाया गया। शुरूआती स्तर पर 7,497 स्कूलों में और सेकेण्डरी स्कूल स्तर पर 2,201 स्कूलों में लड़कियों के लिए कोई अलग शौचालय नहीं था।
- पर्याप्त निगरानी के अभाव के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे पर प्रगति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि 2007-13 के दौरान स्वीकृत 5028 कार्यों में से 2491 (50 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण हो पाया था। उपरोक्त में से ₹40.01 करोड़ व्यय करने के पश्चात 1051 (21 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण रहा और 1486 (29 प्रतिशत) कार्य अभी भी शुरू नहीं किए गए थे।

पंजाब (2014 का प्रतिवेदन सं. 4 एवं 2015 का प्रतिवेदन सं. 1, 5)

- विभाग ने सार्वजनिक खरीद हेतु निर्धारित नियमों के प्रतिकूल ₹36.62 करोड़ मूल्य का हेलीकॉप्टर खरीदा।
- पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपनी ओर से किए गए मौजूदा एस्क्रू करार रद्द करने से पूर्व ऋण की वसूली की सुरक्षा पर कदम न उठाने से ₹28.52 करोड़ के ब्याज और ₹221.64 करोड़ ऋण की गैर-वसूली हुई।
- पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) पर दावा करने के लिए मुख्य शहर नीतिकार और योजना प्रभारों के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹59.50 करोड़ की गैर वसूली हुई।

- राजस्थान सरकार से केन्द्रीय निधियों और निधियों की उपलबधता के बावजूद राज्य सरकार निधियां जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹123.09 करोड़ निधि का अवरोधन और किसानों को वांछित लाभ देने से मना किया गया।
- एफसीआई चावल ड्राएज मानकों को न अपनाने, एमओयू के गैर निष्पादन और दावा करने में देरी के परिणामस्वरूप पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को ₹158.83 करोड़ की हानि हुई। निर्धारित समय सीमा के भीतर धान की मिलिंग कराने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप ₹556.44 करोड़ के ब्याज और अभिरक्षा एवं रख-रखाव प्रभारों की हानि हुई और धान की मिलिंग प्रक्रियाओं पर अपर्याप्त नियंत्रण के परिणामस्वरूप मिल मालिकों द्वारा ₹62.86 करोड़ राशि के धान/चावल का कम प्रेषण/गलत विनियोजन किया गया।
- अंतर राज्यीय जल विवाद के गैर समाधान, रन-ऑफ-रिवर और वितरिकाओं पर उपयोग क्षमता के प्रयास में कमी और परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण 149.92 मे.वा. बिजली क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। एनआरएसई नीति 2006 में परिकल्पना के अनुसार 200 मे.वा. क्षमता के लक्ष्य के प्रति 2006-07 से 2013-14 के दौरान केवल 17.65 मे.वा. क्षमता का उपयोग किया गया था।
- पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने संदिग्ध निविदाओं के माध्यम से जेवी साझेदार का चयन किया। लागत से उत्पादन आधार पर कोयले के मूल्य के गैर निर्धारण के परिणामस्वरूप केवल 2013-14 के दौरान पीएसपीसीएल को आपूर्त ग्रेड डी कोयले के संबंध में जेवी साझेदार को ₹29.59 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।
- राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना एक बार निपटान नीति (ओटीएस) के विस्तार, ब्याज न लगाने/कम लगाने, ओटीएस नीति के अननुपालन, अनियमित कार्यान्वयन, एक ऋणी इकाई को लाभ पहुंचाने और चूककर्ताओं को अनौचित्यपूर्ण ओटीएस लाभ देने के कारण पंजाब वित्तीय निगम को ₹163.47 करोड़ की हानि हुई।

- धान की मिलिंग की विस्तारित/विलम्बित अवधि और केएमएस 2010-11 एवं 2011-12 के लिए चावल के प्रेषण हेतु पैनल ब्याज खण्ड शामिल न करने/वापसी के बदले में प्रतिपूर्ति के प्रावधान के मामले को राज्य सरकार के साथ न उठाने के परिणामस्वरूप पंजाब राज्य अनाज क्रय निगम लिमिटेड को ₹415.50 करोड़ की वित्तीय हानि हुई।
- 6 फरवरी 2013 से 31 मार्च 2013 के बीच की गई 49,370 डीड्स पर कुल ₹4,889.14 करोड़ के एक प्रतिशत दर पर ₹48.89 करोड़ राशि के सामाजिक बुनियादी ढांचा उपकर (एसआईसी) की इंस्ट्रूमेंट पर वसूली नहीं की गई जो अपेक्षित था।
- मिनी बसों, शैक्षणिक संस्थान बसों, माल वाहनों और ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों/मैक्सी कैब से संबंधित ₹7.18 करोड़ राशि का मोटर वाहन कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया और न ही संबंधित परिवहन प्राधिकरण द्वारा मांग की गई।

उत्तराखण्ड (2015 का प्रतिवेदन सं. 1)

- नमूना जांच किए गए जिलों में **निर्मल भारत अभियान** के कार्यान्वयन हेतु जीपी को अवमुक्त ₹20.92 करोड़ राशि की पावती नहीं ली गई थी। नमूना जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की प्राप्ति में कुल 40 से 52 प्रतिशत तक गिरावट थी।

उत्तर प्रदेश (2014 का प्रतिवेदन सं. 1 एवं 3)

- अनुदान ग्राहियों से अत्यधिक राशियों (₹1,11,348.81 करोड़) के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र नहीं लिए गए थे।
- महाकुम्भ मेला पर व्यय किए गए 1,017.37 करोड़ में से विभागों द्वारा ₹969.17 करोड़ का उपयोग प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था (जुलाई 2013)। कार्यों एवं खरीद हेतु निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण मेला शुरू होने तक 59 प्रतिशत तक निर्माण कार्य और 19 प्रतिशत तक आपूर्ति नहीं की गई थी। भीड़ प्रबंधन, जिसमें सुरक्षा, यातायात विनियम,

सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा इत्यादि शामिल थी, वह सब अपर्याप्त था। अग्नि सेवाएं अपर्याप्त थीं। दूषित, घटिया और बेकार खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें नहीं की गई थी। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी। संभावित स्नान दिवसों पर संगम के दो जाँच बिंदुओं पर और गंगा नदी में सभी चार जाँच बिन्दुओं पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन, माँग स्तर अनुमत सीमा से अधिक थी।

पश्चिम बंगाल (2014 का प्रतिवेदन सं. 4)

- 12 डीलरों के 17 मामलों के निर्धारण में उप-ठेकेदारों को लेबर, सेवा और अन्य ऐसे प्रभारों तथा भुगतानों के प्रति ₹606.66 करोड़ की अनुमन्य कटौतियों के प्रति ₹1,969.71 करोड़ के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹1,361.18 करोड़ के करयोग्य ठेकागत मूल्य (सीटीपी) का कम निर्धारण और फलस्वरूप ₹131.62 करोड़ कर की कम उगाही हुई। 2006-07 और 2010-11 के बीच निर्धारण अवधियों के लिए 40 ठेकेदारों के 45 निर्धारण मामलों में ₹592.01 करोड़ तक सीटीपी की कम रिपोर्टिंग हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹33.02 करोड़ के कर की कम उगाही हुई। कर विवरणी में सीपीटी के गैर/कम प्रकटन और परिणामी कर अपवंचन निर्यात ठेकेदारों द्वारा दाखिल विवरणी/निर्धारण स्थिति के साथ स्रोत सेल में काटे गए बिक्री कर के साथ उपलब्ध डाटा के प्रति सत्यापन हेतु प्रणाली न होने के कारण था।

- यद्यपि चूककर्ताओं की सूची जारी करने हेतु वीएएचएएन में, संबंधित पंजीकरण प्राधिकरणों ने चूक की निगरानी नहीं की और बकाए की वसूली हेतु मालिकों को माँग नोटिस नहीं जारी किया जिससे मोटर वाहन विभाग में 2,16,217 चूककर्ता वाहनों से ₹125.68 करोड़ के कर, अतिरिक्त कर, जुर्माना और विशेष शुल्क की गैर-वसूली हुई।

IV लेखापरीक्षा के कहने पर नीतियों, कानूनों और नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी आपत्तियों के आधार पर सरकार द्वारा नीति, कानून, नियमों और प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन किए गए जो इस प्रकार हैं:

IV क संघ लेखापरीक्षा

(i) कैंटीन स्टोर्स विभाग का लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण (संघ सरकार का 2010-11 का प्रतिवेदन सं. 14 - रक्षा सेवायें)

- कैंटीन स्टोर्स विभाग (सीएसडी) के तहत चल रही कैंटीन इकाईयाँ (यूआसी) का मात्रात्मक छूट (क्यूडी) लेखाएँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आते हैं; जीएफआर के तहत प्रावधान को अनुरूप बनाने हेतु क्यूडी राशि के वितरण और उपयोग हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया था; क्यूडी की मात्रा का नियंत्रक, रक्षा लेखा द्वारा सत्यापन योग्य बनाया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 से ''योगदान'' मद शीर्ष को परिवर्तित करके ''सहायता अनुदान'' कर दिया गया। क्यूडी के लिए बजट प्रावधान को ''सहायता अनुदान'' के तहत निधि के अनुदान हेतु संशोधित कर दिया गया है।
- सीएसडी के क्म्प्यूटरीकरण हेतु एक टर्नकी परियोजना, समेकित सीएसडी प्रणाली चरण-II के ऊपर शुरू की गई है।

(ii) रक्षा सम्पदा प्रबंधन (2010-11 का प्रतिवेदन संख्या 35)

- देशभर में रक्षा भूमि डाटा को रक्षा भूमि परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कहा गया था और छावनियों से बाहर के रक्षा भूमि की डाटा सीडी भी जारी की गई थी।
- शॉपिग परिसरों और केंद्रों/परिसरों से राजस्व क्रेडिट करने से संबंधित नीति/नियमों, परिसरों और दुकानों के आवंटन के लेखाओं की लेखापरीक्षा को फिर से समीक्षा की जा रही है और अधिक राजस्व, इक्विटी, परदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठीक है।

- रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया कि रक्षा भूमि पर नियंत्रण की प्रणाली को विनियमित और मजबूत करने के लिए महानिदेशक, रक्षा संपदा (डीजीडीई) द्वारा फिर से भूमि लेखापरीक्षा की जाएगी।
- एक समिति का गठन किया गया है जो रक्षा भूमि की सुरक्षा और जमीन अतिक्रमण की तेजी से वापसी हेतु उठाए गए कदमों, अतिक्रमणों में वृद्धि/गिरावट, अतिक्रमण की स्थिति की आवधिक निगरानी करेगा।

(iii) आयुध निर्माणियों के लिए निधि आवश्यकताओं की बजटिंग (संघ सरकार का 2013 का प्रतिवेदन सं. 1 का पैरा 4.1)

- वसूलियों की कटौती करने के पश्चात शुद्ध राशि के लिए रक्षा आयुध निर्माणियों के संबंध में रक्षा मंत्रालय को संसद से बजट प्राधिकार लेना पड़ता है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 और 114 के प्रावधानों के तहत सकल विनियोजन लेना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय ने वि.व. 2014-15 से 'सकल आधार' पर रक्षा आयुध निर्माणी अनुदान हेतु बजट प्रावधान की प्रक्रिया में बदलाव किया है।

(iv) फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में आयकर का निर्धारण (2015 का प्रतिवेदन सं. 5 का पैरा 3.25)

- सरकार ने यह प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के प्रावधानों में संशोधन किया कि उक्त के तहत कटौती अनुमत की जाएगी, यदि कंपनी ऐसे शोध और विकास सुविधा में सहयोग हेतु निर्धारित प्राधिकार के साथ करार करती है और लेखाओं की लेखापरीक्षा और उनके अनुरक्षण से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करती है।

(v) आयकर के निर्धारण में अन्य पक्ष (सनदी लेखाकार) रिपोर्टिंग का मूल्यांकन (2014 का प्रतिवेदन सं. 32 का पैरा 3.9)

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 में वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से संशोधन करते हुए सरकार ने प्रावधान किया कि एक लेखापरीक्षक जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 की उप-धारा (3)

के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, वह उस कंपनी से संबंधित अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत किसी रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुतिकरण की कोई भी लेखापरीक्षा करने हेतु अर्हक नहीं होगा।

(vi) **आयकर निर्धारण में मूल्यह्रास और परिशोधन की अनुमति (2014 की प्रतिवेदन सं. 20 का पैरा सं. 3.19)**

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) में वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से संशोधन करते हुए सरकार ने प्रावधान किया कि नए संयंत्र या अधिग्रहीत मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास के शेष 50% का उपयोग 180 दिनों से कम नहीं किया गया था जिसे अधिग्रहण वर्ष में अनुमत नहीं किया गया है और ऐसे संयंत्र या मशीनरी के स्थापन की अनुमति ठीक पिछले वर्ष में भी दी जाएगी।

(vii) **चैरिटेबल ट्रस्टों और संस्थानों को आयकर छूट (2013 की प्रतिवेदन सं. 20 का पैरा 3.2 एवं 3.79)**

- सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में वित्त अधिनियम 2015 के माध्यम से संबंधित संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया कि निधि अथवा संस्थान के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत विनिर्दिष्ट आय की विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से पूर्व फार्म 10 दाखिल किया जाएगा। यदि फार्म 10 इस तिथि तक दाखिल नहीं किया जाता तो संग्रहण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

IV ख राज्य लेखापरीक्षा

(i) **राजस्थान: हेरिटेज राजस्थान होटल्स के माध्यम से बेची गई शराब पर उत्पाद शुल्क (राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2011-12 का पैरा 6.10.3 और 2010-11 का पैरा 5.5.11.1 एवं 2011-12 का पैरा 6.10.1)**

- राज्य सरकार ने 'हेरिटेज राजस्थान होटल' को बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए नियम 2 की मौजूदा क्लॉज़ (क) में संशोधन कर दिया गया और

नियम-3 बी राजस्थान उत्पाद (होटल बार/क्लब बार लाइसेंस) नियम में जोड़ दिया।

- **हाउसिंग परियोजनाओं के लिए स्वास्थ्य कल्याण योजना और निविदा शर्तों के तहत अर्हता मापदण्ड (2015 की मध्य प्रदेश का प्रतिवेदन सं. 3)**
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रोगियों के उपचार हेतु राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत अनर्हक लाभार्थियों को ₹ 1.01 करोड़ राशि के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशालय, मध्य-प्रदेश ने परिवार के संदर्भ में संशोधित आदेश जारी किए हैं और परिवार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि बीपीएल परिवारों में उनके पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, आश्रित बड़े बच्चे, आश्रित माता व पिता, आश्रित विधवा या व्यक्त/विधवा पुत्री को राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ''ठेकेदार के साथ करार में कमी के कारण मध्य प्रदेश हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट बोर्ड द्वारा एक हाउसिंग परियोजना के अपूर्ण कार्य को फिर से देने के प्रति ₹1.07 करोड़ के अतिरिक्त व्यय'' पर लेखापरीक्षा आपत्तियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट बोर्ड ने निविदा फार्मों में संशोधन कर दिया है और मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता के तहत भू-राजस्व के बकाए के रूप में ठेकेदारों से वसूली वाले खण्ड अपनाया है (नवम्बर 2014)।

V लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

इस्साई 10 में प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करने के लिए साई के पास स्वतंत्र प्रक्रियायें होंगी कि लेखापरीक्षित निकाय उनकी आपत्तियों और सिफारिशों को देखेंगी और यह कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में प्रावधान है कि संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ(ओं) पर स्वत: स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी(याँ) तैयार करनी होंगी जिसे पीएस/सीओपीयू के प्रस्तुतीकरण हेतु लेखापरीक्षा में शामिल किया जाता है। की गई कार्रवाई टिप्पणी में उल्लेख होगा कि क्या:

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्य एवं आंकड़े स्वीकार्य हैं;
- परिस्थितियाँ जिनमें हमारे द्वारा बताई गई अनियमिततायें की गई;
- जवाबदेही तय करने हेतु की गई कार्रवाई और इसकी पूर्णता हेतु सम्भावित समय-सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई; और
- भविष्य में चूक होने से रोकने के लिए की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई।

नीचे तालिका में 31 मार्च 2015 तक की गई कार्रवाई (एटीएन) की स्थिति दर्शाई गई है:

	31 मार्च 2015 के अंत तक प्रतीक्षित एटीएन	**वर्ष 2014-15 के दौरान निपटाये गये एटीएन**
संघ स्तर	510	779
राज्य स्तर	10,945	1,077
कुल	11,455	1,856

अध्याय 4

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ - लेखा एवं हकदारी

संविधान के अनुच्छेद 149 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, धारा 10,11 और 12 में संघ तथा राज्य सरकार के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ निर्धारित करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकारों (गोवा का छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और तैयार करने, उन्नीस राज्यों में जीपीएफ लेखाओं के रखरखाव एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। 2014-15 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाकरण स्कंध के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र और उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गई है:

I नवप्रवर्तन तथा पहल

एजी (लेखा एवं हक) आंध्र-प्रदेश एवं तेलंगाना

1. **पेंशन मामलों का संशोधन**: कार्यालय ने पेंशन मामलों के त्रिस्तरीय सत्यापन/प्रमाणन की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर दो स्तरीय सत्यापन/प्रमाणन शुरू करते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिससे पेंशन संशोधन मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता मिलेगी।

2. **जीपीएफः शुरू** की गई जीपीएफ की ई-पोस्टिंग में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पैकेज से डाटा लेकर एक पायलट परियोजना के रूप में चार कोषागारों से कोष डाटा क्रेडिट किया जाता है।

3. **लेखा**: 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य को अलग-अलग करके आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना कर दिया गया। इसके कारण, परिणामस्वरूप मामले जैसे-परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विभाजन; दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग मासिक और वार्षिक लेखे बनाना, कार्यात्मक विंग इत्यादि का पुनर्गठन महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं, जिसे कार्यालय द्वारा देखा गया। कुछ निष्क्रिय शीर्षों के संबंध राइट ऑफ आदेश भी लिए गए थे जो लेखाओं को खाली करने हेतु आवश्यक थे।

एजी (लेखा एवं हक), तमिलनाडु

1. **जीपीएफ एवं पेंशनः** 2014-15 के दौरान चेन्नई, कृष्णागिरी और वेल्लोर में डीडीओ हेतु तीन सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें पेंशन प्रस्तावों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि से अग्रिम में पूर्णता में भेजने के महत्व के संबंध में विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी पर डीडीओ को प्रकाश डाला गया था। इसके परिणाम स्वरूप चेन्नई, कृष्णागिरी और वेल्लोर जिलों से पेंशन प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण में सुधार हुआ है और इन जिलों से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पूर्व कई मामले प्राप्त हुए हैं।

तमिलनाडु सरकार के समेकित वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन परियोजना में कार्यालय के लेखा एवं भविष्य निधि की शुरूआती सॉफ्टवेयर आवश्यकता का भी चिन्हित किया गया है और राज्य सरकार को बताया गया है।

2. कम्प्यूटरीकृत डाटा प्रवाह में सभी संवर्गों को शामिल करने के लिए पेंशन शाखा में मई 2014 में कार्य प्रवाह वातावरण शुरू किया गया है।

एजी (लेखा एवं हक)-I, उत्तर प्रदेश

1. **लेखा विंगः** वर्ष 2014-15 में महालेखाकार द्वारा निदेशक, कोषागार को समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के तहत एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय (आईपीएओ) के कार्यान्वयन का अनुमोदन दिया गया था।

2. एम/एस टीसीएस द्वारा विकसित बजट इंटरफेस का राज्य सरकार से प्राप्त बजट टेक्स्ट फाइल को अपलोड करने के लिए इस कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है और इस इंटरफेस का प्रयोग करते हुए इसे वीएलसी डाटाबेस में अपलोड किया जाता है।

एजी (लेखा एवं हक), मेघालय

1. **जीपीएफ विंग:** डीएजी (लेखा एवं वीएलसी) के सीधे पर्यवेक्षण के तहत एक सार्वजनिक शिकायत/समाधान सेल स्थापित किया गया है और सभी अंतिम

भुगतान मामले अब सूची (1) निपटाए गए मामले (2) प्रक्रियाधीन और (3) माह के दौरान वापस भेजे गए मामलों के तहत सेवानिवृत्त कार्मिकों की सुविधा के लिए महालेखाकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

2. 2014-15 के दौरान ट्रायल आधार पर जीपीएफ क्रेडिट/डेबिट के बारे में नवीनतम जानकारी लेने हेतु जीपीएफ धारकों के लिए पुल एसएमएस सेवा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

एजी (लेखा एवं हक) -1, महाराष्ट्र

1. **शुरू की गई प्रणालीः** इस कार्यालय के परामर्श से राज्य सरकार ने पेंशन मामलों का डिजिटल डाटा प्रदान करने का कार्य किया है।

2. कार्यालय, राज्य कोषागारों को जारी प्राधिकरणों का डिजिटल डाटा प्रदान करता है जिसे कोषागारों द्वारा प्रयुक्त पेंशन एप्लीकेशन में अपलोड किया जाता है। इसने कोषागार स्तर पर डाटा प्रविष्टि प्रयास में कमी किया है और इससे दक्षता सुधार में सहायता मिली है और डाटा प्रविष्ट में चूक की संभावना समाप्त हो गई है।

एजी (लेखा एवं हक), ओडिसा

आईएफएमएस में ई-मिलान मॉड्यूल विकसित किया गया है। मिलान हेतु डाटा को मिलान नियंत्रक अधिकारियों को आईएफएसमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2014-15 के मैनुअल मिलान कार्य भी साथ-साथ चल रहा है चूँकि इस माड्यूल को हैंडल करने में विशेषज्ञता के अभाव के कारण कुछ नियंत्रक अधिकारी इस माड्यूल का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सके।

एजी (लेखा एवं हक), बिहार

प्रोदभवन लेखांकनः शहरी विकास विभाग, बिहार सरकार में राज्य सरकार के दल के साथ प्रोदभवन आधारित लेखाकरण प्रणाली पर एक पायलट अध्ययन के लिए कार्यालय के एक दल का गठन किया गया है।

एजी (लेखा एवं हक), पंजाब

01.06.2015 से वीएलसी प्रणाली के पेंशन माड्यूल का कार्यान्यवन किया गया है। जीपीएफ माड्यूल का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

1. 01.05.2014 से ट्रायल आधार पर ई-भुगतान का कार्यान्वयन भी सफलतापूर्वक किया गया है। ई-भुगतान माड्यूल का पूरा और अंतिम कार्यान्वयन प्रगति पर है।

एजी (लेखा एवं हक), मणिपुर

1. इंफाल पूर्व कोषागार ने वीएलसी प्रणाली के साथ अपना डाटा इंटरफेस करना शुरू किया गया है और सभी घाटी कोषागार जिन्होंने कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया है, वे भी वीएलसी प्रणाली के साथ अपना इंटरफेस शूरू करेंगे।
2. वित्त विभाग, मणिपुर सरकार में पेंशन अभिलेख का डिजिटाइजंसेन शुरू किया गया है।

एजी (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल

1. **समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणालीः**

एचआरएमएस मॉड्यूल को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा आईएफएमएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, सभी कोषागारों में नया सॉफ्टवेयर शुरू किया गया था। कार्यालय में खड़े किए गए यूबीआर के माध्यम से एजी कार्यालय को आई-एफएमएस सर्वर से जोड़ा गया है। पिछली व्यवस्था जिसमें हार्ड डिस्क प्राप्त किया जाता था, के स्थान पर वर्तमान में आईएफएम पोर्टल से मासिक कोषागार लेख से सीधे डाउनलोड की जाती हैं।

2. पेंशन धारकों को उनके पेंशन मामलों की वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना देने के लिए पेंशन एसएमएस सेवा शुरू की गई है।

II हमारा लेखा निष्पादन

II ए लेखा विंग के लिए कार्ययोजना

राज्य के एजी (लेखा एवं हक) निर्धारित समय-सीमा के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:

1. मासिक सिविल लेखे;
2. वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे;
3. एक दृष्टि में वार्षिक लेखे;
4. व्यय की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट;
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी वार व्यय आँकड़े, चेतावनी पर्ची; और
6. अनुदानवार अधिक व्यय।

इन दस्तावेजों के समय पर प्रतिपादन और प्रस्तुतीकरण पर क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर मॉनीटरिंग की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजकोष की प्रणाली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है, राजकोष निरीक्षण भी किये जा रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर भी इन सभी गतिविधियों की निगरानी की जा रही हैं तथा त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट (केआरए) के माध्यम से संबंधित पी/एजीज को उपयुक्त टिप्पणियाँ सूचित की जाती हैं।

II बी समयबद्धता

आईएएडी के 28 लेखा कार्यालयों को राज्य सरकारों को मासिक लेखे प्रस्तुत करना था। हालांकि 18 लेखा कार्यालयों ने समय पर मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किए जबकि 10 लेखा कार्यालयों द्वारा मासिक सिविल लेखे देरी से प्रस्तुत किए गए। वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत 364 मासिक सिविल लेखाओं में से, 275 लेखे समय पर प्रस्तुत किये गए थे, जबकि 89 लेखे विलम्बित थे। देरी मुख्य रूप से लेखा कार्यालयों- आठ पूर्वोत्तर राज्य, एक पूर्वी राज्य और एक राज्य दक्षिण क्षेत्र से, में हुआ जिसका कारण राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली यूनिटों के कोषागारों/मण्डलों/अन्य लेखाओं से लेखाओं की विलम्बित प्राप्ति था।

II सी पूर्णता

प्रस्तुत किए गए 86.18 *प्रतिशत* मासिक सिविल लेखे सभी पहलुओं से पूर्ण थे। 28 में से 20 लेखा कार्यालयों ने राज्य सरकारों को पूर्ण मासिक लेखे प्रस्तुत किए थे। आठ लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे अपूर्ण थे क्योंकि कोषागारों आदि से लेखाओं की देर से प्राप्ति के कारण कोषागारों को मासिक लेखाओं से अलग कर दिया गया था।

II डी राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखों में देरी के प्रस्तुतीकरण के कारण

लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब के मुख्य कारण कोषागारों/मंडलों तथा राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली यूनिटों द्वारा देरी से लेखे की प्राप्ति, कर्मचारियों की कमी और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में तकनीकी समस्याएं थीं। कोषागारों द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में देरी का कारण कभी-कभी खराब और दुर्गम सड़क मार्ग भी हैं। लेखे से कोषागारों/डिविजनों को अलग रखने का कारण लेखाओं की देरी से प्राप्ति था।

II ई संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे

संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे (सीएफआर) संघ एवं राज्यों के लेखाओं का संकलन है। वर्ष 2011-12 के लिए सीएफआरए का निर्धारण, एक व्यापक और पुनर्प्रबंधित विस्तृत विवरणों के अतिरिक्त सार में शामिल करने के लिए इसकी प्रस्तुतीपरक फार्मेट में संशोधन किया गया था ताकि इसे पाठक के अनुरूप बनाया जा सके। सीएफआरए निकालने की प्रक्रिया के स्वचालन में वृद्धि करने का कार्य शुरू किया गया है।

II एफ वित्त और विनियोजन लेखे के प्रस्तुतीकरण को सरल करने के लिए किये गये प्रयास

सरकारी लेखा विंग वार्षिक लेखे अर्थात् वित्त और विनियोजन लेखे (एफए और एए) को अधिक प्रभावी, पठनयोग्य और उपयोगकर्ता के लिए आसान बनाने के

लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में, निम्नलिखित उपाय किये गये थे:

(1) वित्त लेखे 2014-15 से आरंभ विवरण परिशिष्ट का पुन: प्रबंधन इस संस्करण को स्वयं-व्याख्यात्म, स्वयं संपूर्ण और उपयोगकर्त्ता के लिए अधिक आसान बनाने के लिए खण्ड I में अनन्य रूप से सार विवरण और व्याख्यात्मक सहित विस्तृत विवरणों का कुछ सार भाग शामिल करने के लिए किया गया था। खण्ड II अब और अधिक संक्षिप्त है और इसमें दो भाग अर्थात् भाग - I विस्तृत विवरण और भाग -II परिशिष्ट हैं।

(2) लेखे की टिप्पणियों के पुनरीक्षण (एनटीएज) में वित्त लेखे के विवरणों के साथ मूलपाठ-विषयक विसंगतियों के साथ-साथ संगतियों की जांच करने के लिए सुधार किया था। एनटीए मार्च (प्रारंभिक) लेखे को अंतिम रूप देने के बाद तुरंत अस्थायी रूप से तैयार किये गये थे और आरंभिक संवीक्षा के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा और जीए विंग को प्रस्तुत किए गए थे। दूसरे लेखापरीक्षा विंग द्वारा एन.टी.ए की स्वीकृति के लिए समय में कमी हुई। योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय नियोजित योजना की पुन: संरचना और 'प्रत्यक्ष ट्रांसफर' द्वारा की अपेक्षा कार्यान्वयन एजेंसियों को ट्रांसफर के 'ट्रैजरी मोड' से 01.04.2014 से लागू होकर परिवर्तन करने के मद्देनजर 2014-15 के बाद एनटीए में दो नये प्रकटन शामिल किए गए थे। भारत सरकार प्राप्तियों को विवरण और 66 अंब्रेला फ्लैगशिप योजनाओं के लिए किया गया व्यय विवरण 15 के अनुबंध के रूप में जोड़े गए थे।

(3) ब्याज सहित रिजर्व निधि और ब्याज सहित जमा के लिए लेखे में ब्याज समायोजनों के रूप में अधिकतर राज्यों के बजटों में नहीं दर्शाई जा रही हैं यद्यपि कोडल प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों को संबधित सरकारों के साथ मामले को निपटाने के लिए निर्देश दिये गये थे। 2013-14 के बाद से एनटीए में एक नये पैराग्राफ द्वारा अनुपालना को प्रकट किया था।

(4) सामान्य पाठकों के लिए इसे अधिक आसान बनाने के लिए संशोधित 'वित्त लेखे की मार्गदर्शिका' को शामिल करने के लिए अगस्त 2014 में निर्देश जारी किये गये थे। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विवरण शीर्षक/विवरणों के लिए अधिक स्पष्टता लाई गई थी और इसके बाद स्पष्टीकरण अक्टूबर 2014 में जारी किए गए थे।

(5) वित्त लेखे खण्ड । और ।। में विवरणों की पुन: स्थिति के मद्देनजर एक बार पुन: 'वित्त लेखे की मार्गदर्शिका' और रेडी रेकोनर को संशोधित किया गया।

॥ जी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) केन्द्रीय सरकार की मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अन्तर्गत कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना का एक विस्तार है। आईएफएमएस राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं/कार्यों को सम्मिलित करता है। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराता है और संपूर्ण राज्य में वित्त विभाग, डीडीओ, कोषागारों, आरबीआई, एजेंसी बैकों, महालेखाकार और भारत सरकार को जोड़ना और एकीकृत करना है। कार्यान्वयन प्रक्रिया में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ओड़िशा, पंजाब, मेघालय, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य विकसित स्तर पर हैं, जबकि राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलांगाना, केरल, उत्तर प्रदेश मिजोरम, तमिलनाडु सहित सात राज्यों में आईएफएमएस विकास की मध्यम अवस्था है।

राज्यों में महालेखाकार (ले. एव हक.) आईएफएमएस परियोजना में आंतरिक पणधारक है और आईएफएमएस के विकास में राज्यों में वित्त और लेखे तथा कोषागार विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं। महालेखाकार (ले.व हक.) अपने राज्यों में वीएलसी एप्लीकेशन के साथ आईएफएमएस के डाटा प्रवाह के एकीकरण के लिए अनुमति हेतु कार्य कर रहे हैं।

II जी वर्ष 2013-14 हेतु राज्यों के वार्षिक लेखे के प्रमाणन की तिथि

क्रम सं.	राज्य	प्रमाणन की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	29.12.2014
2	अरूणाचल प्रदेश	02.03.2015
3	असम	19.02.2015
4	बिहार	19.11.2014
5	छत्तीसगढ	12.11.2014
6	गुजरात	19.11.2014
7	हरियाणा	27.10.2014
8	हिमाचल प्रदेश	19.11.2014
9	जम्मू व कश्मीर	01.10.2014
10	झारखंड	12.11.2014
11	कर्नाटक	02.02.2015
12	केरल	13.01.2015
13	मध्य प्रदेश	10.11.2014
14	महाराष्ट्र	10.11.2014
15	मणिपुर	07.11.2014
16	मेघालय	15.01.2015
17	मिजोरम	27.01.2015
18	नागालैंड	05.11.2014
19	ओड़िशा	31.10.2014
20	पंजाब	19.11.2014
21	राजस्थान	17.12.2014

22	सिक्किम	21.10.2014
23	तमिलनाडु	27.11.2014
24	त्रिपुरा	25.11.2014
25	उत्तर प्रदेश	10.11.2014
26	उत्तराखंड	21.10.2014
27	पश्चिम बंगाल	25.11.2014

III कोषागार निरीक्षण

कोषागार का निरीक्षण यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि कोषागार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच का पालन कर रहे हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हक) राज्य सरकार के लेखे का संकलन और तैयार करने वाले के रूप में जो कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करता है। कोषागारों के निरीक्षण करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे को तैयार करने के लिए और विभिन्न जांच निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णत: अनुपालन किया जाता है।

कोषागारों के साथ-साथ उप कोषागारों के स्तर पर निरीक्षण किया जाता है। हमने 98.87 *प्रतिशत* नियोजित कोषागार/उप-कोषागार का निरीक्षण किया। राज्य सरकारों ने हमारी 96.33 *प्रतिशत* सिफारिशें स्वीकार की जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टें	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
कोषागार	759	758	752	967	907
उप कोषागार	1719	1692	1175	723	721
कुल	**2,478**	**2,450**	**1,927**	**1,690**	**1,628**

III क 2014-15 के दौरान कोषागार निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष

हमने राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करने वाले सीमा तक वित्तीय नियमावली के अनुपालन में विचलन देखा। इन विचलनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कपट प्रतिरोधी तंत्र, विस्तृत आकस्मिक बिल (एसी बिल/डीसीबिल) का विलंबित प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण न करना, पेंशनरी लाभों को अधिक/कम भुगतान, पेंशन की संराशीकरण के प्राधिकार के कारण कम की गई पेंशन के भुगतान की तिथि को न बताना, क्वार्टर के किराये की वसूली न करना, पेंशनरी लाभों के अधिक भुगतानों को कम करने के लिए पेंशन लेखापरीक्षा पंजिका की समीक्षा न करना, योजना और गैर योजना से अधिक और बचत और निधियों के विपथन को रोकने के लिए अंतिम बजट का पुन: विनियोजन दोहरे भुगतान से बचने के लिए डीडीओ के वेतन बिलों की जांच हेतु डीडीओ वार कार्य काल सूचियां प्राप्त न करना, सुदृढ समाधान प्रणाली का न होना, जीआईए लेन देनों का अनुचित बजट बनाना, पेंशन जांच पंजिका और बैंक डाटा के बीच मिलान न होना उपदान भुगतान आदेशों में दर्शाये गये विभागीय देय राशि का अधिक भुगतान, अयोग्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अनियमित/अधिक भुगतान, करयोग्य पेंशन बकाया से टीडीएस की वसूली न करना प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रशासक से पीडी/पीएलए की शेष के प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, पेंशन का गलत वर्गीकरण, आकस्मिक निधि से पूरे किए गए व्यय की गलत बुकिंग, निधि के अधिक आवंटन से अधिक आहरण, स्थानीय निधि खातों से निधियों का अधिक आहरण स्थानीय निधि आपरेटरों द्वारा स्वत: चैक से अनियमित भुगतान नियमों का उल्लंघन करते हुए अध्यापकों के वेतन के अग्रिम आहरण दावा न की गई जमा योजनाओं का समाप्त न होना, गैर सरकारी अधिकारियों का डीडीओ के रूप में कार्य करना, व्यक्तिगत जमाखाते, जो कि 3 वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रय है, का बाकि रकम राजस्व खाते में जमा ना किया जाना, स्टाम्प का अधिक स्टॉक ज़रूरतमंद कोषागारों को हस्तांतरित ना करना, खराब स्टैम्प को नष्ट न करना, आदि। ऐसे सभी मामलों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

IV हकदारी कार्यों से संबंधित हमारा निष्पादन

IV क निपटाए गए पेंशन मामले

आईएएण्डएडी में 19 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा पेंशन प्राधिकार जारी किये जाते हैं। इन कार्यालयों ने 4,45,069 पेंशन और संशोधन मामले निपटाए। मामलों को निपटाने में लिया गया औसत समय 30 दिनों (आंध्र प्रदेश, जम्मु व कश्मीर तथा मेघालय) से 60 दिनों (तमिलनाडु और मणिपुर) के बीच था। जबकि 4 कार्यालयों में पेंशन मामलों की प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं था, बाकी कार्यालयों में 1 दिन से 32 दिनों के बीच औसत विलम्ब था। संशोधन मामलों की अधिक प्राप्ति, विभागों से उत्तर/स्पष्टीकरण की देर से प्राप्ति, वर्ष के अन्त में नये पेंशन मामलों का अधिक प्रवाह, स्टाफ की कमी प्रक्रियाधीन पेंशन मामलों में विलम्ब के लिए कुछ कारण थे।

IV ख सामान्य भविष्य निधि लेखों का रखरखाव

28 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में लेखा एवं हकदारी कार्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2014-2015 के दौरान हमने 22 ले.व हक. कार्यालयों के माध्यम से 36,95,163 जीपीएफ खातों का रख रखाव किया। 35,10,597 जीपीएफ खातों के संबंध में (96.01 *प्रतिशत)* लेखा पर्चियां समय से जारी की गई थी।

अनुरक्षित जीपीएफ लेखों की संख्या	समय पर जारी की गई लेखा पर्चियों की संख्या
36,95,163	**35,10,597**

V ग्राहक शिकायतों का समाधान करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय/उठाए गए नये कदम

हम अपने ग्राहकों को निश्चित समय के अन्दर सेवाएं प्रदान करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। हम इस प्रयास में उनके सहयोग की अपेक्षा से पणधारकों के साथ बातचीत करते हुए पर्याप्त सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहे हैं।

इस भाग में कुछ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा किए गए पहल का वर्णन किया गया है।

V क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

सामना की गई चुनौतियां:- राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप कार्यालय ने सरकार के साथ कई बैठके आयोजित की तथा अपेक्षित ब्यौरे मुहैया कर सरकार से अनुसरण किया। इससे परिसम्पत्तियों और देयताओं के संविभाजन से संबंधित मामलों पर करार/स्वीकृति/विचार प्रदान करने में राज्यों को सहायता मिली।

पेंशन: ग्राहक संतुष्टि हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर अंतिम रूप दिये गये पूर्व -1998 के 23000 पेंशन संशोधन मामले।

V ख असम

जीपीएफ ग्राहक पेंशनधारक को सेवा प्रदान करने में सुधार करने और असम सरकार की सहायता से प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में सुशासन और वित्तीय प्रबंधन हेतु उनके क्षमता निर्माण में सरकार की भी सहायता करने के लिए कामरूप (मैट्रो) जिले के डीडीओ और टीओ के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।

V ग उत्तर प्रदेश

निधि विंग: 1 जुलाई 2014 से इस कार्यालय में अंतिम भुगतान मोड्यूल लागू किया गया था और इस प्रकार अंतिम भुगतान मामलों को सटीकता, समयबद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए सभी अंतिम भुगतान और मिलान मामलों को एफपी मोड्यूल द्वारा प्रसंस्कृत किया जा रहा है।

V घ केरल

राजपत्रित हकदारी प्रबंधन प्रणाली (जीईएमएस): जीईएमएस जो राज्य अधिकारियों के हकदारी लाभों के प्रसंस्करण का ध्यान रखता है, को फरवरी 2013 से कार्यालय में लागू किया गया । जीईएमएस को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्वर आधारित प्रणाली के सभी लाभ कार्यक्रम के आसान प्रसंस्करण के संबंध में और विभिन्न प्रकार की वेतन पर्ची/प्राधिकार लेने के लिए साधारण टाईप पूर्व प्रकाशित फॉर्म की

फीडिंग की प्रणाली में अंतरण पर भी समय बचत के लाभ के साथ प्राप्त किये जा रहे हैं।

V ड. महाराष्ट्र-I

वैब आईवीआरएस प्रणाली और एसएमएस द्वारा सुधार की गई सेवा प्रदान करना: एक संरक्षित पासवर्ड द्वारा ग्राहक को आईवीआरएस और वैब द्वारा पारदर्शिता, सूचना प्रसारित करना ग्राहकों को उपलब्ध कराने वाली सेवाओं में जोड़ी गई विशेषता है। एसएमएस अलर्ट अंतिम वापसी के प्राधिकरण पर ग्राहकों को भेजे जाते हैं। नियमित आधार पर आनलाईन प्रश्नों पर निगरानी रखी जाती है। ग्राहक कार्यालय वेबसाईट द्वारा अपने खाते, गुम हुए क्रेडिट, असूचित मद देख सकते हैं और जीपीएफ वार्षिक खाता विवरण देख/डाउन लोड कर सकते हैं।

कार्यशालाएं: सही जीपीएफ सारणियों के प्रस्तुतीकरण और गुम हुए क्रेडिट, असूचित मदों को कम करने के लिए अंतिम भुगतान आवेदन और जीपीएफ शेष के अंतिम भुगतान के समयबद्ध प्राधिकरण के लिए डीडीओ को दिशानिर्देश देने के लिए पुणे, मुम्बई, सतारा और जलगांव में कार्यशाला/अदालत आयोजित की गई थी।

V च महाराष्ट्र-II

वन विभाग के कम्प्यूटरीकृत लेखे का प्रस्तुतीकरण: राज्य सरकार के साथ सहयोग में इस कार्यालय द्वारा पहल किए जाने के परिणामस्वरूप वन विभाग के 140 डिविजनों के मासिक लेखे की ऑन लाईन प्राप्ति आरंभ हो गई।

पेंशन विंग: कार्यालय ने आईएफएमएस पर पेंशन प्राधिकार विवरण अपलोड करने आरंभ किये जहां इस कार्यालय अर्थात पीपीओ/एफपीपीओ, जीपीओ और सीपीओ द्वारा जारी किए गए पेंशन प्राधिकार से संबंधित डाटा 'आईएफएमएस' [राज्य सरकार का वैब आधारित पैकेज जो अंतिम उपभोक्ता अर्थात राज्य कोषागारों हेतु डाटा के अपलोड करने के लिए इंटर फेस उपलब्ध कराता है] पर अपलोड किया जा रहा है। इलैक्ट्रानिक फार्मेट में सूचना को अपलोड कर यह सुनिश्चित किया गया कि महाराष्ट्र राज्य में कोषागार अधिकारी द्वारा प्राप्त इलैक्ट्रानिक प्रति के साथ पीपीओ/एफपीपीओ/जीपीओ सीपीओ की भौतिक प्रति की प्रामाणिकता की तुलना

आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इससे कोषागार स्तर पर डाटा प्रविष्टि कार्य के दोहरीकरण को कम करने में भी सहायता मिली है।

V छ हरियाणा

जीपीएफ: पूर्ण इच्छा/आंशिक इच्छा को समाप्त करने के लिए और नगण्य स्तर के पोस्ट न किए गए/गुम हुए क्रेडिट जीपीएफ सारणी कम करने के लिए उठाये गये कदम राज्य सरकार डाटाबेस से लिखित फार्मेट में प्राप्त/ डाउन लोड किए जाते हैं।

पेंशन: विभाग से मामलों की प्रस्तुति बिना/पेंशन धारक/पेंशन धारी परिवार से/ अनुरोध संशोधित डीए अधिसूचना के संबंध में सुधार किए गए डीसीआरजी मामले रिलीज किए गए।

V ज उत्तराखंड

एक नई पहल के रूप में महालेखाकार, उत्तराखंड की वेबसाइट पर वर्ष 2014-15 हेतु कोषागारों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा की अपलोडिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है और वार्षिक लेखा के अन्तर्गत पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा।

V झ कर्नाटक

आईएफएमएस: राज्य सरकार की खजाना-।। प्रणाली को लागू करना जहां महालेखाकार आंतरिक पण धारक है, प्रक्रियाधीन है।

एसएमएस सुविधा: साई पैकेज एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई एसएमएस सुविधा द्वारा पेंशन धारक तथा इस कार्यालय के बीच संवाद को सुगम बनाता है। इस कार्यालय में पेंशन दस्तावेज की प्राप्ति पर एक यूनिक संख्या इंडैक्सिंग स्तर पर प्रत्येक पेंशन धारक को आवंटित की जाती है। प्रणाली द्वारा दी गई आवेदन संख्या एक पुश संदेश द्वारा भावी पत्राचार हेतु पेंशन धारकों को अग्रेषित की गई है। पेंशन मामले के स्तर वार विवरणों को जानने की सुविधा किसी भी समय पर 'पुल' संदेश द्वारा पेंशन धारक को उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार, पेंशन मामले को अंतिम रूप दिये जाने पर एक एसएमएस संदेश प्राधिकार के प्रेषण की तिथि बताने के लिए पेंशन धारक को भेजा जाता है।

पीआरओ सुविधा: पेंशन पीआरओ काउंटर की सेवाएं पेंशन धारकों की समस्याओं का सुलझाने के लिए उपलब्ध है। टोकन और पीआरओ कांटैक्ट प्राप्त करने के लिए एक टैलर मशीन संस्थापित की गई है। यह एक ही स्थान पर सभी अपेक्षित सूचना पेंशन धारक को उपलब्ध कराता है। अनुभागों के कार्य में भी पेंशन धारकों के बार-बार आने के कारण कोई बाधा नहीं आती।

नई पहल: (1) (फॉक्सप्रो, मेकॉन और एपी पैकेज) के संबंध में तीनों पैकेजों का एकीकरण पूर्ण हो गया है।

(2) अंतिम आहरण/शेष भुगतानों हेतु कम्प्यूटर सृजित प्राधिकार जारी करना दिसम्बर 2014 से आरंभ किया गया है।

(3) एचआरएमएस वैधता द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि सेवा निवृत्ति पर कार्य मुक्ति से पहले विगत छः महीनों के दौरान जीपीएफ वसूली रोक दी गई है, इस कारण शेष बकाया काफी संख्या में कम हो गई है।

V ट त्रिपुरा

एमएसएम अलर्ट प्रणाली पेंशन धारकों के मोबाइल फोन पर पेंशन मामलों की स्थिति प्राप्त करने के लिए आरंभ की गई है।

अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानक में परिकल्पना है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता प्रणाली होनी चाहिए। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों के लिए व्यावसायिक मानकों और पद्धतियों दोनों के महत्व के बारे में सतर्क हैं। यह सभी व्यवसायियों द्वारा असमान परिस्थितियों में अनुकरणीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और उस सीमा तक गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बैंचमार्क का कार्य करता है।

I सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदनों में सुधार के मद्देनजर लेखाकरण मानकों का निरूपण और सिफारिश करना है। सार्वजनिक योजना वित्तपोषण हेतु संसाधनों की केवल पहचान के स्थान पर, नई प्राथमिकताओं को सुशासन वित्तीय सावधानी सार्वजनिक व्यय में कुशलता और पारदर्शिता पर ध्यान देना है। गसब में सरकार (केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी के बहुपक्षीय पणधारियों में से उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों की स्थापना और सुधार करना;
- मानकों का निरूपण करना और प्रस्तावित करना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता को सुधारेगें;
- मानकों को अद्यतित रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;
- मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

- लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और
- वित्तीय प्रतिवेदनों में निहित सूचना की प्रवृति और उद्देश्य की सामान्य समझदारी में सुधार करना।

गसब दो प्रकार के मानक तैयार करता है (I) रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) कहा जाता है और यह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानमण्डल द्वारा अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; और (II) प्रोदभूत आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएस) कहा जाता है और यह गसब द्वारा अनुमोदित तिथि से पायलट अध्ययन के लिए सिफारिशी बन गई। पणधारकों के परामर्श से विकसित मानक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विचार करने और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

I क अधिसूचित लेखाकरण मानदंड

मार्च 2015 तक निम्नलिखित तीन आईजीएएस अधिसूचित किए गए:

- आईजीएएस 1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति पर प्रकटीकरण अपेक्षाएं,
- आईजीएएस 2: सहायता अनुदान पर लेखाकरण और वर्गीकरण,
- आईजीएएस 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम,

I ख सरकार के विचाराधीन लेखाकरण मानदंड

सरकार के विचाराधीन आईजीएएस और आईजीएफआरएस को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

- आईजीएएस 7: विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ
- आईजीएएस 9: *इक्विटी में सरकारी निवेश*

- आईजीएएस 10: सार्वजनिक ऋण और सरकार की अन्य देनदारी पर प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- नकद प्रवाह विवरण पर आईजीएएस (सूचीबद्ध किया जाना)
- आईजीएफआरएस 1: वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण
- आईजीएफआरएस 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
- आईजीएफआरएस 3: सरकारी विनियम लेनदेन से राजस्व
- आईजीएफआरएस 4: इन्वेंटरी
- आईजीएफआरएस 5: आकस्मिक देनदारी (गारंटियों के अतिरिक्त) और आकस्मिक परिसंपत्ति: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

7 मई 2014 को गसब की 30वीं बैठक हुई । इस बैठक के दौरान मामले जैसे आईजीएएस-4 सरकार का सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण (सरकार का जीपीएफएस) पायलट स्टडी हेतु टेम्पलेट का एक्सपोजर ड्राफ्ट, डाक और रेलवे विभाग में नकद से प्रोदभूत लेखाकरण पारगमन का सहभाजन अनुभव; परिसंपत्ति लेखाकरण पर परामर्श; सरकार में प्रोदभूत लेखाकरण के कार्यान्वयन के संबंध में सामान्य विधिक मामले; और सरकार में प्रोदभूत आधारित लेखाकरण के लिए पारागमन हेतु रोडमैप की समीक्षा और प्रोदभूत लेखाकरण हेतु संचालनात्मक प्रारूप पर विवेचना की ग्ई।

इस समय विभिन्न विषयों के साथ साथ सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण, पट्टे, निर्माण, ठेके, परिसम्पत्तियों और देयताओं पर परमर्श, आईसीआरए रिपोर्ट के अध्ययन और कार्यान्वयन, अंतराल विश्लेषण और अध्ययन 14 आदि पर गसब कार्य कर रहा है। चल रहे कार्यों से अलग आईजीएएस 4: सरकार के सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण अगले बोर्ड के प्रस्तुतीकरण हेतु अब तैयार हैं। 2015 के दौरान विभिन्न टास्क आधारित समूहों की पांच बैठक लेखाकरण संगठनों की भागीदारी के साथ आयोजित किये गये थे।

II लेखापरीक्षा कार्य पद्धति और मार्गदर्शन:

व्यावसायिक पद्धति ग्रुप (पीपीजी) को भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की लेखापरीक्षा प्रक्रियायें एवं नीतियां बनाने का अधिदेश है और यह विभिन्न तकनीकी

मुद्दों के लिए एक सलाहकार विंग के रूप में कार्य करता है पीपीजी प्रक्रियायें निर्धारित करके अथवा नई पहल करने से पूर्व एक सलाहकारी दृष्टिकोण अपनाता है। पीपीजी व्यावसायिक मानकों एवं पद्धतियों के विकास एवं उसे और सुदृढ़ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भागीदार है। व्यावसायिक पद्धतियों का तकनीकी बोर्ड भारत के सीएजी को विभिन्न लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण नीतियों और प्रक्रियाओं पर सुझाव देता है। पीपीजी अपने पहलुओं द्वारा तकनीकी बोर्ड को सहायता दी जाती है। उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा करने तथा भारत के सीएजी में व्यावसायिक पद्धतियों को और सुदृढ़ करने के लिए पीपीजी ने 2014-15 के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं:

II क निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा निर्देशों में संशोधन

विभाग ने जुलाई 2014 में संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा निर्देशों को अपनाया। ये दिशा निर्देश पूर्व दिशा निर्देशों में एक सुधार है और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (आईएसएसएआई) हेतु नये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मिलते हैं। ये दिशा निर्देश विभिन्न क्षेत्रों और प्रशासन वातावरण में निष्पादन लेखापरीक्षा करने में विभाग के अनुभव के आधार पर संक्षिप्त, केंद्रित है और प्रासंगिक आवयकतओं को पूरा करते हैं।

इन दिशानिर्देशों की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- वे निष्पादन लेखापरीक्षण के सिद्धांतों के सुदृढ़ वैचारिक आधार पर बल देते हैं और मुख्यालय के नीतिगत योजना को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा स्तर पर योजना प्रक्रिया से वास्तविक रूप से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- विभिन्न लेखापरीक्षा दृष्टिकोण; जिन्हें अपनाया जा सकता है, को पहचानना।
- विभिन्न लेखापरीक्षा परिस्थितियों को संभालने की लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हुए प्रक्रिया केंद्रित दृष्टिकोण सन्निहित करना है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को सुस्पष्ट करते हैं।
- संतुलित रिर्पोटिंग हेतु एक साधन के रूप में लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ लगातार संवाद की महता को परिकल्पित करते है।

II ख राज्य सरकार लेखे की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय परिसंपत्ति लेखापरीक्षण दिशा-निर्देश

राज्य सरकार लेखे की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय परिसंपत्ति लेखापरीक्षण दिशा-निर्देश विभाग में कार्यान्वयन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा (मार्च 2015) अनुमोदित किये गये हैं। ये वित्तीय परिसंपत्ति लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2009 को संचालित करने के लिए अभिप्रेत हैं। दिशा-निर्देश का लक्ष्य विभाग में वित्तीय परिसंपत्ति लेखापरीक्षण को संस्थापित करना है और राज्य सरकार लेखे पर आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से संरचनात्मक रूप में संचालन करना है। ये राज्य सरकारों के वित्त और विनियोजन लेखे की चालू प्रक्रिया के रूप में वित्तीय जांच लेखापरीक्षण करने और उस पर विचार देने की परिकल्पना करता है।

ये दिशा निर्देश राज्य सरकार लेखे के संकलन में उनकी भूमिका की सीमा हेतु आईएएंडएडी और लेखा व हकदारी कार्यालयों में वित्तीय सत्यापित लेखापरीक्षा कार्य निष्पादित कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगी।

II ग मार्गदर्शक टिप्पण:

स्थानीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में संगतता सुनिश्चित करने के लिए और प्रक्रिया से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्गदर्शक टिप्पण जारी किये गये थे:

1. लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्राक्कथन (संघ और राज्य)

मार्गदर्शक टिप्पण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्राक्कथन में समरूपता और संगतता पर बल देता है। इस टिप्पण ने आवश्यक कारक अधिदेश रिपोर्ट के कार्यक्षेत्र मानक अभिस्वीकृति, जो संघ और राज्य की सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को प्राक्कथन में अवश्य होनी चाहिए; का विस्तार किया।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु निजी क्षेत्र रिकॉर्डों तक सीधे पहुंच-प्रोटोकॉल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) के कर्तव्य और शक्तियां निजी क्षेत्र के रिकॉर्डों में सीधे पहुंच और लेखापरीक्षा के लिए कुछ समय के लिए विचाराधीन हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निजी टेलीकाम कम्पनियों के रिकॉर्ड तक पहुंच के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच की थी। माननीय न्यायालयों ने स्वीकार किया कि राज्य स्वाधिकृत संसाधनों का उपयोग कर सार्वजनिक सामान और सेवाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व जिन निजी प्लेयर को सौंपा गया है उनका रिकॉर्ड लेखापरीक्षा हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पहुंच में होना चाहिए।

मार्गदर्शक टिप्पण लेखापरीक्षा वातावरण परिवर्तन, नये प्रोटोकॉल, समझौतों की पहचान, निजी क्षेत्र रिकॉर्ड की पहुंच की आवश्यकता सुनिश्चित करना, जांच का कार्यक्षेत्र, संवाद का रूप, लेखापरीक्षा पार्टियों का संगठन और क्षमता निर्माण में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका को दर्शाता है।

3. सिफारिशों को विकसित करना

मार्गदर्शक टिप्पण निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सिफारिशों के महत्व पर बल देती है और उचित प्रयोगात्मक और निर्माण संबंधी सिफारिशों के विकास में लेखापरीक्षा कार्यालयों को मार्ग दर्शन प्रदान करती है।

टिप्पण करने वाले कार्यों -सिफारिशों की अपेक्षित विशेषताएं और न करने वाले कार्य, सिफारिशें फ्रेम करते समय न करने वाले बिन्दुओं के लिए उदाहरण सहित सिफारिशों का महत्व, प्रवाह, संप्रेषण, संस्थापन और प्रकृति का वर्णन करता है।

4. फौलोअप लेखापरीक्षा

एक मार्गदर्शक टिप्पण (फरवरी 2015) में जारी किया गया जोकि अनुवर्ती लेखापरीक्षा हेतु अवलोकन किये जाने वाले कदमों का वर्णन करता है। यह उस परिस्थिति से संबंधित है जहाँ लेखापरीक्षक विगत निष्पादन लेखापरीक्षाओं के

परिणामों के आधार पर लेखापरीक्षित सत्व या अन्य किसी उत्तरदायी दल की सुधारात्मक कार्रवाई की जांच करता है। यह एक स्वतंत्र कार्रवाई है जो लेखापरीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करते हुए लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मूल्य को बढ़ाती है।

III गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा प्रक्रिया का आवधिक मूल्यांकन है। साई की लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक और लागू विधिक मानकों के अनुपालन के एक तर्कपूर्ण आश्वासन के साथ साई को एक उद्देश्य प्रदान करना है। गुणवत्ता आश्वासन उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो कि उस लेखापरीक्षा प्रक्रिया का भाग नहीं होते जिसकी वे समीक्षा कर रहे हैं। यह आंतरिक रूप से साई द्वारा या अन्य साई द्वारा की जा सकती है । वर्ष 2011-12 में एक बाह्य पीयर समीक्षा की गई थी और बाह्य पीयर समीक्षा दल ने सितम्बर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नियमित पीयर समीक्षाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण मुख्यालय कार्यालय के निरीक्षण विंग द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक होते हैं।

III क आंतरिक पीयर समीक्षाएं

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के रूप में लेखापरीक्षा कार्यालयों की पीयर समीक्षा करते है। ये 'पीयर समीक्षा द्वारा गुणवत्ता आश्वासन' पर दिशा-निर्देशों द्वारा प्रशासित होती हैं। वर्ष 2014-15 में, पीयर सीमक्षा हेतु शेष बचे 16 कार्यालयों की योजना बनाई गई और महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार द्वारा पीयर समीक्षा की गई। निरीक्षण विंग ने इन पीयर समीक्षाओं में सहयोग किया। पीयर समीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा की जाती है।

III ख निरीक्षणों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन

निरीक्षण विंग एक 3 वार्षिक चक्र में शाखा कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है और आईएएडी के लेखापरीक्षा परीक्षा कार्यालयों की पीअर समीक्षाएं भी करता है।

वर्ष 2012-13 में निरीक्षण रिपोर्ट के फॉर्मेट और जांचसूची/दिशा-निर्देशों को दोनों लेखापरीक्षा और लेखा व हकदारी कार्यालयों के संबंध में संशोधित किए गए थे और इन्हीं आधारों पर अब निरीक्षण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए, रिपोर्ट 6 विभिन्न परिमाणों अर्थात कार्यालय निष्पादन, लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा पद्धति, गुणवत्ता नियंत्रण, पणधारक प्रबंधन, प्रबंधन और सहायता संरचना को कवर करता है और नमूना लेखापरीक्षा टिप्पण लेखा व हकदारी कार्यालयों के लिए, रिपोर्ट कार्यालय निष्पादन, लेखे, निधि, पेंशन व जीई विंग, प्रशिक्षण, पणधारक प्रबंधन/सहायक संरचना और नमूना लेखापरीक्षा टिप्पण और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कार्यालय निष्पादन, प्रशिक्षण, छात्रावास सुविधा, प्रबंधन और सहायता संरचना कवर करती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 33 मुख्य कार्यालयों (लेखा एवं हकदारी-02, लेखापरीक्षा-25, सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-4, और प्रशिक्षण संस्थान-2) का 319 पार्टी दिनों का प्रयोग करते हुए निरीक्षण किया गया।

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	की गई सिफारिशों की संख्या	कार्यान्वित सिफारिशों की संख्या	अनुपालन की प्रतिशतता
33	**33**	**2,658**	**1,238**	**47**

अध्याय 6

हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

आईएसएसआई 10 निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त श्रमबल, सामग्री और मौद्रिक संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंधन और उसका समुचित आवंटन करना चाहिए।

I हमारा वित्तीय प्रबंधन

हमने 2014-2015 में ₹3214.71 करोड़ खर्च किये। घटक-वार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

I क व्यय के घटक

हमने अपने संसाधनों का 87.55 *प्रतिशत* 'वेतन और पारिश्रमिक' तथा 4.03 *प्रतिशत* 'यात्रा' पर व्यय किया। इस प्रकार कुल व्यय का 91.58 *प्रतिशत* सीधे हमारे मानव संसाधन पर खर्च हुआ।

(₹ करोड में)

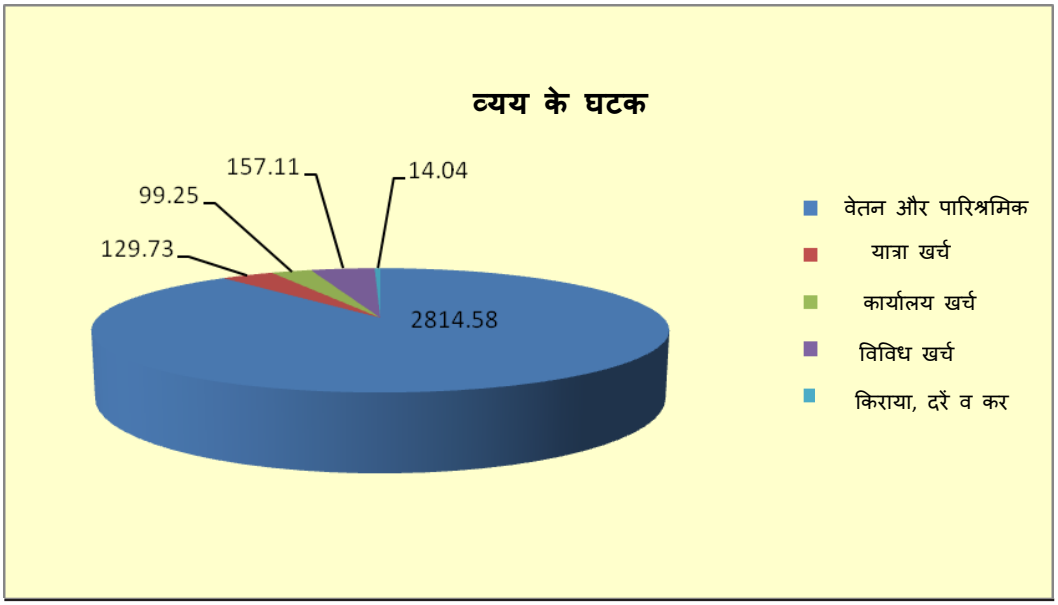

। ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग पर किये गये समग्र व्यय 'दत्तमत' है। सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों के बाद सिविल लेखा कार्यालयों ने सबसे अधिक व्यय किया। हमने कुल 61.74 *प्रतिशत* लेखापरीक्षा पर खर्च किया (मुख्यालय छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 33.37 *प्रतिशत* था।

कार्यालयों की श्रेणियां	**वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)**	**व्यय की *प्रतिशतता***
मुख्यालय कार्यालय	98.15	3.05
विदेश स्थिति लेखापरीक्षा कार्यालय	24.66	0.76
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1499.19	46.63
डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	95.07	2.95
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	174.64	5.43
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	66.85	2.07
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	124.42	3.87
एनएएए, शिमला	10.00	0.34
आईसीसा, नोएडा	8.87	0.28
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	23.39	0.73
विभागीय कैंटीन	12.82	0.40
सामान्य लेखा कार्यालय	1072.87	33.37
यूएन लेखापरीक्षा	3.78	0.12
जोड़	**3214.71**	**100**

I ग लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का आवंटन

2014-15 के दौरान संघ और राज्य सरकारों के ₹61,90,097 करोड़ के संयुक्त बजटीय राजस्व और व्यय के प्रति लेखापरीक्षा करने के लिए कुल बजट ₹1984.86 करोड़ था। प्रतिशतता के रूप में स्पष्ट करते हुए 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय संघ और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय के कुल भाग का 0.032 *प्रतिशत* था। व्यय के उपरोक्त आंकडों में केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेन देन, स्वायत्त निकायों, पर्याप्त मात्रा में सरकारी अनुदानों द्वारा वित्तपोषित निकायों, ऋणों और संघ और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के लेन देन, जिनकी लेखापरीक्षा भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, को शामिल नही किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यों पर लेखापरीक्षा के लिए बजटीय आवंटन
बजट किए गए प्रत्येक एक लाख रूपये के लेनदेन (राजस्व और व्यय) में से लेखापरीक्षा के लिए केवल ₹32 ही आवंटित किए गए थे।

II हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। आईएसएसआई 40 निर्धारित करता है कि साई को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए कि उसके पास अपना कार्य प्रभावशाली रूप से करने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं। 2014-15 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकासों में निम्नलिखित शामिल थे:

- 2014-15 के दौरान स्टाफ विंग का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग था। डिविज़नल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों एवं डाटा एंट्री आपरेटरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त मांग 2014-15 के दौरान पूरी कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप समूह 'ग' सवंर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान हुआ।
- विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी, यदि कोई हो, के कारण कार्य प्रभावित न हो।

III हमारे लोग

हमारा श्रमबल मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत है:

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एएस	711@
पर्यवेक्षीय संवर्ग	15,425
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	25,344
बहुविधि कार्य स्टाफ	5,535
जोड़	**47,015**

@ विभाग में कार्य कर रहे इन 711 आइए एंड एएस अधिकारियों के अतिरिक्त, 78 आईए एंड एएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

आईएएंडएडी में करीब 34.32 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और जो लेखा एंव लेखापरीक्षा स्टाफ का 53.91 *प्रतिशत* बनता है। कुल संख्या का केवल 11.77 प्रतिशत (एमटीएस) है जो सहायता कार्य प्रदान करते है। 68,424 की संस्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 68.71 *प्रतिशत* स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने वर्ष के दौरान लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ की श्रेणी में 1,128 लोगों की भर्ती की। इससे काफी हद तक कमी दूर करने में सहायता मिली।

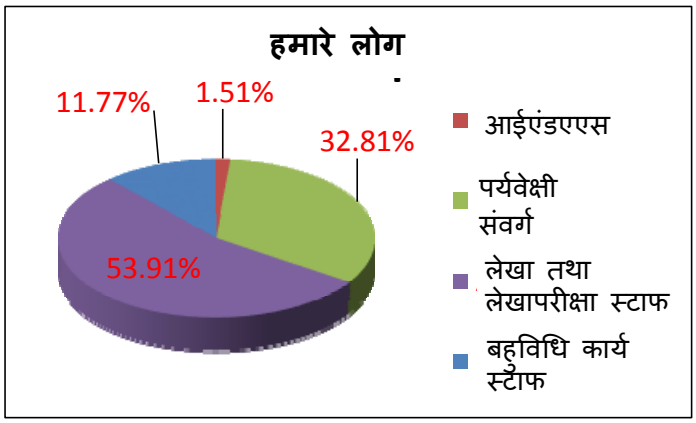

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (आईएएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आईएएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन

स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। यह सेवा भारत सरकार की समूह 'ए' सेवा कहलाती है।

पर्यवेक्षी संवर्ग - राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह ख राजपत्रित) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा है। सामान्य रूप से अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ - यह संवर्ग डॉटा एन्ट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है और हमारी कुल श्रमबल का 53.91 *प्रतिशत* है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधि कार्य स्टाफ - विभिन्न आईएएडी कार्यालयों में सभी सहायता कार्य, बहु-विधिकार्य स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता है।

IV अर्हता

वर्ग 'ख' और 'ग' संवर्गों में हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 89 डाक्ट्रेट, 1,780 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त अधिकारी, 4873 स्नातकोतर और 27,830 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में 16 डॉक्ट्रेट, 240 व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त[3] अधिकारी, 305 स्नातकोत्तर और 150 स्नातक हैं।.

V भर्तियाँ

हमने 2014-15 में 1,153 कार्मिक भर्ती किए। लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ श्रेणी में बडी संख्या में भर्तियाँ (1,128) की गई।

---

[3] इंजीनियर, डाक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।

VI लिंग संतुलन

साथ में दी गई तालिका विभाग के विभिन्न संवर्ग में लिंगानुपात दर्शाती है। आईएएण्डएएस में महिलाओं का अनुपात अधिकतम है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष	प्रतिशतता
आईएएण्डएएस	171	540	24.05
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखा/ लेखापरीक्षा स्टाफ	7,105	33,680	17.42
मल्टी टास्किंग स्टाफ	767	4,752	13.90
जोड़	**8043**	**38,972**	**17.10**

VII स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ और पर्यवेक्षण सवंर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 229 स्टाफ एसोसिएशन और पाँच आल इंडिया फेडरेशन हैं। संबंधित फील्ड लेवल सर्विस एसोसिएशन के साथ पीएजी/एजी ने राज्य स्तरीय बैठक करायी।

VIII प्रकाशन

ज्ञान को साझा करने के प्रयास के एक भाग के रूप में हमारे संगठन के कार्यात्मक विंगों और कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र और जर्नल प्रकाशित किए जाते हैं। आईसीईडी का एक त्रैमासिक समाचार पत्र 'ग्रीन फाइल्स' पर्यावरण के क्षेत्र में विकास को दर्शाता है; प्रत्यक्ष कर विंग ''रुपी ट्रेल'' नाम से एक त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विकास को दर्शाया जाता है।

ई जर्नल के रूप में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा के जर्नल को पुनर्जीवित किया गया, फिर से सामने लाया गया और नया नाम दिया गया। जर्नल का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र के साथ साथ विभाग में मुख्य कार्य, सर्वोत्तम अभ्यास का विस्तार करते हुए आंतरिक संचार माध्यम के रूप में कार्य करना है। जर्नल अंतर्राष्ट्रीय डैस्क से नई नीति पहल और सूचना को उजागर करता है। जर्नल का पहला अंक नवम्बर 2013 में जारी किया गया था।

सरकारी लेखापरीक्षा तथ लेखा का जर्नल का दूसरा अंक वेबसाईट पर जनवरी 2015 में अपलोड किया गया था। अंक ने अक्तूबर 2014 में महालेखाकार सम्मेलन के मुख्य अंश, लेख तथा अन्य आधारभूत विशेषताएं प्रस्तुत की। कर हस्तान्तरण जैसा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया, के परस्पर भाग के विश्लेषण पर वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त कर हस्तान्तर मांडल की कार्यप्रणाली की बेहतर सराहना के लिए तथा मॉडल के उन पक्षों की पहचान जिन पर सुधार किया जा सके, के लिए एक लेख लिखा गया। क्षैतिज हस्तान्तरण का यह विश्लेषण विजुअल ऐनालिटिक्स टूल्स (क्लिकव्यू तथा टेब्लो) के प्रयोग के माध्यम से किया गया, जर्नल का ई संस्करण डाटा विजुअलाईजेशन एक संवादात्मक रीति से उपलब्ध कराता है तथा पाठक कर हस्तान्तरण का अतिरिक्त विवरण खोज सकता है।

IX हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते है?

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न कार्यात्मक द्वारा निर्धारित विभिन्न गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण तथा पणधारियों के प्रयोग के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह नीतियों के सूत्रीकरण, योजनाओं की तैयारी, निदेशक सिद्धान्त जारी करने, बजटिंग निधियों के आवंटन, विभिन्न गतिविधियों की निगरानी तथा विभाग में, सत्र के बीच में, विभिन्न कम्प्यूटरीकरण उपक्रमों पर शोधक कदम लेने के लिए जिम्मेदार है। यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वेबसाईट तथा दूसरी संबंधित वेबसाईटों का भी अनुरक्षण करता है। दूसरे उपक्रमों में आईएएडी के पीएओज में ई भुगतान का कार्यान्वयन तथा आईएएडी के सभी डीडीओज में काम्पडीडीओ का कार्यान्वयन शामिल है।

1. विभाग के सभी पीएओज के लेखा कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कम्प्यूटराईज्ड अकाउंटिंग (सीओएमपीएसीटी) साफ्टवेयर के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया था। 1.4.2013 से सभी 30 पीएओ में अनुप्रयोग को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है तथा मासिक डाटा को ई लेखा जो कि प्रधान पीएओ द्वारा मासिक लेखा को समेकित करने के लिए प्रयुक्त होता है, में अपलोड करना शुरू कर दिया था।

2. विभाग में ई-भुगतान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। .

3. एनआईसी ने डीडीओ कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए एक कॉम्पडीडीओ अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) विकसित किया है। पैकेज में डीडीओ की सभी आवश्यकताएं शामिल हैं तथा कॉम्पैक्ट के साथ एकीकरण की भी सुविधा है जिसके परिणामस्वरूप ई-भुगतान का क्रियान्वयन सरल हुआ। डीएआई ने तीन चरणों में आईएएंडएडी (करीब 180) के सभी डीडीओ में परियोजना का कार्यान्वयन अनुमोदित किया है। 46 डीडीओ के साथ चरण-1 क्रियान्वित किया जा रहा है।

4. केरल के लिए जीई सॉफ्टवेयर के विकास के लिए परियोजना कार्यान्वित की। जीई पैकेज कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से ही विशिष्ट रूप से निर्मित किया जा रहा है और कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों में अध्ययन किया जा रहा है।

5. मेल सेवा को एनआईसी मेल सर्वर में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान इंटरनेट तथा ई-मेल की सेवाएं सभी आईएएएस को अबाधित रूप से प्रदान की गई थी। वैयक्तिक मामलों में समस्या यदि कोई है पर जैसा तथा जहां उन्हें सूचित किया गया, ध्यान दिया गया था।

6. क्षेत्रीय कार्यालयों की सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं उपलब्ध बजट की वित्तीय बाधाओं के अन्दर पूरा किया गया था।

7. हमारे विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों को एक डाटा संग्रहण तथा विश्लेषण साधन के रूप में आईडिया सॉफ्टवेयर के आधुनिकतम संस्करण के लाईसेंस प्रदान किए गए है। आईडिया 9.2 सॉफटवेयर पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी दिया गया था।

8. सार्वजनिक इंटरनेट पर विडियो नामक एक तकनीक प्रयोग करते हुए विभाग में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सफलता पूर्वक की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों को

आवश्यक निर्देशन तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे है। वर्ष के दौरान 54 वीसीज की गई थी।

9. बेहतर प्रस्तुतीकरण तथा खोज सुविधा के साथ नई वेबसाईट का विकास उन्नत अवस्था में है।

X राजभाषा को बढावा देने के लिए हमारे प्रयास

X क प्रकाशन

हमने मुख्यालय से वर्ष के दौरान राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका ''लेखापरीक्षा प्रकाश'' के पांच अंक प्रकाशित किये । क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हिन्दी की पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित करते है।

X ख हिन्दी कार्यक्रम

(क) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठके की हैं।

(ख) मुख्यालय में 15.9.2014 से 30.9.2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। कार्यालय के दैनिक काम काज में हिन्दी के प्रयोग के प्रचार के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिन्दी पखवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयेजित की गई।

(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्राल/विभाग के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

(घ) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया।

(ड.) संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्यालय के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, संसदीय राजभाषा समिति ने कपूरथला में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय डाक एवं दूरसंचार में राजभाषा के विकास के विषय में विचार विमर्श किया।

X ग अनुवाद कार्य

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी में अनुवाद किए गए:

(क) सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्तियाँ;

(ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात।

XI अवसंरचना विकास

समस्त भारत में विभिन्न स्टेशनों पर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:-

निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

1. अहमदाबाद - टाइप -VI के 2 आवासीय क्वार्टर तथा टाईप-V के 8 आवासीय क्वार्टर तथा एक अतिथि गृह
2. देहरादून - अतिथि गृह
3. पोर्ट ब्लेयर - 20 आवसीय क्वार्टर
4. पुरी - शाखा कार्यालय
5. पटना - टाईप- V के 8 आवसीय क्वार्टर

इन पूर्ण परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं:

1. देहरादून - एजी कार्यालय भवन
2. इटानगर - एजी कार्यालय भवन
3. लखनऊ - एजी कार्यालय भवन
4. कोहिमा -104 आवसीय क्वार्टर
5. पटना - टाईप-।।। के 24 आवसीय कार्यालय तथा टाईप-IV के 32 आवसीय क्वार्टर
6. शिलॉंग - आरटीआई का शैक्षणिक ब्लॉक, शिलॉंग
7. शिलॉंग - पारगमन आवास

अध्याय 7

आईएएडी में क्षमता निर्माण

1. प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था के पास इसके संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने का एक दुष्कर उत्तरदायित्व है। हमेशा बदलते परिवेश में पूर्ण रूप से इस कार्य को करना काफी चुनौतीपूर्ण है, और यह सार्वजनिक लेखापरीक्षा के माध्यम से सुशासन और जवाबदेही को बढाने हेतु इस वचनबद्धता के साथ है कि आईएएडी ने व्यावसायिक कौशल तथा कुशलता को इसके मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, जो ग्रुप ए, बी एवं सी कार्मिक को दिया जाता है, निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है।

प्रशिक्षण कार्यनीति, प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को उनकी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता तथा मजबूत करने की ओर उन्मुख है। कार्यनीति, कार्यात्मक समूहो की क्षमता मांगों तथा प्रशिक्षण से संबंधित मूल वरीयताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा प्रभावकारिता बढाने पर लक्ष्य रखती है।

लक्ष्य ''व्यवहारिक तथा संस्थागत संवर्धन को बढावा" है।

2. आईएएडी में क्षमता निर्माण

महालेखाकार के अक्तूबर 2014 में आयोजित 27वें द्विवार्षिक सम्मेलन पर चर्चा के लिए प्रस्तुत महत्वपूर्ण विषयों में से ''आईएएडी में क्षमता निर्माण'' था। चर्चा साई भारत की वैश्विक भूमिका द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों को पूरा करना तथा नए उत्तरदायित्वों का भार उठाने के लिए विभाग की क्षमता को सशक्त बनाने पर केन्द्रित था। प्रखर प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन क्षमता निर्माण में शामिल है तथा यह साई भारत के प्रशिक्षण विंग का उत्तरदायित्व है। प्रशिक्षण विंग, महानिदेशक, एक वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, दो सहायक प्रशासन अधिकारियों

तथा कार्य कुशल सहयोगी कर्मचारियों द्वारा सहायता प्राप्त डीएआई के अन्तर्गत कार्यान्वित है। क्षमता निर्माण के उद्देश्य है:

- कार्य-क्षेत्र ज्ञान सुधारना तथा इसका प्रशिक्षण सामग्री में अनुवाद
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार
- अध्ययन परिणामों में सुधार

3. आईएएडी के प्रशिक्षण संस्थान

विभाग की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा तीन क्षेत्रीय केन्द्र सम्मिलित है।

i) **राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला :** राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी (एनएएए) आईएएडी का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है। इसने वर्षों से आईएएडी के सैकडों अधिकारियों प्रशिक्षुओं को उन्हें अत्यधिक

व्यावसायिक तथा सक्षम अधिकारी में गढने के उद्देश्य के साथ प्रशिक्षित किया है। आईएएडी अधिकारियों को एक लेखाकार तथा लेखापरीक्षक के व्यावसायिक कौशल के साथ आईएएडी के कर्मचारियों, जिसकी क्षमता लगभग 47,000 कार्मिक है, के प्रबंधन की प्रशासनिक योग्यता को उपार्जित

करने तथा युक्त होना अपेक्षित है। संस्थान अधिकारियों को पेशे के बीच में तथा नौकरी के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

इसके आरम्भ से आईएएएस अधिकारियों के 60 से अधिक बैच, अकादमी में व्यापक तथा समग्र रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके संवैधानिक तथा सांविधिक कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता करने के प्रति उनकी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। संयोग से, यह केवल आईएएएस के अधिकारी ही नहीं है जो अकादमी की निपुण तथा कुशल संरचना के अन्तर्गत सफल हुए हैं, परन्तु अन्य सेवाओं, जैसे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (1950) तथा भारतीय सिविल लेखा सेवा (1984-92) के अधिकारी जो आईएएएस परिवीक्षाधीन के साथ यहां प्रशिक्षित हुए हैं, भी हैं। अकादमी ने अपनी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण विशेषज्ञता को नेपाल, भूटान तथा ओमान जैसे विदेश के अधिकारियों तक भी प्रसारित किया है।

<u>आईएएएस अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण</u>: भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारी, अन्य संगठित अखिल भारत तथा केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ भारत सरकार द्वारा नामित अलग प्रशिक्षण

संस्थानों में 15 सप्ताह का एक फाउंडेशन कोर्स, करते हैं। इसके बाद वे अकादमी पर प्रवेश प्रशिक्षण से गुजरते है जो उन्हें व्यावसायिक सार्वजनिक

क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रबंधक तथा लेखापरीक्षा कार्यकारियों के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।अधिकारी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2013-14 में विस्तार में समीक्षित तथा उपयुक्त रूप से संशोधित की गई थी।

अकादमी पर 94 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय प्रवेश प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष मध्य दिसम्बर के पास शुरू होता है तथा एक सैंडविच पैटर्न में आयोजित होता है: 54 सप्ताह का चरण-। प्रशिक्षण, सारे देश में दोनों, लेखापरीक्षा कार्यालयों, तथा लेखा एवं हकदारी (ए एंड ई) कार्यालयों में 34 सप्ताहों का अंत:कार्य प्रशिक्षण (ओजेटी) द्वारा अनुकरणित, अकादमी पर 6 सप्ताहों के लिए चरण-।। प्रशिक्षण द्वारा अनुकरण किया जाता है। चरण-। के दौरान ओटीज को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा विभागीय परीक्षाओं के दो सैटों के लिए तैयार किए जाते है। उनका प्रतिष्ठित संस्थानों पर प्रशिक्षण संयोजन भी होता है जो उन्हें कक्षा सत्रों में तकनीकी इनपुटों के परे सोच के एक उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रशिक्षण में एक ट्रैक तथा एक अध्ययन यात्रा भी शामिल है। चरण-।। के दौरान, ओजेटी के दौरान प्राप्त अनुभवों के सहभाजन तथा इस चरण के अन्त पर उनको निर्दिष्ट किए जाने वाली जिम्मेदारियों के लिए युवा अधिकारियों को लैस करने के लिए तकनीकी कौशलों को सुदृढ करना तथा स्वतंत्र प्रभार के साथ शाखा अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित रहता है। इस चरण में कार्य पद्धति मुख्यत: केस स्टडी, आईएएडी के अन्दर तथा बाहर से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवादात्मक कक्षा सत्र तथा कार्यनीति के प्रस्तुतिकरण तथा सिंडिकेट पेपरों से बनी होती है। प्रशिक्षुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथा तथा आदर्श सुगम्य बनाने के उद्देश्य से उनका एक एक सप्ताह का विदेश संयोजन भी होता है, जो 2014 में राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय लंदन के साथ था। इस संयोजन के दौरान उन्हें एक सतत बदलते वातावरण में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षकों द्वारा अभिमुख होने वाली चुनौतियों, एनएओ द्वारा अंगीकृत जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टि को, आंतरिक नियंत्रण की पहचान तथा इसका

मूलभूत जांच पर प्रभाव, लेखापरीक्षा प्रक्रिया में गुणवता का आश्वासन इत्यादि को समझाया जाता है।

ii. **<u>अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा)</u>:** अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा) मार्च 2002 में नोएडा में स्थापित हुआ था; तथा अप्रैल 2006 में एक स्वतंत्र कार्यालय बन गया था। आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके साथ-साथ केन्द्र विभिन्न सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनीक सेवा, भारतीय वन सेवा, सशस्त्र सेनाएं, संसदीय सचिवालय तथा केन्द्रीय स्वायत निकायों, साथ-साथ अन्य साईज से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा, सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा, जो केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ई गवर्नेन्स की पहलों के भाग के रूप में जो देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे है, के लिए एक ''उत्कृष्टता का केन्द्र'' है। आईसीसा ई-गवर्नेन्स तथा सूचना तकनीकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का केन्द्र है। केन्द्र ने विभाग में नए डाटा एनालिसिस टूल्स, क्लिक्व्यू तथा टेब्लो आधुनिकतम है, की शुरूआत तथा कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान किया है। आईसीआईएसए ने ईआरपी वातावरण में लेखापरीक्षा यानि एसएपी, ओरेकल वित्तीय, पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है। पिछले पांच वर्षों तक, 2500 से अधिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा व्यवसायियों को अलग आईटी मंचो, टूल्स तथा वातावरणों में लेखापरीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। केन्द्र इंटोसाई कोलाबोरेशन टूल का संचय भी करता है जो वैश्विक साई के बीच में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

आईसीआईएसए एक आईएसओ 9001:2008 तथा आईएसओ 27001:2005 प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा वैश्विक उत्कृष्ट प्रथाओं के साथ आईंटी लेखापरीक्षा के संरेखण के लिए प्रयास करता है।

आईसीआईएसए प्रत्येक वर्ष पांच/छः अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये कार्यक्रम चार सप्ताह अवधि के होते है। विदेश मंत्रालय आईटीईसी (भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग) ; एससीएएपी (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकन सहायता कार्यकम) तथा सीपी (कालम्बो योजना) के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृति प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य हैं;

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन देती है, तथा अन्य सरकार के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढाना।
- विभिन्न साई के इकट्ठे होने तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार तथा अनुभवों के सहभाजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना।
- अलग साई से सहभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन बेहतर प्रथाओं का विवरण प्राप्त करने तथा उभरती हुई लेखापरीक्षा प्रयोजनो पर ध्यान केन्द्रण का एक अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमो में भाग लिया है।

एसएआई भारत द्वारा संचालित आईटीपीज के अन्तर्गत, दुनिया भर से 136 सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3954 वरिष्ठ तथा मध्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। हाल ही में, 121 आईटीपी के सहभागियों ने आईटीईसी के 50वें वर्ष के उत्सव में भाग लिया था।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च उच्चतम लेखापरीक्षा संस्थाओं की क्षमता निर्माण में योगदान देता है। केन्द्र ने अनेक देशों यथा अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, ओमान तथा युगांडा से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

साई तथा संबंधित देशो के बीच बंधन को गहरा करने के लिए एक प्रभावकारी साधन है।

आईसीसा विभागीय यूएन लेखापरीक्षा टीमों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। केन्द्र ने आरम्भिक 2015 में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण कार्य की लेखापरीक्षा करने वाली 8 टीमों को रिमोट एक्सेस लेखापरीक्षण के लिए अवसंरचना प्रदान की है।

एक अभिनव पहल में, आईसीसा ने बजट निरूपण तथा लेखापरीक्षा के विषय पर उत्तराखंड की विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए एक एक दिन की कार्यशाला आयोजित की।

iii. **<u>अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी):</u>**

जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी) की स्थापना मई 2013 में हुई थी। भवन की संकल्पना एक हरित भवन के रूप में की गई थी तथा इसका उद्देश्य एकीकृत प्राकृतिक आवास निर्धारण (जीआरआईएचए) के लिए हरित मूल्यांकन प्राप्त करना है। आईसीईडी की संरचना वातावरण के संरक्षण की वास्तविकता के प्रति जागरूकता तथा इस वास्तविकता में इसकी भूमिका, चुनौती के लिए तैयार रहना, तथा इंटोसाई समुदाय में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा तथा सतत विकास की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में उभरने की अभिव्यक्ति है। आईसीईडी पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर इंटोसाई की वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला जीटीएफ प्रशिक्षण नवम्बर 2013 में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामग्री साई यूएसए,

एस्टोनिया, ब्राजील, नार्वे, फिनलैंड तथा निस्संदेह, भारत के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई, तथा प्रशिक्षण इन विशेषज्ञों द्वारा जयपुर में प्रदान की गई। आईसीईडी ने 2014-15 के दौरान 13 साई से 21 सहभागियों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साई ओमान से 25 सहभागियों के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम आयेजित किया।

इसके अतिरिक्त, आईसीईडी पर्यावरणीय लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों के लिए सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

आईसीईडी ने पर्यावरणीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हैंड होल्डिंग सत्र प्रदान किए जिनमें यह प्रतिवेदन विस्तृत है तथा बड़ी तस्वीर प्रतिबिम्बित करते है, यह आश्वस्त करने के लिए मानदंड स्थिति कारण निष्कर्ष संस्तुति ट्रेल को स्थापित करते समय मानदंड के चयन, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पहचानने, डाटा के स्रोत को पहचानने तथा भाग लेने में लेखापरीक्षा टीमों का सहयोग करता है। आईसीईडी इसकी संस्थागत भागीदारी के माध्यम से लेखापरीक्षा में अंतर्अनुशासनिक दृष्टिकोण को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को इकट्ठा किया है।

iv. <u>क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र:</u>

आईएएडी के पास आईएएडी के ग्रुप बी तथा सी संवर्गो को समर्थ बनाने के लिए देश भर में 9 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) तथा 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसीज) स्थित है। प्रथम आरटीआई 1979 में चेन्नई में स्थापित हुई थी। अन्य मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू ,शिलांग, रांची, नागपुर तथा इलाहाबाद में स्थित है। 1997 में, आसपास के आरटीआई के प्रशिक्षण भार के सहभाजन को तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली, हैदराबाद तथा बैंगलोर में स्थापित किए गए थे।

आरटीआई/आरटीसी की नीतिगत प्राथमिकताओं में ग्रुप बी तथा सी कर्मचारी का प्रशिक्षण तथा उनके क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रथाओं तक पहुंच बनाने में अधिकारियों को सक्षम करने के लिए ज्ञान तथा अनुभव का सहभाजन

शामिल है। आरटीआई/आरटीसी डीआरएएओज के लिए भी 7 महीनों का प्रशिक्षण आयोजित करते है। इसमें 3 महीनों का प्रवेश प्रशिक्षण, 1 महीने का उनके संबंधित क्षेत्र कार्यालयों में अंत कार्य प्रशिक्षण तथा अनुभाग अधिकारी की ग्रेड परीक्षा के लिए 3 महीनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण सम्मिलित है।

हमारे संगठन में अधिकारी तथा कर्मचारी लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन तथा सूचना तकनीकी में व्यापक रूप से प्रशिक्षित हैं। विभाग में 12 प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने के अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयों को उनके लोगो की विशेष प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने का ध्यान रखने की देखभाल करने के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण आयोजित कराने की भी आवश्यकता होती है।। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि के इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते है।

4. प्रशिक्षण कार्यप्रणाली तथा प्रक्रियाएं:

i. **केन्द्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** प्रतिवर्ष प्रशिक्षण हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। केद्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए एनएएए, आईसीसा और आईसीईडी के प्रशिक्षण कैलेण्डरों की गहराई से समीक्षा की जाती है। सीटीएसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानो की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्य का भी निरीक्षण करती है।

ii. **प्रशिक्षण को विश्लेषण की आवश्यकता** प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है। यह एक विभाग/संगठन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। हमारी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नीतिगत योजना में परिकल्पित उद्देश्यों तथा अभिज्ञात मुख्य केन्द्र क्षेत्रों से

बाहर उभरना होता है । संगठन स्तर पर प्रशिक्षण को विश्लेषण की आवश्यकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर पहुंचने तथा पाठयक्रमों के प्रभावकारी रूपांकन, कार्यान्वित तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में भी सहायता करती है कि कौन से आलोचनात्मक, नए या अलग कौशल आधुनिकतम चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

संगठन स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यालय के सभी कार्यात्मक शाखाओं से इनपुट्स की मांग की जाती है। प्रयोक्ता कार्यालयों के प्रशिक्षण को विश्लेषण की आवश्यकता के आधार पर आरटीआईज/आरटीसीज में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। प्रशिक्षण के लिए नए क्षेत्र तथा प्रशिक्षण के वर्तमान क्षेत्रों में सुधार क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यात्मक शाखाओं द्वारा क्रियान्वित प्रशिक्षण को विश्लेषण की आवश्यकता के आधार पर पहचाना जाता है।

iii. **संरचित प्रशिक्षण मापदंड** एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के मन और आत्मा है। प्रशिक्षण मापदंड:

- प्रशिक्षक के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करना
- प्रशिक्षुओं के लिए एक मार्गदर्शक तथा उत्तर संदर्भ के रूप में कार्य करना
- दस्तावेज प्रक्रियाएं तथा सर्वोत्तम प्रथाएं

एसटीएमज प्रशिक्षण उद्देश्यों की जागरूकता बनाने में सहायता करते है तथा उनको पूरा करने की रणनीति में सहायता करते है। हमारे सभी प्रशिक्षण संस्थान नियमित अद्यतन तथा समकक्ष समीक्षित एसटीएमज पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसारित करते है। प्रशिक्षण मापदंडों के लिए विषयवस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषयवस्तु के विशेषज्ञ होते है, द्वारा विकसित की जाती है।

एसटीम्ज़ निम्नलिखित के निर्धारण पर अभिकल्पित होते है:

- सहभागियों का मौजूदा ज्ञान
- सहभागियों के काम से संबंधित आवश्यकता
- वे क्या जानते है तथा उन्हें क्या जानना चाहिए के बीच अन्तर विश्लेषण

2014-15 के दौरान प्रशिक्षण शाखा ने एसटीएम्ज़ का अद्यतन शुरू किया। सभी एसटीएमज आरटीआईज/आरटीसीज द्वारा अद्यतन की प्रक्रिया में है। इसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर आयोजित करने से पहले, विशेष क्षेत्र में उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले आईएएंडएस अधिकारी द्वारा समकक्ष समीक्षित की जाती है।

5. आईएएंडएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ करना मध्यम अवधि योजना

हमारी प्रशिक्षण नीति ज्ञान प्रतिधारण तथा कार्यस्थल पर स्थानान्तरण, कर्मचारियों को और अधिक प्रभावकारी बनने में सक्षम बनाना तथा अधिक कौशलों को पर्याप्त करने का लक्ष्य करती है। आईएएडी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण को सुदृढ करने के लिए एक सर्वांगीण मध्यम अवधि योजना, आरटीआईज की प्रभावकारिता को बढाने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 22 अगस्त, 2014 को संस्वीकृत की गई थी।

एक चरणबद्ध तरीके में सभी आरटीआईज तथा आरटीसीज की अवसंरचना को अद्यतन किया जा रहा है। अद्यतन कार्यक्रम में वर्तमान अवसंरचना का आधुनिकीकरण तथा नई अवसंरचना का निर्माण, मुख्यत: प्रशिक्षण हॉल, ईडीपी प्रयोगशालाएं, हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक इत्यादि शामिल है।

कर्मचारीक्षमता की समीक्षा, ज्ञान केन्द्रित गतिविधियों पर अधिक प्रभाव, पाठयक्रम विषय वस्तु में सुधार तथा निर्धारित प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करना, योजना के अन्तर्गत अन्य ध्यानाकर्षण क्षेत्र है।

इस कार्यक्रम में आरटीआईज जम्मू और शिलांग को 2014-15 के दौरान प्राथमिकता दी गई। इन दोनों आरटीआई में अवसंरचना सुविधाओं के सुधार हेतु अनुमोदित सिविल कार्य प्रगति पर है और 2015-16 के दौरान पूरे होने की उम्मीद है।

धीरे धीरे सभी आरटीआई तथा आरटीसी को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अवसंरचना तथा अद्यतित शिक्षण साधनों से सज्जित किया जाएगा।

6. आईए एंड एएस अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठा के संस्थाओं पर कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण:

- वर्ष 2014 के लिए निम्नलिखित कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए है तथा सहभागियों द्वारा अच्छी तरह से सराहना की गई थी:

- 6-8 वर्षों की सर्विस वाले आईएएएस अधिकारियों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद पर कार्यकारी विकास कार्यक्रम

  – कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय विषयों की समझ विश्लेषण उपक्रमों तथा प्रबंधन सूझबूझ को सुदृढ करना है।

  – 2014-15 में कार्यकारिणी विकास प्रबंधन के अंतर्गत 30 अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया।

- सार्वजनिक नीति, रिचर्ड तथा रोडा गोल्डमैन विद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में, 15-16 वर्षों की सर्विस वाले आईए एंड एएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम।

  – कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकटन तथा तकनीकी इनपुटों को विस्तृत करना

  – विश्लेषण साधनों, प्रबंधन सूझबूझ तथा अंतर्वैयक्तिक कौशलों को सुदृढ करना है।

- 2014-15 में प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 23 अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया।

• अरेस्टी कार्यकारी शिक्षा संस्थान, वार्टन विद्यालय तथा पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, 25-28 वर्षों की सर्विस वाले आईएएडी अधिकारियों के लिए अग्रवर्ती प्रबंधन विकास कार्यक्रम।

- कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधको द्वारा सामना किए जा रहे बहु आयामी मुद्दों, नीति विकास, कार्य-निष्पादन प्रबंधन, संगठन संबंधी रूपरेखा, समझौता, नेतृत्व के प्रकटन को विस्तार देना है।

- 2014-15 में अग्रवर्ती प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया।

7. ई-लर्निंग

ई-लर्निंग, शिक्षा में इलैक्ट्रानिक मीडिया, शिक्षण तकनीकी तथा सूचना एवं संचार तकनीकी (आईसीटी) का प्रयोग है।

ई-लर्निंग के लाभ:

- किफायती तथा समय की बचत
- किसी भी समय, कहीं पर, अधिगम
- विचारशील
- ज्यादा सहभागिता

यह प्रस्तावित किया गया है कि ई-लर्निंग मापदंडो को सार्वजनिक वित्त, लोक प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र में पूरे विभाग में आरंभ किया जाए। प्रशिक्षण शाखा ने विभाग का पूर्णत:आंतरिक प्रथम मार्गदर्शक ई-लर्निंग मापदंड ''नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971'' की तैयारी शुरू कर दी है।

प्रारंभ में, गैर-संवादात्मक ई-लर्निंग मापदंडों को विकसित करना प्रस्तावित किया गया है। विषयवस्तु विकास में जिसमें सात सरल मार्गदर्शक मापदंडो

के लिए निर्धारण के लिए प्रयोग के लिए आरटीआईज/आरटीसीज को सौंपा गया है। अंकरूपण मुख्य रूप से प्रशिक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा।

8. **डिजिटल वातावरण में लेखापरीक्षण के लिए सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना**

एक डिजिटल वातावरण में लेखापरीक्षण के लिए एक तीन शाखाओं वाली क्षमता निर्माण नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्योन्वित किया जा रहा है;

i. सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए, आरटीआई में एक आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा के लिए पाठ्यक्रम 53 पाठयक्रमों से 2015-16 में नियोजित 80 तक बढाना तथा आगे 100 वार्षिक पाठ्यक्रमों तक बढाना।

ii. पणधारियों के साथ सहयोग में एक ईआरपी वातावरण में लेखापरीक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

iii. रक्षा, रेलवे, पीएंडटी इत्यादि के पणधारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाले ईआरपी अनुप्रयोगों की प्रकृति में विभिन्नता के कारण, सभी कार्यात्मक शाखाओं को सूचित किया गया है कि उनके संबधित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण व्यवस्था पणधारियों के साथ संयोजन में आयोजित की जा सकती है।

9. नामित ज्ञान केन्द्र: आरटीआई/आरटीसी के विशेषज्ञता के वर्तमान क्षेत्र लेखापरीक्षा के सभी नए उभरते क्षेत्रों को शामिल करने, तथा लेखापरीक्षा तथा लेखा के सभी मुख्य वर्तमान क्षेत्रों को भी कवर करने, यद्यपि पहले किसी आरटीआई/आरटीसी को नियत नहीं की गई, ज्ञान केन्द्रों के रूप में समीक्षा किए गए थे। इस कारण से आरटीआई/आरटीसी को ज्ञान केन्द्रों के रूप में नियत निम्नलिखित डोमेन क्षेत्रों को परिशोधित किया गया है:

क्रम. स.	आरटीआई/आरटीसीज का नाम	विशिष्टीकरण का क्षेत्र
1.	आरटीआई इलाहाबाद	सरकारी बजट सरकारी लेखा गसब सहित
2.	आरटीआई चेन्नई	सरकारी लेखा की वित्तीय प्रमाणित लेखापरीक्षा i. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा ii. स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा
3.	आरटीआई जम्मू	i. रक्षा लेखापरीक्षा ii. विनियामक निकायों की लेखापरीक्षा
4.	आरटीआई जयपुर	i. सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ii. निष्पादन लेखापरीक्षा iii. लाभार्थी अभिमुख योजनाएँ कार्यान्वित करने वाले एसपीवीज एवं न्यास/समाज
5.	आरटीआई कोलकाता	i. ग्रामीण स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा ii. रेलवे लेखापरीक्षा iii. अनुपालन लेखापरीक्षा
6.	आरटीआई मुंबई	i. निगम प्रशासन ii. निगम वित्त iii. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा iv. वित्तीय रिपोर्टिंग (इपसास)
7.	आरटीआई नागपुर	i. धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली तकनीकें और न्यायिक लेखापरीक्षा ii. अंतरण मूल्य निर्धारण सहित केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा
8.	आरटीआई रांची	i. राज्य राजस्व लेखापरीक्षा ii. लोक निर्माण कार्य लेखापरीक्षा
9.	आरटीआई शिलॉंग	i. वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषदों की प्रमाणन लेखापरीक्षा ii. लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा (एक्यूएमएफ)

क्रम. स.	आरटीआई/आरटीसीज का नाम	विशिष्टीकरण का क्षेत्र
10.	आरटीआई बेंगलुरु	i. सूचना प्रौद्यौगिकी ii. सूचना प्रौद्यौगिकी लेखापरीक्षा
11.	आरटीआई नई दिल्ली	i. सार्वजनिक ऋण ii. सार्वजनिक अधिप्राप्ति
12.	आरटीआई हैदराबाद	i. सामाजिक लेखापरीक्षा ii. शहरी स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा

10. प्रशिक्षण कार्यकलाप

क) 2014-15 के दौरान, एनएएए ने 21 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 315 आईएएएस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। आईसीसा ने 10 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 315 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और आईसीइडी ने 17 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 328 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। आरटीआईज/आरटीसीज ने 730 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 13,487 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। 141 कार्यालयों में आंतरिक प्रशिक्षित केन्द्रों ने 2,264 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 33,199 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

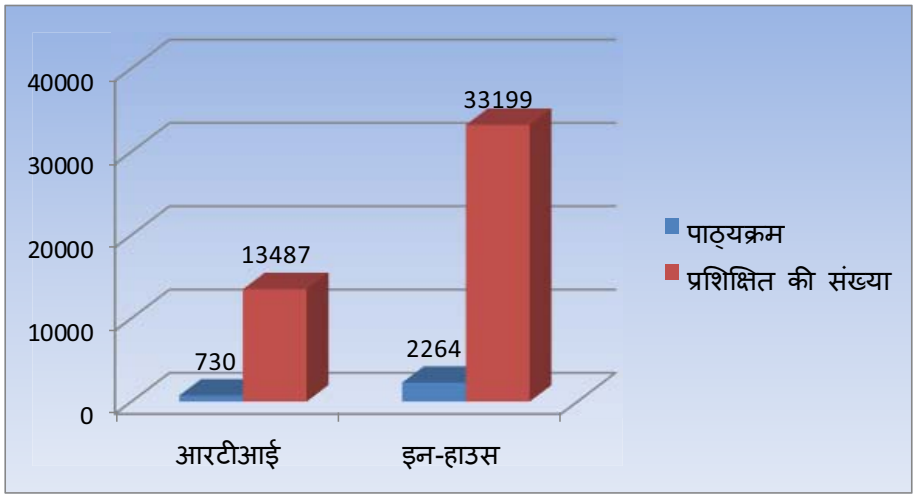

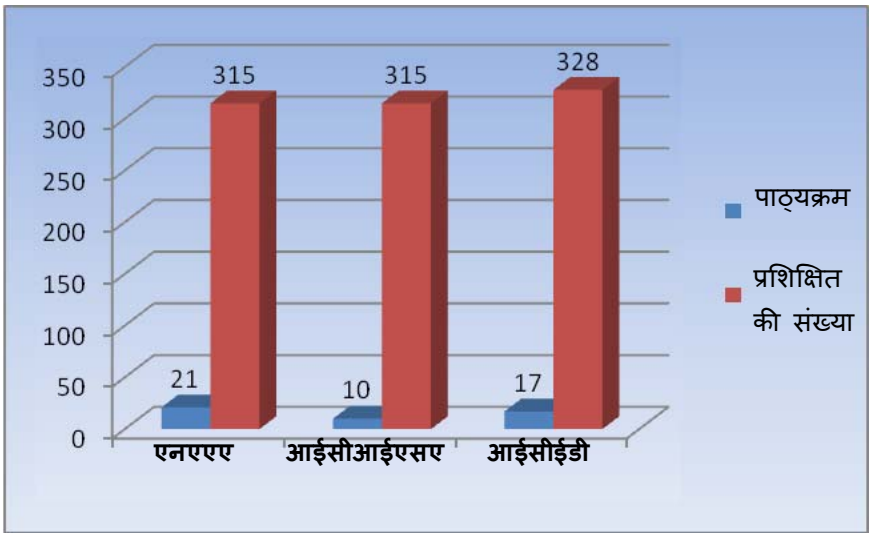

ख) आइएएडी के अधिकारियों के लिए आरटीआईज/आरटीसीज में निम्नलिखित सेवा में प्रशिक्षित कार्यक्रम शामिल हैं

- ई अभिशासन की लेखापरीक्षा
- पीपीपी की लेखापरीक्षा
- इपसास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दूतावास लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ओरेकल 11 जी के लिए डीबीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एसएपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की लेखापरीक्षा
- टेब्लो एवं क्लिकव्यू में डिजिटल फोरेंसिक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग) नागालैंड सरकार और मणिपुर सरकार के राजकोष और लेखा विभाग के अधिकारियों के लिए "प्रवेश प्रशिक्षण" का आयोजन आरटीआई शिलाँग के माध्यम से किया जाता है।

घ) मध्यकालिक योजना में समावेशित मील के पत्थर की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण विकास निम्न हैं:

- आरटीआईज/आरटीसीज में मेहमान संकाय के लिए देय मानदेय का संशोधन
- कोर संकाय में कमियों को पूरा करने के लिए आरटीआईज के लिए सलाहकारों की नियुक्ति
- 18 एसटीएमज, ओमिट आंकड़ो का अद्यतन
- प्रत्येक आरटीआई/आरटीसी की वेबसाइट पर ज्ञान संसाधन व्यक्तियों के डाटाबेस का समावेशन।

11. प्रकाशन

क) एनएएए शिमला ने प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए पाठ्य पुस्तक बनाने में मार्ग दर्शन किया है। प्रशिक्षण विंग द्वारा संशोधित नये पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित पुस्तके तैयार की गई है;

विभागीय परीक्षा-I

1. लोक व्यय, राजस्व एवं संसाधन प्रबंधन
2. लोक वित्त, (आरंभिक अर्थशास्त्र सहित)
3. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सिद्धांतों पर निबंध

विभागीय परीक्षा-II

1. लागत एवं प्रबंधन लेखे
2. सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय रिपोर्टिंग
3. निजी क्षेत्र वित्तीय रिपोर्टिंग
4. वित्तीय लेखापरीक्षा

ख) आईसीईडी ने विभिन्न पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से इनपुट को सम्मिलित करते हुए एक ई-जर्नल 'ग्रीन फाइल्स' संकलित किया है जिसे आइएएडी एवं बाहर के कार्यालयों द्वारा महत्त्व दिया गया है।

ग) रिसर्च पेपर एंड केस स्टडी को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संथानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अध्याय 8

संगोष्ठियाँ एवं कार्यक्रम

साई इंडिया का अभियान उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेहिता, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना और पणधारकों अर्थात विधायिका, कार्यकारी और जनता को स्वतंत्र आश्वासन देना है कि सार्वजनिक निधियों का प्रभाविकता से और अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह परिवेश के ज्ञान को आवश्यक बनाता है जिसमें लेखापरीक्षित इकाई कार्यरत है। लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित इकाइयों के साथ अनवरत जुड़ना पड़ता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ज्ञान सहभाजन को सरल बनाने के लिए संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करते है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी) निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोतम पद्धतियों के अनुसार एक लेखापरीक्षक एवं एक लेखाकार दोनों के रूप में इसके व्यावसायिक कर्तव्यों को निर्वाह करने का प्रयास करता है। सरकार को सहायता के रूप में अभिशासन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अघतन में लेखापरीक्षकों को भागीदारों के रूप में देखा जाता है। लोक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए जागरूकता एवं मांग बढ़ रही है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आर्थिक दक्ष एवं प्रभावी अभिप्रशासन पर नजर रखने के लिए अधिदेशाधीन एजेंसी है। जवाबदेहिता के साथ सुदृढ़ अभिशासन का मूलधार एक प्रणाली के सुदृढ़ लोक वित्तीय रिपोर्टिंग पर होता है।

पर्यावरण जिसमें लेखापरीक्षित इकाइयाँ एवं परिणामत लेखापरीक्षा कार्य करते हैं, वे लोक नीति के कार्यान्वयन की संरचना एवं प्रणालियों की विधियों दोनों के साथ-साथ लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण की पद्धति में भी बहुत गतिशील है। इस गतिशील पर्यावरण के साथ कदम मिलाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आईएएडी स्वयं को फिर से गढ़ता एवं नया करता रहे। एक नियमित आंतरिक एवं बाह्य परामर्शक प्रक्रिया व्यावसायिक पद्धतियाँ संरचना एवं कार्यान्वयन के तरीकों को अपनाने और

अद्यतन करने के प्रयास को सरल बनाता है। इसे ध्यान में रखकर, आईएएडी नियमित रूप से सेमीनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित सम्मेलन एवं कार्यशालाएं निम्न है:-

27 से 29 अक्तूबर 2014 के दौरान आयोजित XXVII महालेखाकार सम्मेलन

महालेखाकर सम्मेलन, एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो अभिशासन से संबन्धित मुख्य नीतिगत मामलों और सार्वजनिक जवाबदेही और जो योगदान हम कर सकते हैं, पर भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए एक फोरम है। यह हमें हमारे अनुभवों को साझा करने और हमारी व्यावसायिक कुशलता को और प्रखर करने के लिए लेखापरीक्षा पद्धतियों के सम्पूर्ण विस्तार की चर्चा और सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर हमें पुन: समर्पित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है।

अक्टूबर 2014 में सत्ताईसवाँ महालेखाकार सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया था।

लोकसभा-अध्यक्ष, पीएसी अध्यक्ष एवं कोपू-अध्यक्ष ने अपनी उपस्थिति से अवसर की शोभा बढाई।

अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रपति ने बताया कि लेखापरीक्षा अपने आप में एक अंत होने के बजाय अंत का एक साधन है। जबकि लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुशासन का एक बैरोमीटर है, उनकी उपयोगिता केवल तब व्यक्त होती है जब सभी पणधारी, विशेषकर कार्यकारी, विधायिका एवं नागरिक इन निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर भरोसा करे एवं अभिशासन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करें। लेखापरीक्षा को अत्यधिक लगन और स्वतन्त्रता के साथ व्यावसायिक रूप से आयोजित करने के लिए और सही एवं संतुलित ढंग से रिपोर्ट करने के लिए यह सार्वजनिक लेखापरीक्षक पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी डालता है। सार्वजनिक लेखापरीक्षक एवं लेखापरीक्षित सत्व दोनों को यह पहचानना होगा कि लेखापरीक्षा का अंततोगत्वा उद्देश्य प्रशासन कूटनीतियों के कार्यान्वयन को सुधारना है। इसके अंत में, लेखापरीक्षा को प्रशासन के एक सुधार के यंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और उद्देश्य के बारे में कोई स्थिर अंतिमता नहीं है। उन्हें सामाजिक प्रयोजनों द्वारा आकार दिया गया है जो वैधानिक अधिनियमन और न्यायिक घोषणाओं द्वारा अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं।

उन्होंने आगे यह बताया कि सरकारी इकाइयों की निष्पादन लेखापरीक्षा करने और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से उदभूत राजस्वों के वैधानिक भाग को प्राप्त कर रहे राज्य के बारे में आश्वासन प्रदान करने के निजी मामलों के अंतर्निहित लेनदेनों के सत्यापन को करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अधिकार अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश में प्रतिमान परिवर्तन लेखापरीक्षा प्रक्रिया को शासित करने की उचित नीतियों और पद्धतियों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय लोक वित्त के प्रहरी के रूप में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था का राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने में सकारात्मक एवं उत्कृष्ट भूमिका है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, अध्यक्ष, लोकसभा ने कहा कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन नागरिकों के वृहत अधिकार का एक साधन है एवं नीति निर्माताओं सहित विभिन्न पणधारियों को मूल्यवान सूचना और प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न करने के लिए इस प्रतिवेदन का उपयोग कर सकते है और लोक सेवकों को जवाबदेह बना सकते है। उन्होंने बताया कि सुधार एवं नवोत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को एक संगठन की सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों को भी उजागर करना चाहिए। लेखापरीक्षा को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि अननुपालन को उजागर करते हुए नवोत्पाद एवं पहलकदमी को हतोत्साहित न किया जाये।

उन्होंने माना कि यह वास्तव में हमारे राष्ट्र के लिए एक गर्व की बात है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय जोशपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। इस लेखापरीक्षण प्राधिकरण को दी गई स्वतंत्रता हमारे स्वस्थ लोकतन्त्र के बारे में बखान करती है। इसके विकास के दौरान, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग ने

इसके कार्य के मानकों को सुधारने के लिए वैश्विक सर्वोत्कृष्ट पद्धतियाँ आत्मसात की हैं और हाल ही के वर्षों में इसके कार्यों का नये सीमांत जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक एवं पर्यावरण लेखापरीक्षाएँ आदि तक विस्तार भी किया है। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा आयोजित करने में भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यह गर्व की बात है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित महत्वपूर्ण यूएन एंजेंसियों की लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपा गया है।

श्री के.वी. थॉमस, अध्यक्ष-पीएसी ने बताया कि दायित्व को सुदृढ करते हुए और सार्वजनिक प्रशासन के मौलिक मूल्यों का बचाव करते हुए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा सुप्रशासन को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। कार्यकारी एवं लोक सेवकों को जिम्मेदार ठहरा कर संसद की मदद करते हुए, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था संसदीय वित्तीय नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

इस सम्मेलन का अति महत्वपूर्ण मूल विषय "सार्वजनिक लेखापरीक्षा द्वारा सुशासन एवं जवाबदेहिता को प्रोत्साहित" करना था। निम्न उप विषय वस्तु जिन पर ध्यान दिया गया था:

- लेखापरीक्षा के उभरते क्षेत्र
- लेखापरीक्षा के प्रभाव को मापना
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में क्षमता निर्माण, एवं
- लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के लिए चुनौतियाँ

ऊपर उल्लिखित उप विषयों पर चर्चा करने के लिए विभाग में पदस्थापित सभी डीजी/पीडी को चार समूहों में विभाजित किया गया था।

ऊपर उल्लिखित चार उप-विषयों पर चर्चा के अलावा, XXVII महालेखाकार सम्मेलन 2014 में 'लोक हित में रिपोर्टिंग: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षाओं के मूल्य एवं प्रभाव' पर पैनल चर्चा भी की गई थी। श्री के.एम

चन्द्रशेखर, पूर्व कैबिनेट सचिव एवं पैनल चर्चा के अध्यक्ष, श्री सुब्रत दास, कार्यकारी निदेशक, बजट एवं अभिशासन जवाबदेही के लिए केंद्र (सीबीजीए), नई दिल्ली, श्री एच.के दुआ, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, और राज्य सभा के नामांकित सदस्य, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक एवं डा. बिबेक देबरॉय, अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के सदस्य बाहय पैनलिस्ट थे।

'हस्तांतरण मूल्य निर्धारण - परिप्रेक्ष्य, मुद्दे एवं आगे के रास्ते' पर कार्यशाला (प्रत्यक्ष कर)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने क्षमता निर्माण पहल के रूप में 21 अप्रैल 2014 को 'हस्तांतरण मूल्य निर्धारण - परिप्रेक्ष्य, मुद्दे एवं आगे के रास्ते (प्रत्यक्ष कर)' पर एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक श्री शशि कान्त शर्मा द्वारा किया गया था। प्रतिष्ठित मेहमानों में डा. पार्थासारथी शोम, वित्त मंत्री के सलाहकार, श्री आर. के. तिवारी, अध्यक्ष सीबीडीटी, श्री श्यामल मुखर्जी, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, श्री रोहन शाह, अर्थशास्त्र कानून कार्य, श्री विजय, अय्यैर,

अर्नेस्ट एंड यंग, और श्री गणपति भट, डीआईटी (अंतरण मूल्य निर्धारण)-1 दिल्ली शामिल थे। संगोष्ठी में वरिष्ठ प्रबंधन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की प्राप्ति लेखापरीक्षा में लगे अधिकारियों एवं सीबीडीटी एवं सीबीईसी के अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यशाला में पूर्व में प्रारम्भ की गई अंतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण उपायों की श्रंखला की पराकाष्ठा को एवं अधिक अरक्षितता मुहैया कराने और अधिकारियों की समझ को बढ़ाने के लिए चिन्हित किया गया था।

'सामाजिक लेखापरीक्षा' पर कार्यशाला

सीएजी की सलाह और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जून 2011 को योजना नियमावली 2011 की लेखापरीक्षा को अधिसूचित किया था। पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर राष्ट्रीय संसाधन समूह ने सामाजिक लेखापरीक्षा में सीएजी की भूमिका के बारे में कई सिफारिशें की थी।

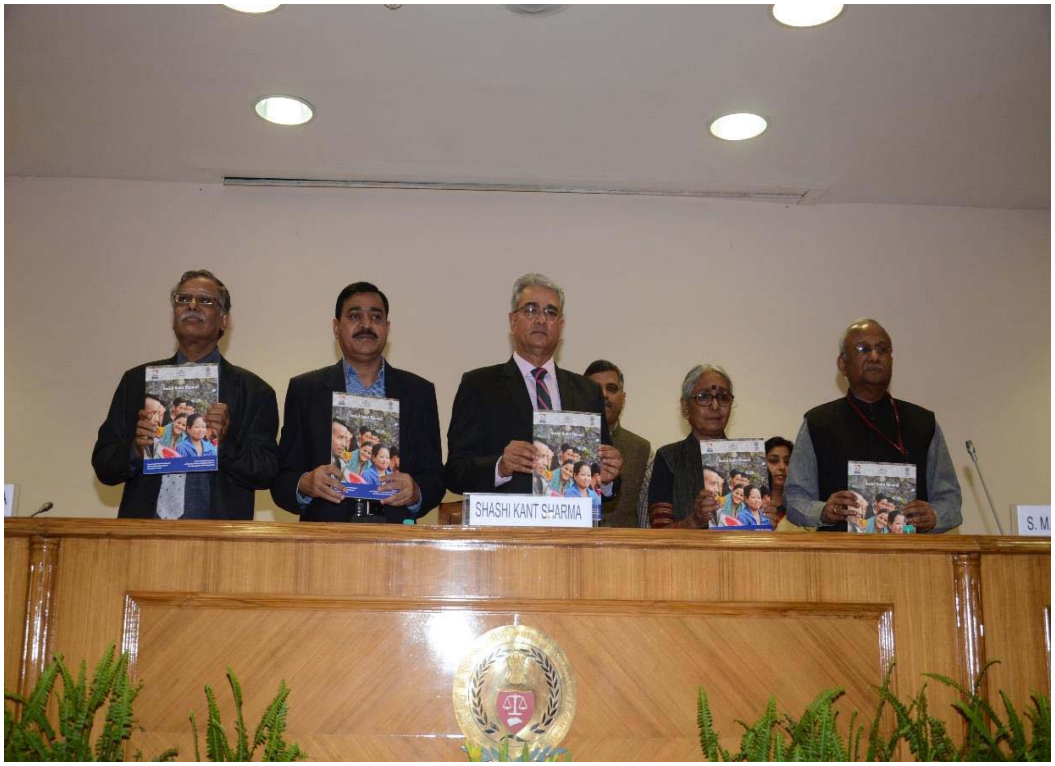

किए गए कार्य की समीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा को व्यापक रूप से प्रभावी बनाने में सहायता हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने 10 मार्च, 2015 को 'सामाजिक लेखापरीक्षा' पर संयुक्त रूप से एक दिन की कार्याशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन भारत के सीएजी, श्री शशि कान्त शर्मा, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता डा० (श्रीमति) अरूणा राय, श्री एस.एम. विजयानंद, सचिव, पंचायती राज विभाग और श्री जे.के. महापात्रा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। इसमें दोनों विभागों, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग, राज्य महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और एनजीओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सीएजी कार्यालय की सलाह से मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सामाजिक क्षेत्र नियमावली का विमोचन किया गया।

अध्याय 9

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्राथमिक पणधारी संसद, राज्य विधानमंडल एवं जनता हैं। संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) है जो साई इण्डिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय, तथा साई इण्डिया द्वारा संचालित लेखापरीक्षा की विषय वस्तु में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

अपने पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क हमें उन अपेक्षाओं का समझने में सहायता करता है जो पणधारकों को साई इण्डिया से हैं एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ प्रदान करती हैं। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्ग दर्शन करती है।

I नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश के ढांचे में लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं फोकस में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उसे सलाह देने के लिए, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढ़ावा देने के लिए एवं तदनुसार लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित मुख्य यंत्रों में से एक है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड छः बार पुनर्गठित किया गया था। (2001,

2003, 2006, 2009, 2011 एवं 2013)। सातवें बोर्ड की अवधि जुलाई 2015 तक है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के दौरान दो बार बैठक की। पहली बैठक 1 अक्तूबर 2014 तथा दूसरी 18 मार्च 2015 को आयोजित की गई। बोर्ड ने लेखापरीक्षा नीतिगत योजना 2015-16 से संबंधित मामलों, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मुख्य निष्पादन मूल्यांकन पर प्रस्तुतीकरण और 'बिग डाटा' के लिए अरक्षितता को बढ़ाने के कारण सार्वजनिक लेखापरीक्षकों के लिए अवसरों और चुनौतियों के प्रस्तुतीकरण पर विचार विमर्श किया।

II राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी तरह, राज्यों में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य है। बाहरी सदस्य उत्कृष्ट शिक्षाविद, व्यावसायिक तथा सेवानिवृत सिविल सेवकों में से नियुक्त किए जाते है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार तथा अनुभवी व्यावसायिकों के बीच व्यावसायिक चर्चा हेतु एक फोरम बनाकर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता को बढ़ाना है।

सभी राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक भी वर्ष में दो बार होती है। बोर्ड का पुनर्गठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष के दौरान लगभग सभी राज्यों में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

III लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयां लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाईयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा

दल निष्पादन लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रैंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्यवाही करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत् अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना दी जाती है।

लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

IV लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी को लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2014-15 में केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने 43 बैठकें आयोजित की तथा 26 पैरा/ निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा पर चर्चा की जैसा कि नीचे सारांशीकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
वाणिज्यिक	9	6
रक्षा एवं संचार	3	2
रेलवे	7	3
रिपोर्ट केन्द्रीय/ए बी	18	13
आरए-आईएनडीटी (सीमा शुल्क)	2	1
सीआरए(सीई/एसटी)	2	0
सीआरए(डीटी)	2	1
कुल	**43**	**26**

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य पीएसीज/कोपू की 710 बार बैठकें हुई एवं 1629 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई जैसा कि नीचे तालिका में सारांशीकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
केन्द्रीय क्षेत्र	197	308
पूर्वी क्षेत्र	49	101
उत्तरी क्षेत्र	197	271
पूर्वोत्तर क्षेत्र	78	494
पश्चिमी क्षेत्र	75	139
दक्षिणी क्षेत्र	114	316
कुल	**710**	**1629**

V शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षक एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टैण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारें स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए हमारे प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं।

VI मीडिया के साथ संपर्क

मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में मुख्यालय का संचार नीति सेल प्रिंट/ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता हैं। प्रधान महालेखाकार या सबसे वरिष्ठ महालेखाकार स्तरीय अधिकारी जहॉ पर राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है वहॉ राज्यों/यूटीज़ में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए उत्तरदायी है।

हम संसद एवं विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंधित विधान मंडल में प्रस्तुति के उपरान्त सामान्यतः एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उनके संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रैस सार भी जारी किये जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

हम चयनित निष्पादन लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उच्च संक्षिप्त सार देने के लिए छोटी पुस्तिकाओं (नौडी बुकस) का भी प्रकाशन करते है।

इस प्रकार के वार्तालाप से विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सूचना के प्रसार एवं यदि हमारे पणधारियों द्वारा आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण जारी करना या विकृतियों को या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों की गलत व्याख्या को हटाना अभिप्रेत है।

अध्याय 10

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षण मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विभाग अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के संपर्क के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई)

ख. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियन संगठन (एसोसाई)

ग. वैश्विक कार्यकारी समूह (अब वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम) एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निकाय

घ. अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध

ङ. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

क. इंटोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाहरी सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक छत्र संगठन के रूप में प्रचालित है। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शी स्थिति वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। वर्तमान में, इंटोसाई में इनके सदस्यों के रूप में 192 साई है। इसके अलावा, विश्व बैंक सहित इसके 5 सहायक सदस्य है।

इंटोसाई की चार प्रमुख समितियां है जो इसकी चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ये समितियां है;

1. व्यावसायिक मानक समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)
3. ज्ञान साझा तथा ज्ञान सेवा समिति (केएससी)
4. वित्त तथा प्रशासन समिति (एफएसी)

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी निम्न स्तर पर है:

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नॉलेज शेयरिंग तथा नॉलेज सेवा (लक्ष्य 3) केएससी एवं इसकी स्टीयरिंग समिति पर इंटोसाई समिति के अध्यक्ष है। केएससी के छत्र के अन्तर्गत नौ कार्यकारी ग्रुप तथा एक टास्क फोर्स है। कार्यकारी ग्रुप/टास्क फोर्स विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन तथा सर्वोत्तम पद्धतियां देने के लिए समर्पित है। केएससी मुख्य समिति में आज 104 सदस्य और तीन पर्यवेक्षक है हमने नॉलेज शेयरिंग समिति की वेबसाइट www.intosaiksc.org. भी बनाई है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी ग्रुप(डब्ल्यूजीआईटीए) के भी अध्यक्ष है। समूह को आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साई के हितों को संबोधित करने के लिए 1989 में सृजित किया गया था। अनुभव के विनिमय और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं सुविधाएं प्रदान करते हुए डब्ल्यूजीआईटीए का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा और साई को उनके उपयोग में ज्ञान एवं कौशल के विकास में सहायता करना है। वर्तमान में, डब्ल्यूजीआईटीए के पास 42 सदस्य एवं चार पर्यवेक्षक हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विभिन्न इंटोसाई समितियों/उप समितियों/कार्यकारी ग्रुप/टास्क फोर्स का सदस्य है।
- हमने ऑनलाइन इंटोसाई सहयोग उपकरण (आईसीटी) नामक एक विद्युतीय उपकरण का विकास तथा अनुरक्षण किया जो इंटोसाई का कार्य क्षेत्र है तथा एक समूह द्वारा उनके अपने स्थानों पर सामान्य परियोजनाओं के कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। हम आईडीआई के सहयोग से एक केएससी पोर्टल जो कि आईसीटी को प्रतिस्थापित करेगा और जिसकी बहुत सी पारस्परिक विशेषताएं होगी, को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

साई-इंडिया की सक्रिय भागीदारी वाले इंटोसाई की कुछ मुख्य घटनाओं की चर्चा नीचे की गई है:

14 -15 अक्तूबर 2014 को काहिरा, मिस्र में इन्टोसाई केएससी स्टीयरिंग समिति की छठी बैठक

मिस्र के जवाबदेही राज्य प्राधिकरण द्वारा इंटोसाई ज्ञान साझा समिति (केएससी) की स्टीयरिंग समिति की छठी बैठक का आयोजन 14-15 अक्तूबर 2014 में काहिरा में किया गया था।

14 - 15 अक्तूबर 2014 को काहिरा, मिस्र में इन्टोसाई केएससी स्टीयरिंग समिति की छठी बैठक

बैठक की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अध्यक्ष, केएससी, श्री शशि कान्त शर्मा द्वारा की गई थी और साई के 11 सदस्य देशों/निकायों से 19 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। छठी केएससी स्टीयरिंग समिति बैठक का मुख्य उद्देश्य केएससी के तहत कार्यकारी ग्रुप और टास्क फोर्स द्वारा 2011-2016 के अद्यतित इंटोसाई नीतिगत योजन सहित किए गए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संबंध में प्राप्त की गई प्रगति की सामूहिक रूप में समीक्षा करना है। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श ने 6-7 नवम्बर 2014 को विएना, ऑस्ट्रिया में आयोजित 66 वीं इंटोसाई शासित बोर्ड बैठक में प्रस्तुत गोल-3 प्रतिवेदन का आधार बनाया।

आईडीआई वैश्विक कार्यक्रम के तहत विशेषीकृत लेखापरीक्षाओं पर विषय-वस्तु विशेषज्ञ बैठक एवं लेखापरीक्षा योजना बैठक - अक्तूबर 6-17, 2014 के दौरान आईसीसा नोएडा में एसोसाई एवं पसाई क्षेत्रों के साई का आईटी लेखापरीक्षा

इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) ने 2014 में आईटी लेखापरीक्षा पर एक वैश्विक क्षमता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें एसोसाई, एफ्रोसाई-ई, कैरोसाई, यूरोसाई एवं पसाई से 40 साई भाग ले रहे है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों के साथ आईटी लेखापरीक्षा के आयोजित करने में साई दलों की सहायता करना है।

तदनुसार, 6-17 अक्तूबर 2014 के दौरान आईसीसा नोएडा में साई-इंडिया द्वारा विषय-वस्तु विशेषज्ञों की बैठक के बाद एक लेखापरीक्षा योजना बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना था और प्रस्तावित आईटी लेखापरीक्षा के लिए एक विस्तृत लेखापरीक्षा मैट्रिक्स ड्राफ्ट बनाने के साथ-साथ विभिन्न साई द्वारा अंतिम प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए किए जाने वाले समयसीमा अनुपालन के सहमति पर पहुँचना था। साई-इंडिया द्वारा चयनित पायलेट विषय भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ई-निविदाकरण प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा था।

इंटोसाई निष्पादन लेखापरीक्षा उपसमिति की 8 वीं बैठक 24 और 25 मार्च 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी

इंटोसाई निष्पादन लेखापरीक्षा उपसमिति (पीएएस) की 8 वीं बैठक का आयोजन 24-25 मार्च 2015 को नई दिल्ली में साई-इंडिया द्वारा किया गया था जिसमें पीएएस के साई सदस्य से 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 8 वीं पीएएस बैठक का मुख्य उद्देश्य निष्पादन लेखापरीक्षण पर इससाई 3000, 3100 और 3200 ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना था।

इंटोसाई निष्पादन लेखापरीक्षा उपसमिति की 8 वीं बैठक 24 और 25 मार्च 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी

इंटोसाई के गोल चेयर (कोपेनहेगन और वियना की बैठक) के बीच सहयोग

इंटोसाई के गोल 3 (ज्ञान साझा समिति) के अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने, एक सामान्य, समग्र कार्यकारी योजना विकसित करने के लिए अपनी क्षमता में अन्य इंटोसाई गोल चेयर अर्थात गोल 1 (व्यावसायिक मानक समिति) और गोल 2 (क्षमता निर्माण समिति) के साथ सहयोग के लिए सहमति दी है। इसलिए, इंटोसाई के गोल चेयर के प्रतिनिधियों की एक स्टाफ स्तरीय समन्वयन बैठक 26 और 27 फरवरी 2015 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित की गई थी। जिसके बाद 3 मार्च 2015 को वियना, ऑस्ट्रिया में इंटोसाई की गोल चेयर की बैठक हुई थी। गोल चेयर में सामान्य हित के विभिन्न मुद्दों की चर्चा की गई थी।

ख एसोसाई

1978 में स्थापित किया गया सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियन संगठन (एसोसाई) इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी दलों में से एक है। इसने नई दिल्ली में अपनी पहली सभा के साथ 1979 में कार्य करना आरंभ किया था। भारत एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है। इसकी मौजूदा सदस्यता 46 है।

एसोसाई के उददेश्य हैं:-

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से प्रशिक्षण के लिए सुविधा और सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए निरंतर शिक्षा प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सूचना के एक केन्द्र के रूप में और विश्व के अन्य भागों के संस्थानों के साथ क्षेत्रीय कड़ी के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सदस्य संस्थानों और क्षेत्रीय समूहों के सरकारों में सेवारत लेखापरीक्षकों के मध्य नजदीकी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

2012-2015 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एसोसाई के अध्यक्ष थे। एसोसाई के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2018 तक एसोसाई के संचालन मंडल में रहेंगे।

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक के रूप में, हम वर्ष में दो बार एसोसाई जर्नल प्रकाशित करते हैं। एसोसाई जर्नल की सामग्री साई सदस्यों द्वारा दी जाती है। जर्नल की इंटोसाई और एसोसाई के सभी सदस्यों के मध्य परिचालित किया जाता है।

47वीं संचालन मंडल बैठक और दूसरी एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त सम्मेलन

47वीं संचालन मंडल बैठक (मॉस्को, रूस में 23-24 सितम्बर, 2014)

एसोसाई की 47वीं संचालन मंडल बैठक की मेजबानी साई रूस द्वारा मॉस्को में की गई थी। संचालन मंडल बैठक के अध्यक्ष भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक थे एवं प्रतिनिधियों में अन्य सदस्य श्री के.एस सुब्रमण्यन, महानिदेशक (आईआर), श्री अनादि मिश्रा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सचिव और श्री राजदीप सिंह, निदेशक

थे। बैठक में, आईडीआई से पर्यवेक्षकों सहित संचालन मंडल और साई की सदस्य लेखापरीक्षा समिति से 60 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। संचालन मंडल गतिविधियों पर अध्यक्ष की रिपोर्ट पर, वि.व. 2013 के लिए एसोसाई वित्तीय विवरण पर महा-सचिव की रिपोर्ट, 2015-2017 के लिए बहु-वर्षीय बजट योजना के निरूपण, एसोसाई प्रशिक्षण गतिविधियों पर प्रशिक्षण प्रशासन के रूप में जापान की रिपोर्ट आदि पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी। संचालन मंडल ने भी एसोसाई के 46 वें सदस्य के रूप में तज़ाकिस्तान के साई के प्रवेश का अनुमोदन किया था।

द्वितीय एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त सम्मेलन (मॉस्को, रूस में 25-26 सितम्बर 2014)

द्वितीय एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त सम्मेलन का मॉस्को में साई रूस द्वारा भी आयोजन किया गया था। संयुक्त सम्मेलन का विषय ''आईएसएसआईज के अंगीकरण के पिछले अनुभवों से सीखे गए पाठ और उनका भावी निहितार्थ'' था, एसोसाई और यूरोसाई सदस्य देशों से 22 प्रतिनिधियों ने आईएसएसएआईज के कार्यान्वयन में अपने अद्वितीय अनुभवों का आदान प्रदान किया और बेहतर पद्धति के निर्माण पर वचनबद्धता दी।

साई इंडिया ने द्वितीय संयुक्त सम्मेलन के दौरान ''साई इंडिया में आईएसएसएआई कार्यान्वयन'' पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

25-26 सितम्बर 2014 को मॉस्को में आयोजित किया गया द्वितीय एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त सम्मेलन

फरवरी 9-13, 2015 कुआलालम्पुर, मलेशिया में 13वीं एसोसाई सभा, 6ठी संगोष्ठी, 48 वीं और 49वीं शासन बोर्ड बैठक

''प्रौद्योगिकी के लाभ से लेखापरीक्षा गुणवत्ता और प्रभावकारिता को बढ़ाना'' पर 6ठी संगोष्ठी सहित 13वीं एसोसाई सभा, एसोसाई की 48वीं और 49वीं शासन बोर्ड की बैठकों का आयोजन 9 से 13 फरवरी, 2015 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में किया गया था।

फरवरी 2015 में कुआलालम्पुर, मलेशिया में आयोजित एसोसाई की 48वीं शासन बोर्ड बैठक

माननीय श्री मोहम्मद बिन तुन अब्दुल रजाक, मलेशिया के प्रधानमंत्री, श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा श्री अम्ब्रीन बिन बुआन्ग, मलेशिया के महालेखापरीक्षक कुआलालम्पुर में 13वीं एसोसाई असेम्बली के उद्घाटन के अवसर पर

कुआलालम्पुर में 13वीं एसोसाई और 6ठी संगोष्ठी की अध्यक्षता श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य श्री के.एस. सुब्रमण्यन, महानिदेशक (आईआर), श्री अनादि मिश्रा, सीएजी के सचिव और श्री राजदीप सिंह, निदेशक थे।

13वीं सभा में 39 सदस्य साई के कुल 180 भागीदारों के साथ-साथ इन्टोसाई, आईडीआई, यूरोसाई, एफरोसाई आदि से पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था। मलेशिया के महालेखापरीक्षक ने फरवरी, 2015 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से एसोसाई की अध्यक्षता ग्रहण की। सभा के दौरान 2015-18 की अवधि के लिए एसोसाई शासन बोर्ड के नए सदस्यों के चुनाव, एसोसाई नीतिगत योजना 2016-2021 के अनुमोदन एवं 2018 में 14वीं एसोसाई सभा के मेजाबानी हेतु साई, वियतनॉम के चयन पर भी चर्चा की गई थी।

ग. वैश्विक कार्यकारी समूह (नई वैश्विक लेखापरीक्षा लीडरशिप फोरम) एवं अन्य बहुपक्षीय निकाय

वैश्विक कार्यकारी समूह (नई वैश्विक लेखापरीक्षा लीडरशिप फोरम) की स्थापना 2000 में की गई थी, जो अपनी सरकारों और कार्यालयों से संबंधित विद्यमान एवं उत्पन्न मुद्दों पर सुनियोजित और सूचित चर्चा हेतु और सूचना सहभाजन तथा परस्पर कार्य करने के लिए अवसर खोजने के लिए वार्षिक रूप से मिलने के लिए 19 महालेखापरीक्षक के चयन समूह का प्रबंध करता है।

जीएएलएफ की अंतिम बैठक का आयोजन ''सार्वजनिक लेखापरीक्षक 2030'' विषय पर 25-27 मार्च 2015 वैलिंगटन, न्यूजीलैण्ड में किया गया था। श्री ए.एम. बजाज, प्रधान निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया था।

घ. अन्य साईज के साथ द्विपक्षीय संबंध

वर्तमान में 16 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों अर्थात, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, ब्राजील, कुवैत, मालद्वीप, मंगोलिया, ओमान, पोलैंड, वेनेजुएला, रूस, दक्षिण

अफ्रीका, कंबोडिया, वियतनाम, इरान और यूक्रेन के साथ हमारे समझौता ज्ञापन हुए है।

नियमित द्विपक्षीय विनिमय, जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सैकेंडमेंट्स, कार्यशालाएँ आदि का आयोजन चीन, कुवैत और पोलैंड की साईज के साथ किया गया था। साई इंडिया, भारत में और उनके भागीदार साईज उनके देशों में आयोजित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक निम्नानुसार है:

साई भूटान के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण

श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2014 तक भारत और भूटान के साईज के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण हेतु भूटान का दौरा किया था। साई भूटान के साथ समझौता ज्ञापन साई इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने समझौता ज्ञापन में से एक है और यह 2001 से जारी है।

कुवैत में 6ठा इंडो-कुवैत सेमिनार

साई कुवैत ने 14 से 17 अप्रैल 2014 तक ''पर्यावरणीय लेखापरीक्षा'' पर 6ठे इंडो कुवैत सेमिनार का आयोजन किया था। श्री बलविंद्र सिंह, एडीएआई और श्री एम.के. बिश्वास, महानिदेशक ने सेमिनार में भाग लिया था। दोनों साईज के भागीदारों ने पर्यावरणीय लेखापरीक्षा के संबंध में ज्ञान और अनुभवों का साझा किया और सामान्य पर्यावरणीय मामलों के साथ-साथ पर्यावरणीय लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर चर्चा की। दोनों साईज ने सेमिनार विषय पर अपने संबंधित शोध पत्र भी प्रस्तुत किए।

वारसा, पोलैण्ड में 14वां इंडो-पौलिश सेमिनार

14वें इंडो-पौलिश सेमिनार का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2014 तक वारसा में साई पोलैण्ड द्वारा किया गया था। साई इंडिया से श्री एन्ड्रु लैंसटेह, महानिदेशक और श्री एस.ए. बैथ्यु, महालेखाकार ने इस सेमिनार में भाग लिया। पोलैण्ड के

प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता श्री केजिस्टोफ क्वेतोस्की, अध्यक्ष साई पोलैण्ड (एनआईके) द्वारा की गई थी। सेमिनार का विषय ''सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लेखापरीक्षा रिपोर्ट का विश्लेषण'' था। दोनो साईज ने सेमिनार विषय पर अपने संबंधित शोध पत्र प्रस्तुत किए थे।

वियतनाम के महालेखापरीक्षक का दौरा

श्री नुयेन हु, महालेखापरीक्षक, वियतनाम की अध्यक्षता में छह सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने लेखापरीक्षण कार्यकलापों, निष्पादन लेखापरीक्षा, पर्यावरणीय लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन में आईटी अनुप्रयोग पर चर्चा करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 6 से 8 सितम्बर, 2014 को भारत का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने आईसीसा, नोएडा का भी दौरा किया।

श्री नुयेन हु, महालेखापरीक्षक, वियतनाम ने 6 से 8 सितंबर, 2014 तक आईसीसा, नोएडा का दौरा किया

चीन में 5वां इंडो-चीन यंग ऑडिटर्स फोरम

5वें चीन-इंडिया यंग ऑडिटर्स फोरम का आयोजन जिनान में 6 से 14 सितम्बर 2014 तक साई चीन द्वारा किया गया था। फोरम के विषय "बजट कार्यान्वन लेखापरीक्षा'' और "लेखापरीक्षा की पारंपरिक संस्कृति और विकास'' थे। श्री मुकेश

लाल कुमार, वरिष्ठ डीएजी की अध्यक्षता में साई इंडिया से दस युवा लेखापरीक्षकों ने फोरम में भाग लिया।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रतिभागियों ने बीजिंग में चीन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय (सीएनएओ) मुख्यालय का भी दौरा किया। श्री लियु जियाई, महालेखापरीक्षक, चीन ने प्रतिभागियों से वार्तालाप की और सभी युवा लेखापरीक्षकों को उनके संबंधित देशों में ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने और विनिमय करने और उन्हें अभ्यास में लाने हेतु प्रोत्साहित किया।

सभी प्रतिभागियों ने काफी उत्साह दिखाया और सेमिनार विषयों पर अपनी राय और मतों का सक्रियता से आदान-प्रदान किया।

6 से 14 सितंबर 2014 तक जिनान में साई चीन द्वारा आयोजित किया गया 5वां चीन-इंडिया यंग ऑडिटर्स फोरम

कोची, केरल में 21वां इंडो-चीन सेमिनार

भारत और चीन की साईज के बीच अपने स्टाफ के मध्य व्यावसायिक ज्ञान एवं दक्षता के उन्नयन के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) मौजूद है। इंडो-चीन सेमिनार का आयोजन इस एमओयू के संरक्षण के अंतर्गत हर वर्ष प्रत्येक देश में वैकल्पिक रूप से किया जाता है। 21 वें इंडो-चीन सेमिनार का आयोजन ''सार्वजनिक ऋण की

लेखापरीक्षा'' विषय पर कोची, केरल में 27 से 30 नवंबर, 2014 तक साई इंडिया द्वारा किया गया था।

साई इंडिया से प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता श्री ए.के. सिंह, उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य श्री एन. नागराजन, प्रधान महालेखाकार, श्री एल.एस. सिंह, प्रधान निदेशक और सुश्री स्मिता गोपाल, वरिष्ठ उप महालेखाकार थे।

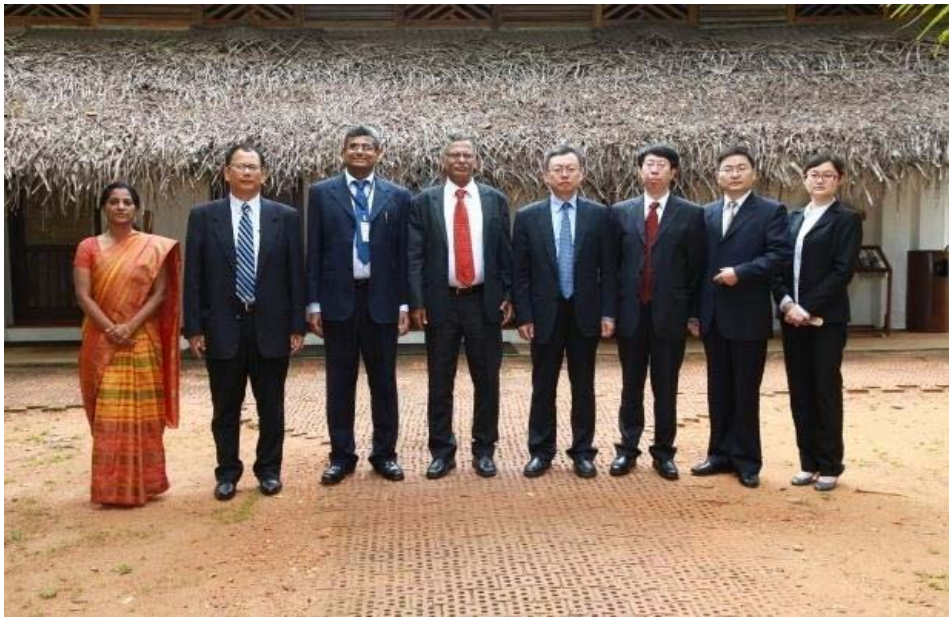

21वें इंडो-चीन सेमिनार का आयोजन 27 से 30 नवंबर, 2014 तक कोची, केरल में किया गया था।

चीन के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता श्री युआन ये, उप महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी, प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य श्री मा जियाफांग, महानिदेशक, श्री जीओ हुआरोंग, उप निदेशक और सुश्री जांग जियान, सैक्शन चीफ थे।

साई ओमान के उपाध्यक्ष का दौरा

श्री नसीर, एच.अल रवाही, साई ओमान के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल ने 21-27 मार्च, 2015 के दौरान साई इंडिया का दौरा किया। श्री अल रवाही ने भी साई ओमान के सैकेंडमेंट हेतु चयनित किए गए अधिकारियों के साथ वार्तालाप की। उपाध्यक्ष ने उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ बैठक की और अपनी क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर चर्चा की।

ड़ अंतराष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

2014 से 2020 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड (यूएनबीओए) के सदस्य

यूनाइटेड नेशन्ज (यूएन) की लेखापरीक्षा तीन सदस्यीय बोर्ड नामत: संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड द्वारा की जाती है। इस उत्तरदायित्व में यूएन मुख्यालय के अतिरिक्त यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र के शान्ति रक्षण प्रचालन जैसे संगठनों की लेखापरीक्षा शामिल है। बोर्ड के तीन सदस्य अफ्रीका, एशिया और पेसिफिक तथा वैस्टर्न ब्लॉक (ओईसीडी देश) प्रत्येक से एक है।

लेखापरीक्षक बोर्ड के वर्तमान सदस्य निम्नानुसार है:

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अवधि 30 जून 2020 को समाप्त होगी)
- यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलेंड के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अवधि 30 जून 2016 को समाप्त होगी)
- यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अवधि 30 जून 2018 को समाप्त होगी)

श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, श्री लियु जिआयी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के महालेखापरीक्षक से संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य का पदभार लेते हुए

1 जुलाई, 2014 से भारत जून 2020 तक छह वर्ष की अवधि के लिए चीन के स्थान पर बोर्ड का सदस्य बन गया। श्री शशि कान्त शर्मा ने न्यूयार्क में यूनाइटेड नेशन्स मुख्यालय में चीन की पीपुल्स रिपब्लिक के श्री लियु जियाई, महालेखापरीक्षक से इस प्रतिष्ठित पद का प्रभार ग्रहण किया।

भारत का लेखापरीक्षा पोर्टफोलियो निम्नलिखित है:

1. संयुक्त राष्ट्र शान्ति रक्षण प्रचालन (यूएनपीकेओ)
2. संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ)
3. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनयू)
4. संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टाफ पेंशन निधि (यूएनजेएसपीएफ)
5. पर्यावरण बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क करार (यूएनएफसीसीसी)
6. मरूस्थलीकरण के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र करार (यूएनसीसीडी)
7. संयुक्त राष्ट्र निलंब खाता (एस्क्रो अकाउंट)
8. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों के भाग (खरीद, एचआरएम, मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय)

संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड की सहायता लेखापरीक्षा प्रचालन समिति द्वारा की जाती है जिसमें बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बाह्य लेखापरीक्षा की तीन निदेशक शामिल है। उपरोक्त आठ संगठनों की लेखापरीक्षा, सामग्री को लेखापरीक्षा रिपोर्ट को दो खण्डों में मुद्रित किया जाता है। खण्ड II केवल यूएनपीकेओ से संबंधित है और खण्ड I अन्य संगठनों को कवर करता है। यूएनपीकेओ के संबंध में भारत मुख्य लेखापरीक्षक है, और यूएनपीकेओ पर हमारी पहली लेखापरीक्षा रिपोर्ट को दिसंबर 2014 में अंतिम रूप दिया गया था। प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों (एसीएबीक्यू) पर परामर्शदात्री समिति द्वारा यूएनपीकेओ रिपोर्ट की काफी सराहना की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं

वर्तमान में साई-इंडिया निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की बाह्य लेखापरीक्षक हैं:

1. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) *[जुलाई 2010 से जून 2016]*
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) *[जुलाई 2010 से जून 2016]*
3. विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) [*जुलाई 2012 से जून 2018*]
4. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था (आईएईए) *[जुलाई 2012 से जून 2016*]
5. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) *[2000 से 2015]*

उपरोक्त संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूएनडब्ल्यूटीओ को छोड़कर) की वित्तीय/प्रणामीकरण, निष्पादन,अनुपालन लेखापरीक्षाएं प्रति वर्ष की जाती है। यूएनडब्ल्यूटीओ के लिए केवल वित्तिय लेखापरीक्षा की जाती है। दिसंबर 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सभी लेखापरीक्षाएं कर ली गई और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई।

संयुक्त राष्ट्रों और इसके तकनीकी समूह के बाह्य लेखापरीक्षकों का पैनल

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य और इसकी विशेष संस्थाओं में ''संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों का पैनल'' शामिल है। यह पैनल विश्व की लेखाकरण/लेखापरीक्षण पद्धतियों में विकास के मामलों के समाधान करने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करता है। हम संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षक या इसकी विशेष संस्था होने के नाते 1993 से पैनल के सदस्य रहे है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2011 से 2013 तक पैनल के अध्यक्ष थे और महानिदेशक (आईआर) उस अवधि के दौरान पैनल के तकनीकी समूह के संयोजक थे। साई इंडिया ने 4 से 9 दिसंबर, 2014 के दौरान न्यूयार्क में आयोजित की गई तकनीकी समूह बाह्य लेखापरीक्षक बैठक में भाग लिया था।

अनुबंध I

31 मार्च 2015 को संगठनात्मक चार्ट

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

सीएजी के सचिव

1. ***उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (प्रशासन एवं स्टाफ)	महानिदेशक (एसएमयू) महानिदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक (आईआर) महानिदेशक (स्टाफ) महानिदेशक (मुख्यालय)	प्रधान निदेशक (आईएस एण्ड आईटी) प्रधान निदेशक (परीक्षा) प्रधान निदेशक (राजभाषा) प्रधान विधिक सलाहकार मीडिया सलाहकार	एसी(पी) एसी(एन) निदेशक(का.) निदेशक(अ.सं.) निदेशक(निर्माण)
2. ***उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	महानिदेशक (रक्षा एवं संचार) महानिदेशक (रेलवे) महानिदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)		
3. ***उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड)	महानिदेशक (वाणिज्यिक-I) प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक)	महानिदेशक (वाणिज्यिक-II)	
4. ***उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (रिपोर्ट केन्द्रीय और स्थानीय निकाय)	महानिदेशक (रिपोर्ट केन्द्रीय) सांख्यिकीय सलाहकार	प्रधान निदेशक (रिपोर्ट केन्द्रीय) प्रधान निदेशक (एलबी एवं एबी)	
5. ***उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (सरकारी लेखे और अध्यक्ष, गसब)	महानिदेशक (सरकारी लेखे) प्रधान निदेशक (सरकारी लेखे)	प्रधान निदेशक(गसब-I) प्रधान निदेशक(गसब-II) प्रधान निदेशक(गसब-III)	
6. ***उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (केंद्रीय राजस्व/प्राप्ति)	महानिदेशक (सीआरए) प्रधान निदेशक (सीआरए) प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	प्रधान निदेशक (एसटी) प्रधान निदेशक (सी. शु.)	
7. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (पूर्वी क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) 4 राज्य: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)	प्रधान निदेशक (पूर्वी क्षेत्र)	
8. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (केन्द्रीय क्षेत्र)	महानिदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र) 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	प्रधान निदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र)	

9. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (पश्चिमी क्षेत्र)	महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) 4 राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा	प्रधान निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र)	
10. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 8 राज्य: अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	प्रधान निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	
11. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (उत्तरी क्षेत्र)	महानिदेशक (उत्तरी क्षेत्र) 6 राज्य: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा	प्रधान निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)	
12. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (दक्षिणी क्षेत्र एवं पीपीजी)	महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) 2 राज्य: कर्नाटक एवं केरल	प्रधान निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र)	महानिदेशक (पीपीजी)
13. ***अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक*** (निरीक्षण)	प्रधान निदेशक (निरीक्षण)		
टिप्पणी: **क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख म.नि./प्र.म.ले./प्र.नि./म.ले. होते हैं जो संबंधित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।**			

अनुबंध ।।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

I लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र
क सिविल
1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, बैंगलुरू
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चंडीगढ़
7. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, हैदराबाद
9. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
10.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, लखनऊ
11.महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई
12.महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली
टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की लेखापरीक्षा, महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय, चंडीगढ़ के कार्यक्षेत्र में आती है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद के कार्यक्षेत्र में आती है।

ख रक्षा
1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पुणे
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, नौसेना, मुम्बई
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियां, कोलकाता
ग डाक एवं दूरसंचार
1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली
घ रेलवे
1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, गुवाहटी
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बैंगलुरू
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता

12.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
13.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन इकाईयां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता
14.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुंबई
15.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुंबई
16.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
17.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे-वाणिज्यिक, नई दिल्ली
18.प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
ङ वाणिज्यिक
1. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बैंगलुरू
2. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई
3. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद
4. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता
5. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता
6. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, मुंबई
7. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुंबई
8. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली
9. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, नई दिल्ली
10.प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली
11.प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली
12.प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, राँची

च विदेश स्थित
1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, लंदन
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाशिंगटन डीसी
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, कुआलालम्पुर, मलेशिया
4. निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, रोम, इटली
5. निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, न्यूयार्क (जून 2014 में स्थापित)
II लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य
1. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
3. महालेखाकार, अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर
4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहटी
5. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
6. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, गोवा, गोवा
8. महालेखाकार (ईएंडआरएसए) गुजरात, अहमदाबाद
9. महालेखाकार (जीएंडएसएसए) गुजरात, राजकोट
10. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़
11. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
12. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
13. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, राँची
14. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), कर्नाटक, बैंगलुरू

15.प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), कर्नाटक, बैंगलुरू

16.प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), केरल, तिरूवनंतपुरम

17.महालेखाकार (ईएंडआरएसए), केरल, तिरूवनंतपुरम

18.प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), मध्य प्रदेश, ग्वालियर

19.प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), मध्य प्रदेश, भोपाल

20.प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई

21.महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

22.प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-III, महाराष्ट्र, मुंबई

23.महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल

24.प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलाँग

25.प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मिजोरम, आइजोल

26.महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा

27.प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली

28.महालेखाकार (जीएंडएसएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर

29.प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर

30.महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब, चंडीगढ़

31.प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), राजस्थान, जयपुर

32.महालेखाकार (ईएंडआरएसए), राजस्थान, जयपुर

33.प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम, गंगटोक

34.प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), तमिलनाडु और पुडुचेरी, चेन्नई

35.प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), तमिलनाडु, चेन्नई

36.महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
37.प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
38.महालेखाकार (ईएंडआरएसए), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
39.महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहदादून
40.प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
41.महालेखाकार (ईएंडआरएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
III लेखा और हकदारी कार्यालय-राज्य
1. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), असम, गुवाहटी
3. महालेखाकार (ले. व ह.), बिहार, पटना
4. महालेखाकार (ले. व ह.), छत्तीसगढ़, रायपुर
5. महालेखाकार (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट
6. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), हरियाणा, चंडीगढ़
7. महालेखाकार (ले. व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला
8. महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
9. महालेखाकार (ले. व ह.), झारखंड, राँची
10.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), कर्नाटक, बेंगलुरू
11.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), केरल, तिरूवनंतपुरम
12.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
13.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
14.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)-I, महाराष्ट्र, मुंबई

15.महालेखाकार (ले. व ह.)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

16.महालेखाकार (ले. व ह.), मणिपुर, इम्फाल

17.महालेखाकार (ले. व ह.), मेघालय, शिलाँग

18.महालेखाकार (ले. व ह.), नागालैंड, कोहिमा

19.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), ओडिशा, भुवनेश्वर

20.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), पंजाब, चंडीगढ़

21.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), राजस्थान, जयपुर

22.वरिष्ठ. उप महालेखाकार (ले. व ह.), सिक्किम, गंगटोक

23.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै

24.महालेखाकार (ले. व ह.), त्रिपुरा, अगरतला

25.महालेखाकार (ले. व ह.)-I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

26.महालेखाकार (ले. व ह.)-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

27.प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), उत्तराखंड, देहरादून

28.महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

IV प्रशिक्षण संस्थान

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

2. महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र, नोएडा (यू.पी.)

3. पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत् विकास आंतरिक केंद्र, जयपुर

4. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

5. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै

6. विशेष कार्य अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद

7. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
8. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
9. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, संस्थान, कोलकाता
10.प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
11.प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, संस्थान, नागपुर
12.प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची
13.प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलाँग
14.क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलुरू @
15.क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली @@

@प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बैंगलुरू के प्रभार के अंतर्गत

@@महानिदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली के प्रभार के अंतर्गत